खण्ड-387, अंक-2
मंगलवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1910
(26 अप्रैल, 1988 ई0)

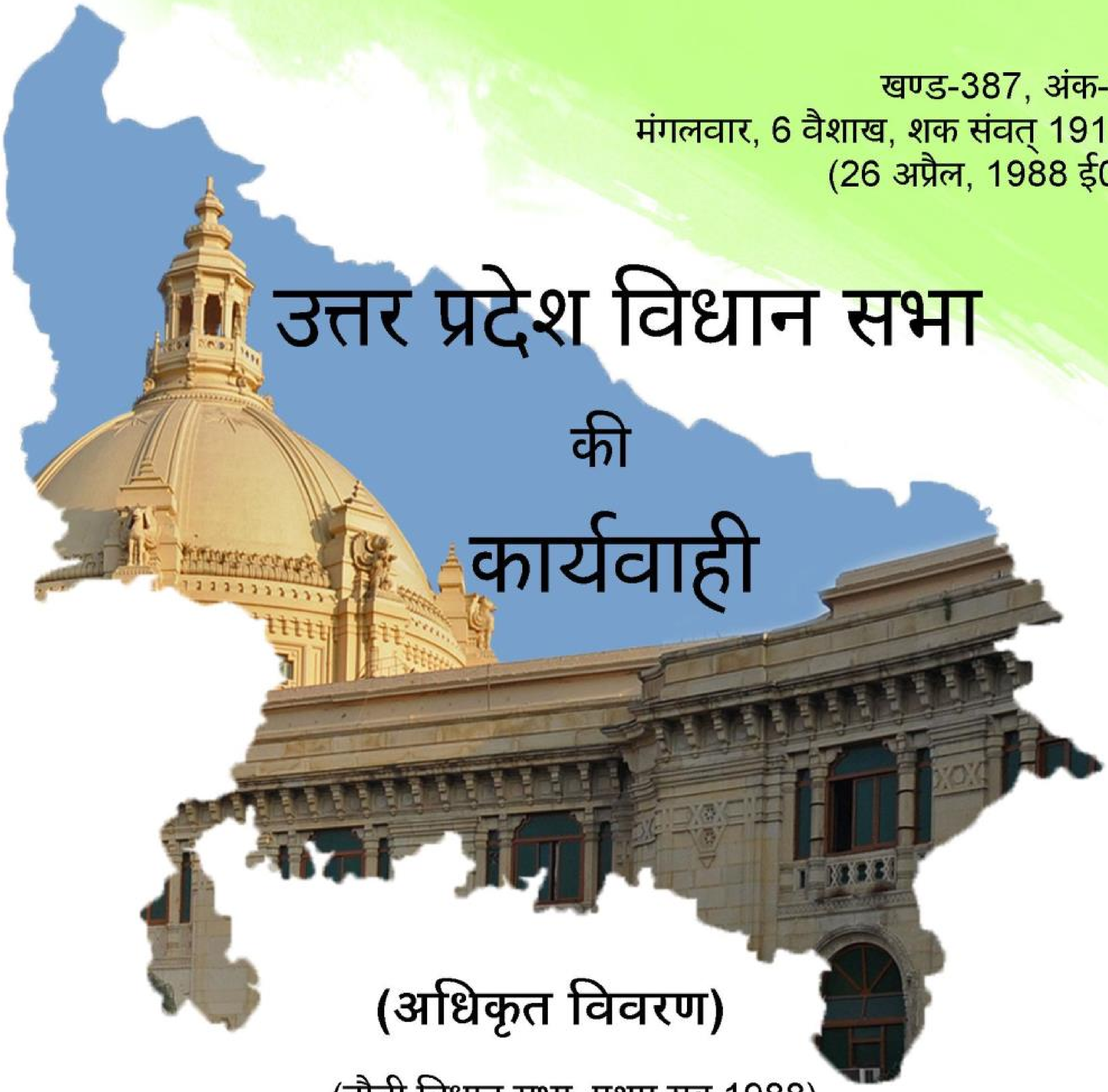

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1988)

खण्ड 387 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1
प्रश्नोत्तर ..	3–67
बरेली महानगर में चावल पर आधारित कुटीर उद्योग धन्धों पर निर्भर परिवारों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67–68
प्रदेश के होमगार्ड्स सिपाहियों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
अल्मोड़ा जनपद के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
जिला झांसी के कस्बा एरच के कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	69
जिला आजमगढ़ के फूलपुर थाने की पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र नाथ गुप्त तथा उनके पुत्रों को गैर कानूनी रूप से निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	69–70
खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लि0, बस्ती में मैनेजर द्वारा चीनी की बिक्री में जिलाधिकारी, बस्ती की सांठ-गांठ से घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	70
गोरखपुर जिलान्तर्गत ब्लाक पिपराइच के ग्राम भोगलपुरा में राजस्व वसूली में अनियमितता एवं किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	70–71
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें ..	71
पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शासन द्वारा कार्यान्वयन न किये जाने विषयक उठाये गये औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	71–74
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (जनवरी से दिसम्बर, 1985) (पटल पर रखा गया) ..	74
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (जनवरी से दिसम्बर, 1985) को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति ..	75–77
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987–88) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ..	77
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति (1987–88) का 52वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ..	77

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	77-104
उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 (अस्वीकृत) ..	104-124
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	124-125
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 (अस्वीकृत) ..	125-135
यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन, इटावा के आर0 एम0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	135
टनकपुर (नैनीताल) पूर्णागिरि यात्रा में पेयजल तथा सफाई व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	135
बांदा जनपद के अतर्रा थानान्तर्गत श्री शिव प्रसाद गुप्त के परिवार पर अराजकतत्वों द्वारा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	135-138
इलाहाबाद जनपद में हुई हत्याओं एवं लूट की घटनाओं से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	138-142
लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज-शास्त्र के शोध-छात्र श्री देवकुमार मिश्र की हत्या किये जाने विषयक वक्तव्य का अंग्रेजी लिपि के प्रयोग से स्थगन ..	143
प्रशासक, नगरपालिका, अलीगढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सफाई कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	143-144
कोरम के अभाव में सदन का स्थगन ..	144-145
तिथियां ..	147-150

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 1988 ई0

विधान सभा की बैठक, सभा मंडल लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
आर0 एन0 पाठक, श्री (कानपुर)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमल किशन पाण्डेय, श्री (पिथौरागढ़)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बहादुर सिंह, श्री (आगरा)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
राम जनम, श्री (आजमगढ़)
विमला सिंह, श्रीमती (गाजियाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण नीति

**1--श्री मित्रसेन यादव, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 जनवरी, 1988 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1988 द्वारा गठित बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण नीति को लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों एवं कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के पद पर नियुक्ति सेवायोजन की श्रेणी में नहीं आता है । अतः इन पर नियुक्ति हेतु आरक्षण नीति लागू करने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार भर्ती के समय आरक्षण नीति को लागू करने का अवसर उत्पन्न होगा ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो नियम हैं, उसमें भी न इन्होंने बोर्ड के सदस्यों के चयन में, जो इनकी नीति है कि सामानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, उल्लेख किया है और जो कर्मचारियों के लिए नियमावली बनायी गई है उसमें भी इन्होंने आरक्षण की बात नहीं कही है । चूंकि नियमावली में कर्मचारियों के लिए आरक्षण की बात नहीं कही गई और न बोर्ड के सदस्यों में सामानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात है, इसलिए मैंने यह प्रश्न शासन से किया था ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लें ।

श्री मित्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इनकी शासन की नीति है कि किसी भी चयन बोर्ड में सामानुपातिक दृष्टि से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे, उस नीति को इस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में लागू करना सुनिश्चित करेंगे ? बोर्ड के कर्मचारियों की जो आरक्षण की नीति है, उसको भी सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है, जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है जो भी नीति होगी आरक्षण की, उसका पालन किया जायेगा । परन्तु, जहां

तक सदस्यों की बात है, जो स्थिति है बड़ी स्पष्ट है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसमें आधे सरकारी लोग होंगे और आधे गैर सरकारी लोग होंगे। चूंकि यह पूरी तरह से संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और केन्द्रीय अधीनस्थ चयन बोर्ड जो बने हैं, उसी के पैटर्न पर बनाया गया है, उन्हीं का भार कम करने के लिए बनाया गया है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में कहीं भी आरक्षण नहीं है। इसलिए इसमें करने या न करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजकिशोर सिंह--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि बोर्ड किस लिए बना है, इसका उद्देश्य क्या है और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक लम्बी व्यवस्था थी, काफी समय लग रहा था, काफी बड़ी संख्या में चयन का भार था, उनके चयन में 5 से 7 साल तक का भी समय लग जाता था, अभ्यर्थियों की संख्या एक लाख से ऊपर जा चुकी थी, उसका भार कम करने के लिए, जो क्लास-3 की भर्ती है, उनके चयन के लिए इस आयोग का गठन किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, शासन की नीति में विरोधाभास साफ जाहिर है। जब किसी भी जिले में कोई भी चयन होता है तो जो शासन की नीति है कि आरक्षण सुनिश्चित हो, इसके लिए अधिकारियों का बोर्ड बनाया जाता है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारी भी रखे जाते हैं, बैकवर्ड के अधिकारी भी रखे जाते हैं। जब यह स्थिति जिला स्तर पर है चयन करने के सिलसिले में तो फिर बोर्ड में इस स्थिति को कायम न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। यह जिले का चयन नहीं हो रहा है, प्रदेश का चयन हो रहा है। प्रदेश के चयन के लिए आयोग बना हुआ है। लोक सेवा आयोग उसमें आरक्षण नहीं होता है और उसी के पैटर्न पर यह बनाया गया है, उसका भार कम करने के लिए यह बनाया गया है, उसी के अन्तर्गत बनाया गया है, अतः इसमें आरक्षण नहीं रखा गया। लेकिन, यह बता देना चाहता हूं कि जब यह नियुक्ति करेंगे क्लास-3 की, उसमें जो आरक्षण की नीति होगी, उसका यह पालन करेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, भारतीय संविधान की मंशा के अनुकूल चयन बोर्ड में और अधीनस्थ चयन कर्मचारियों को रखने में आरक्षण की नीति का परिपालन होगा, इसी दृष्टि से यह प्रश्न था। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जो चयन बोर्ड की नियमावली है उसमें आरक्षण का उल्लेख नहीं है, तो अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा में आरक्षण की नीति को सुनिश्चित करेंगे तथा जो चयन बोर्ड के सदस्य बनाये जाते हैं, उनमें संविधान की मन्शा के अन्तर्गत चयन बोर्ड में लाने के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण संविधान के अन्तर्गत ही किया गया है और संविधान के तहत ही लोक सेवा आयोग और संघ

लोक सेवा आयोग में किसी तरह का आरक्षण नहीं रखा गया है और यह उसी के कार्य को करने के लिए इसका गठन किया गया है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है, माननीय सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए, जो भी कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी, उनमें संविधान की इच्छा के मुताबिक आरक्षण की नीति का कड़ाई से पालन किया जायगा ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, प्रश्न को देख लें, उसमें बात सदस्यों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है । जो यह बोर्ड बनाया जा रहा है, उसमें सदस्य भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे । तो प्रश्न यह है कि इस चयन बोर्ड के गठन में सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण की नीति का पालन किया जायगा या नहीं किया जायगा ? मंत्री जी बार-बार उत्तर दे रहे हैं कि उसमें लागू नहीं होता है । मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इसको लागू कर रहे हैं, वह ही आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं । जो कमेटियां बनती हैं, उसी में इसका पालन नहीं होता है जो लोग चयन बोर्ड के सदस्यों में आरक्षण लागू करायेंगे, उनको न लिए जाने का क्या कारण है ? सदस्यों की नियुक्ति में यह आरक्षण क्यों लागू नहीं करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं । मैंने यह कहा था कि सदस्यों के चयन में जो गठन होगा, उसमें आरक्षण नहीं होगा । जो उस आयोग के कर्मचारी नियुक्त होंगे उसमें आरक्षण नीति का पालन किया जायगा । इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि जो, चयन के लिए हम यहां से अभ्यर्थना भेजेंगे, उसमें हम पूरा ख्याल रखेंगे कि आरक्षण नीति का पूरा पालन हो । इसमें 6 सदस्य होंगे और तीन बोर्ड बनेंगे । मान्यवर, जब भी संघ लोग सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां होती हैं, आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थना यहां से भेजी जायेगी, उसमें भी आरक्षण की नीति का पूरा ध्यान रखा जायेगा लेकिन सदस्यों के चयन में हम आरक्षण नीति का पालन नहीं कर पायगे, ऐसा संविधान में प्राविधान नहीं है ।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा आपने बताया है कि बोर्ड में गैर सरकारी और सरकारी सदस्य होंगे । तो इन गैर सरकारी सदस्यों के क्या नाम हैं और सरकारी सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी सदस्य पैदा ही नहीं हुए हैं तो नाम कैसे बता दूं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से बार-बार प्रश्न किया जा रहा है कि जो बोर्ड बनेगा, उसके बारे में यह कहते हैं कि उसमें आरक्षण का प्राविधान नहीं है । अभी तक जो हमारे प्रदेश में देखने में आया है, सभी विभागों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, चाहे वह हरिजनों का हो या माइनारिटीज का हो । बराबर यह प्रश्न उठता रहा है कि यह कोटा पूरा क्यों नहीं है । जो चयन बोर्ड है, उसमें 6 सदस्य होंगे, उसमें आरक्षण सुनिश्चित करने की बात की जा रही है । जब चयन बोर्ड में सभी वर्गों के प्रतिनिधि नहीं होंगे, तो चयन करने में भी भेदभाव बरता जायेगा अतः पूरे

प्रदेश में चयन बोर्ड के अन्दर सदस्यों का जो समानुपातिक अनुपात होता है, उसे प्रदान करने के लिए नियमावली में प्राविधान करेंगे या नहीं, और जो कर्मचारियों के बारे में नियमावली बनाई गई हैं उसमें समानुपातिक आरक्षण की नीति लागू करने के बारे में माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, पूर्व में भी माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर चुका हूं कि सदस्यों के बारे में हम आरक्षण नहीं कर पायेंगे। संविधान के तहत संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में यह नहीं है। लोक सेवा आयोग के कार्य के निपटारे के लिए ही यह अधीनस्थ चयन आयोग का गठन किया गया है। जहां तक कर्मचारियों की बात है, उसे यहां पर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, उसमें कितना आरक्षण होगा, यह तो पहले से ही स्पष्ट है कि जब राज्य कर्मचारियों का चयन होगा तो उसमें आरक्षण की एक निश्चित संख्या होगी। जिस समय अभ्यर्थना भेजी जाती है, उसी समय यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि इतने पद साधारण कैटेगरी के होंगे और इतने आरक्षण के होंगे। स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। सदस्यों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता है। चयन में आरक्षण का ध्यान अवश्य रखा जायेगा।

बरेली जनपद के कैन्ट थाना क्षेत्र के सेवा निवृत्त सूबेदार किशन सिंह की पुत्री का अपहरण

*2—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद के थाना कैन्ट क्षेत्र से एक सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार किशन सिंह की नाबालिग पुत्री तुलसी विष्ट का अपहरण कर लिया गया था जिसकी रिपोर्ट 27 फरवरी, 1988 को लिखा दी गई थी किन्तु अभी तक उक्त बालिका का पता नहीं चला है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि अपहरणकर्ता कुमारी विष्ट का धर्म परिवर्तन कराकर उससे जबरदस्ती शादी कर उसे खाड़ी के देशों में निर्यात करने की योजना बना रहे हैं ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

तारीख 27 फरवरी, 1988 की रात को 2-30 बजे श्री किशन सिंह सेवानिवृत्त नायब सूबेदार, बरेली में पुलिस थाना कैन्ट को यह लिखित सूचना दी कि उनकी पुत्री कु0 तुलसी को तारीख 26 फरवरी, 1988 की रात को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। इस पर तीन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 363/366 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है। कुमारी तुलसी को बरामद कर लिया गया है और उसे उसके पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। मुख्य अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया गया है और उसके कथनानुसार कु0 तुलसी ने धर्म परिवर्तन कर उससे विधिवत शादी की है।

इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है कि कु0 तुलसी को किसी खाड़ी के देश को भेजने की योजना थी।

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर प्राप्ति की तिथि के बाद जिले से यह सूचना प्राप्त हुयी है कि 23 अप्रल को इसमें चार्जशीट लगा दी गयी है और आरोप-पत्र न्यायालय में भेज दिया गया है।

डाक्टर दिनेश जोहरी—

मान्यवर, यह कु0 तुलसी बिष्ट सेन्ट्रल स्कूल बरेली की छात्रा थी कक्षा 9 में पढ़ती थी और बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। स्पोर्ट्स में भी इसकी एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटीज थीं और पढ़ाई में बहुत तेज थी। जब इसका अपहरण कर लिया गया तो इसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई, लेकिन एक महीने तक पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसके पिता, नगरवासी मिले और महिलाओं ने एस0 एस0 पी0 का घेराव किया तथा एक माननीय सदस्य ने जब 301 में यह मामला उठाया तब लड़की को रिकवर किया गया। मेरा माननीय मंत्री जी से पूछना है कि इतनी देर क्यों लगाई गई? दूसरा, यह कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभियुक्त ने कहा है कि उसने धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ली है। क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी निश्चित जानकारी है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर अभियुक्त के कहने पर मान लिया है। तीसरा, मेरी यह निश्चित जानकारी है कि जब कु0 तुलसी बिष्ट को जिलाधीश, मुरादाबाद के यहां पेश किया गया तो उसकी आयु 19 साल की थी जबकि वह माईनर थी, जब सी0 एम0 ओ0 ने रिपोर्ट दी तो उम्र 21 साल बताई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का झूठा सार्टिफिकेट कैसे प्रस्तुत कर दिया गया 16 साल की लड़की को 21 साल का कैसे बता दिया गया?

अगर उन्होंने बताया तो जिलाधीश, सी0 एम0 ओ0 और पुलिस के अगेन्स्ट जिन्होंने माईनर को मेजर के रूप में प्रस्तुत किया और उसके विवाह कराये जाने की जानकारी भी क्या माननीय मंत्री जी को है या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, उपलब्ध सूचना के अनुसार उसने स्वयं अपनी आयु कहीं 22 वर्ष और कहीं 25 वर्ष बतलायी है। उसने सी0 एम0 ओ0 के यहां अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी जबकि सी0 एम0 ओ0 ने उसके लिये कहा है कि इसे 19 वर्ष से अधिक को नहीं कहा जा सकता है। मान्यवर, उसने मुरादाबाद में जिलाधिकारी के यहां अभ्यावेदन दिया कि मेरे पिता मुझसे गलत काम कराना चाहते थे मैंने उसका विरोध किया और अब धर्म परिवर्तन करके सलीम नामक व्यक्ति के साथ मैंने अपना विधिवत विवाह कर लिया है। मैंने अपनी शादी कर ली है और धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम धर्म के मुताबिक अपना निकाह सलीम नामक व्यक्ति के साथ कर लिया है। मेरे पास उसकी शादी की सूचना यह है कि मुझे उसके निकाह की फोटो स्टेट कापी उपलब्ध करायी गयी है। उसके बाद उसका बयान जुडीशियल मैजिस्ट्रेट (2) के यहां हुआ उसमें उसने कहा है कि उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके अपने सही बुद्धि व विवेक से मैंने अपनी शादी सलीम से की है और उसके साथ अमला में रहती हूं।

डाक्टर दिनेश जोहरी—

फिर इस लड़की की तलाश करने और उसके बारे में सूचना आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष—

सूचना आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

ऐसे मामलों में देर तो लगती ही है, इसमें बहुत भागना और दौड़ना पड़ता है। पुलिस कई तरह से इसको देखती है। अब जब उसने शादी कर ली है तो सारा मामला ऐसे ही समाप्त हो जाता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वह लड़की विद्यालय में पढ़ रही थी। मैजिस्ट्रेट के यहां उसने बयान दिया जिसमें उसने कहा कि मैं पढ़ी-लिखी लड़की नहीं हूं, जबकि वह कक्षा 9 की छात्रा थी। यदि उस लड़की ने यह एफीडेविट दिया है कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं तो यह साफ जाहिर करता है कि उसके ऊपर दबाव था चूंकि यह धर्म परिवर्तन करने का मामला था और इसी वजह से दबाव बना हुआ था और उसी आधार पर यह माननीय मंत्री जी की कहानी है। क्या माननीय मंत्री जी इन तथ्यों से आश्वस्त हो गये हैं कि धर्म परिवर्तन के लिये उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की गयी? क्या आपने इन तथ्यों की जांच करायी है? यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, स्वयं उस लड़की का बयानहल्फी देना स्वयं उस लड़की का अपने पिता के खिलाफ उससे गलत काम कराने का आरोप लगाना, सी0 एम0 ओ0 के यहां अपनी उम्र की पुष्टि करना और फिर उसके द्वारा यह कहा जाना कि मैं पढ़ी-लिखी हूं और अपने बुद्धि और विवेक से मैंने शादी की है, यह सब बातें हैं जो कि सामने हैं। माननीय सदस्य की भावना को देखते हुये उसको उसके पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। जिसके साथ उसका निकाह हुआ था या उसने जिसके साथ निकाह किया था उसके साथ उसको नहीं भेजा गया है बल्कि उसको अपने पिता को सौंपा गया है।

श्री जय नारायण तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, जिस जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दिया है, उनका नाम क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, नाम तो इसमें नहीं है, केवल इसमें इतना दिया है कि जे0 एम0 द्वितीय, बरेली मुकदमा नं0 256/88, बनाम तुलसी और उसके बाद उसके पिता का नाम है, बस इसमें केवल इतना ही दिया है जो काफी है।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, यह तो माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह बरेली कालेज सेन्टर की नवीं कक्षा की छात्रा थी, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने उस स्कूल द्वारा भी उसकी आयु से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है और दूसरे यह कि लड़की के पिता की ओर से भी उसकी आयु से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है या बयान के दौरान उसके पिता ने उसकी आयु कुछ बतायी है यदि हां तो कृपा करके इन दोनों प्रमाण-पत्रों को सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

उसके पिता की ओर से तो हमें कोई आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु बरेली कालेज की ओर से जो सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है कि :

"इट इज सर्टिफाइड दैट कु० तुलसी वाज ए स्टूडेंट आफ आवर स्कूल एन्ड हर डेट आफ बर्थ इज 2-6-71 एज पर आवर आफिस रिकार्ड"

श्री अध्यक्ष--

इसका अनुवाद भी कर दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, अनुवाद यह है कि प्रमाणित किया जाता है कि कु0 तुलसी इस विद्यालय की छात्रा थी और स्कूल के रिकार्ड के अनुसार उसकी जन्म-तिथि 2 जून, 1971 है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जो कालेज का सार्टिफिकेट है, उसके हिसाब से और जो सर्टिफिकेट उसके पिता ने दिया है उसके हिसाब से वह लड़की अवयस्क है तो इन सबको देखते हुए जो पुलिस ने चार्ज-शीट सब्मिट की है उसमें उसे व्यस्क माना गया है या अवयस्क, इसे कृपया बताने का कष्ट करें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं चाह रहा था कि सदन को कल लेटेस्ट सूचना दी जाये इसलिए कल रात ही बरेली पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया, परन्तु यह केवल मालूम हो सका कि वह चार्जशीट सब्मिट हो चुकी है, लेकिन यह मालूम नहीं हो सका कि उसमें क्या लिखा गया है, इसलिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, 27 फरवरी, 1988 को कु0 तुलसी का अपहरण हुआ है इसके बाद माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें कि कु0 तुलसी ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने कब दिया यह बयान उसने अपहरण के पहले दिया है या अपहरण रहते हुए जिसने उसे अपहरण किया है उसकी मौजूदगी में दिया है उसके दबाव के कारण और दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपके अनुसार कि उसने प्रार्थना-पत्र दिया है कि मेरा पिता मुझसे गलत काम कराना चाहता था उसकी इस बात को सही मानकर अथवा उसके पिता ने जो बयान दिया है, उसकी बात को आधार मान कर कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

अपहरण की तिथि से पहले उसने यह बयान अदालत में दिया है 25 मार्च, 1988 को।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, अपहरण तो इससे पहले हुआ है फरवरी में।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, यह लड़की नाबालिग है इस सम्बन्ध में मेरी निश्चित जानकारी है, मैंने इस मामले को नियम 56 में भी उठाया था क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा लड़कियों को खाड़ी के देशों में ले जाया जा रहा है, इसे रोकने के लिए इन सब बातों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक यह मामला यहां तय न हो जाये तब तक इस लड़की का पासपोर्ट नहीं बने ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

अब चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये मैं आगे की किसी भी बात को किस प्रकार से कमेंट कर सकता हूं, यह हमारे लिये संभव नहीं है । यह सभव नहीं है कि इस तरह का कोई आश्वासन दिया जा सके।

[उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सचिवालय कालोनी इंदिरानगर सेक्टर 4 के दरवाजों के बदलने तथा अवर अभियन्ता द्वारा सरकारी धन के गबन विषयक शिकायती-पत्र पर जांच

*1--श्री शारदा प्रताप--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय कालोनी इन्द्रानगर सेक्टर 4, लखनऊ में रह रहे लोगों की ओर से कोई शिकायती-पत्र पुराने दरवाजों के बदलाव तथा अवर अभियन्ता द्वारा सरकारी धन के गबन के सम्बन्ध में जांच हेतु 2 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर जांच करा ली गई है ।
जांच पूरी हो चुकी है । जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस शिकायती-पत्र के बिन्दु क्या हैं और किस अधिकारी से उसकी जांच कराई जा रही है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जांच रिपोर्ट परीक्षण में है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका परीक्षण कब तक करा लिया जायेगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

इसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और उसका परीक्षण चल रहा है और जब इसका परीक्षण समाप्त हो जायेगा तो इसको हम स्वीकार करेंगे । मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो देखा गया है, उसमें कुछ कमियां हैं इसलिए इसकी विस्तृत जांच फिर हम कराने जा रहे हैं । इसकी जांच अभी अधिशासी अभियन्ता ने की है और अब हम अधीक्षण अभियंता से करायेंगे ।

*2--श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री मूल चन्द तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[दिनांक 22 मार्च, 1988 को अतारांकित प्रश्न संख्या 106 द्वारा उत्थरित ।]

बस्ती सहित कतिपय अन्य जनपदों के न्यायालय के कार्य-समय में परिवर्तन की मांग

*3--श्री धनराज यादव--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बस्ती जिला सहित 22 जिलों में न्यायालय का कार्य मई, जून के महीने में प्रातः से दोपहर तक कर दिया गया है, जिसके कारण इन जिलों में वादियों को दूर-दूर से न्यायालय के कार्य से आने-जाने में एक दिन के स्थान पर 3 दिन लग जाता है ? यदि हां, तो क्या जनहित को दृष्टिगत रखते हुये सरकार अन्य जिलों की तरह इन 22 जिलों में भी न्यायालय का कार्य इस वर्ष मई, जून में 10 बजे से आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

बस्ती जिला सहित 22 जिलों (जिनके विवरण संलग्न हैं) में जनहित में न्यायालयों के कार्य का समय दिनांक 1 मई से 30 जून तक की अवधि में प्रातः से दोपहर तक कर दिया जाता है । अभी तक उक्त व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कोई प्रत्यावेदन प्राप्त होने की सूचना नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 147 पर ।)

श्री धनराज यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के 57 जिलों में से 22 जिलों में प्रातः न्यायालय लगते हैं और शेष जिलों में 10 से 5 बजे तक लगते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 22 जिलों में समय परिवर्तन का क्या आधार माना गया है । मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस तरह का आधार माना है, तो बस्ती में और देवरिया में प्रातः न्यायालय लगते हैं और गोरखपुर में 10 बजे से 5 बजे तक लगते हैं । तीसरी बात यह है कि जो बड़े-बड़े महानगर हैं उनमें वाराणसी को छोड़कर सभी जगह पूर्वतः लगते हैं और जितने देहाती क्षेत्र के जिले हैं उनको परेशान करने के लिए ऐसा नियम सरकार ने बना दिया है कि महानगरों में 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय लगेंगे और देहाती जिलों में प्रातः से दोपहर तक लगेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री धनराज यादव--

मान्यवर, इसका आधार क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, वह जनपद जिनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है । उनमें यह किया गया है । यही एक मापदण्ड है और कोई नहीं है पहले भी इस तरह की बात उठी है और उठती रही है । 1976 में एक बार यह निर्णय लिया गया कि जहां पर सुबह का न्यायालय है वहां पर पूरे समय का कर दिया जाय । लेकिन 1976 में जब यह मामला फिर उठा तो बहुत से प्रत्यावेदन आये और बार असोशियेशन ने भी लिखा कि जो सुबह

का समय था उसको बदला न जाय, तो जनता की मांग पर यह किया गया है। यही माप दण्ड है कि जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर सुबह का न्यायालय लगता है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं, एक तो आपने यह कहा कि बार एसोसियेशन की रिपोर्ट के आधार पर समय बदला गया है। बार एसोसियेशन से प्रार्थना-पत्र मिला और आपने टाइम बदल दिया और दूसरा आधार माना है गर्मी का, तो मान्यवर, गर्मी का जो आधार है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी आगरा में पड़ती है और वहां पर 10 बजे का टाइम है। इसलिए आपकी बात झूठी हो गई। आपने कहा कि बार एसोसियेशन के रिप्रिजेन्टेशन पर टाइम बदला है। मैं जानना चाहता हूं कि यह नीति सम्बन्धी मामला है आप इसमें केवल बार एसोसियेशन या वहां पर कलेक्ट्रेट में काम करने वाले लोगों पर ही आधारित रहेंगे या आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि शासन समान नीति के आधार पर पूरे प्रदेश में एक जैसी व्यवस्था लागू करने की कृपा करेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह की कन्ट्रोवर्सी और विभिन्न प्रकार के विचार हाई-कोर्ट के सामने आये और इस विषय पर फुल हाई-कोर्ट बैठी। उसमें डिसकशन हुआ, विचार-विमर्श हुआ और चूंकि बहुमत इस बात के पक्ष में था कि जैसी व्यवस्था चल रही है उसी तरह से यह होना चाहिये जितने रिप्रिजेन्टेशन थे सिर्फ बार एसोसियेशन के ही नहीं बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों के तथा जन प्रतिनिधियों के भी थे, उन सब को लेकर हाई कोर्ट बैठी और उसमें यह निर्णय लिया गया। मान्यवर, चूंकि यह हाई कोर्ट की व्यवस्था है इसमें ज्यादा हम फेर बदल करने के अधिकारी नहीं हैं। शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में फेर बदल नहीं हो सकती। वैसे आप आगरे में चाहते हों तो उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि तापमान ही इसका आधार है। मैं जानना चाहता हूं कि नेपाल की तराई और सरजू नदी के बीच में 5 जिले आते हैं --बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया। मंत्री जी ने टाइम बदलने के लिए तापमान का उल्लेख किया है। मेरी सूचना को सही मान लें कि बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया में समान तापमान है तो क्या कारण है कि बस्ती और देवरिया के समय में परिवर्तन कर दिया और बहराइच, गोंडा और गोरखपुर का टाइम पूर्ववत रखा। यदि तापमान ही आधार है तो बस्ती और देवरिया में प्रातः कालीन करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। क्या बस्ती के समय में आप पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

हम हाई कोर्ट को लिख देंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं जैसा कि आपने कहा कि आगरे में समय बदलने की अगर हम मांग करें तो उस पर विचार किया जा सकता

है । मैं विधायकों की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि आगरे में गर्मियों में सुबह के टाइम करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जी हां, इस पर विचार कर लेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तारांकित प्रश्न

*1--श्री शतरुद्र प्रकाश--

[9वें मंगलवार के लिये स्थागित]

श्री सुखदेव पाण्डेय, ग्राम बहड़ा सुल्तानपुर, थाना कोतवाली, फैजाबाद की रिपोर्ट न दर्ज करने पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

*2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 31 मई, 1987 को सुखदेव पाण्डे, निवासी ग्राम बहड़ा सुल्तानपुर, थाना कोतवाली, फैजाबाद, जनपद फैजाबाद द्वारा उच्च अधिकारियों से यह शिकायत करने पर कि कोतवाल फैजाबाद के अनुचित हस्तक्षेप से कोतवाली में उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने उसे जिप्सी संख्या यू0 एच0 यू0 4248 द्वारा दिन में लगभग 11 बजे कोतवाली फैजाबाद रिपोर्ट लिखने के लिये भिजवाया था लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखने के बजाय कोतवाल ने उसे ही धारा 151 जा0 फौ0 में बन्द कर दिया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त बात की शिकायत होने पर पूरे तथ्यों की जांच एक उप पुलिस अधीक्षक द्वारा करायी गयी और जांच आख्या के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने दिनांक 19 अक्तूबर, 1987 को एक आदेश पारित करके तत्कालीन प्रभारी पुलिस निरीक्षक, थाना कोतवाली, फैजाबाद श्री त्रिभुवन प्रसाद बनौधा तथा अन्य दो पुलिस कर्मियों को धारा 342/193/218/466/109/504, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत तलब कर लिया है और अपने उक्त आदेश की एक-एक प्रति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी भेजा है ? यदि हां तो अभी तक उक्त दोषी पुलिस कर्मियों के निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जी हां ।

सम्बन्धित पुलिस कर्मियों द्वारा न्यायालय से जमानत करा ली गई है । दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि इस मामले की जांच किस पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई थी और उस जांच आख्या का सारांश क्या है ? वह जांच आख्या आपको कब प्राप्त हुयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, उप अधीक्षक त्रिपाठी ने उसकी जांच की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि उसमें कुछ पुलिस कर्मियों ने जिसमें इन्सपेक्टर कोतवाली भी शामिल हैं, गल्ती की है। जो शिकायत की गई है लगभग उसकी पुष्टि जाँचकर्ता सी0 ओ0 ने की।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किन-किन लोगों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने के आदेश किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं और अभी तक दोषी लोगों को निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसमें विभागीय कार्यवाही करने के लिये शासन स्तर पर लिखा गया है। यह स्वीकार किया है, जांच अधिकारी ने बताया है कि इसमें गलती की है। इस गलती को देखते हुये जो भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है वह दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध इंस्पेक्टर को इनक्लूड करके की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

सीधा प्रश्न है जब इंस्पेक्टर कोतवाली ने जानबूझ कर न केवल रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की, डि0 वाई0 एस0 पी0 के निर्देशों की अवहेलना की बल्कि उस आदमी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कर चालान करा दिया। तो जब यह साबित हो गया है कि अभिलेखों में हेराफेरी हुई है और शिकायतकर्ता के विरुद्ध मुकदमा फर्जी कायम किया है और वह आदमी जमानत पर छूटा हुआ है। तो इन सारी जानकारी के बावजूद ऐसा दुष्कर्म करने वाले पुलिस कर्मियों को निलम्बित न करने का क्या कारण है और जो विभागीय कार्यवाही करने की बात कही गयी है वह क्या है उसकी डिटेल माननीय मन्त्री जी बतायेंगे ? वर्ना इस तरह चलेगा तो हद हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसी परिपेक्ष में एक जांच अधिकारी, जो डी0 वाई0 एस0 पी0 रैंक का है, ने शिकायतों की पुष्टि की है। तो उसी सन्दर्भ में लिखा है कि उनके खिलाफ विभागीय आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। अब रिपोर्ट को एक्जामिन किया जायेगा उसके बाद जो भी सजा हो सकती है दी जायेगी किसी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह अपराध कोई साधारण नहीं है। इसकी जांच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने की और उसने पाया कि इंस्पेक्टर कोतवाली ने गलती की है और एस0 एस0 पी0 के आदेशों की भी अवहेलना की है और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को फर्जी मुकदमें में फंसाया

गया है । इतनी अनुशासनहीनता उसने की है अपने विभाग के आदेशों की अवहेलना की है । तो अब उस पर क्या परीक्षण करेंगे । यह सिद्ध हो गया है कि वह गम्भीर दोषी है उसे तत्काल निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

शासन से अभी इसमें लिखा गया है । मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ निश्चितरूप से कार्यवाही होगी और उस कार्यवाही से आप संतुष्ट होंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जब प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में ही शिकायत की है कि अमुक तारीख को अमुक आदमी जो रिपोर्ट लिखाने गया उसकी रिपोर्ट न लिख कर उसे ही 151 में चालान कर बन्द कर दिया । इसकी शिकायत फिर गृह सचिव से की गयी उसकी जांच करने के बाद निरीक्षण किया गया तो उसका चालान झूठा पाया गया । इस प्रकार उसने अनियमिततायें बरती हैं । अब इसमें कौन बात रह गयी है । इसमें स्पष्ट बतायें कि कौन सी कार्यवाही आप करने जा रहे हैं और रिपोर्ट न लिखने वाले को कौन सा दंड देने जा रहे हैं । जिस जांच अधिकारी ने जांच की है उस जांच के मुख्य बिन्दु सारांश में क्या हैं और उसने पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की संस्तुति की है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, नेचुरल जस्टिस में भी बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई सजा नहीं दी जाती है । सामान्य प्रक्रिया में जब मुलजिम को जज द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उससे यह पूछा जाता है कि तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है । तो यह तो निश्चित है कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । लेकिन उसे अपना स्पष्टीकरण देने का मौका एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में तो देना होगा ।

श्री रघुबर दयाल बर्मा--

मान्यवर, स्पष्ट पूछा है कि जिस अधिकारी न जांच किया और आपको कार्यवाही के लिये लिखा, और आप कहते हैं कि कार्यवाही करेंगे, तो मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जांच के सन्दर्भित बिन्दु क्या हैं ? किन-किन बिन्दुओं पर आपको सजा देने के लिये कहा गया है और आप किन-किन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि दूसरे पक्ष को जिसको सजा दी जाती है, तो सजा देने से पहले पूछा जाता है कि आपको क्या कहना है, तो स्पष्टीकरण अवश्य लेना होगा । किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होगा कि किसी को बिना स्पष्टीकरण लिये ही सजा सुना दी जाये । तो यही सब बिन्दु हैं जो रिपोर्ट में आये हैं क्योंकि उसने यह गल्तियां की हैं और उसका स्पष्टीकरण लेना आवश्यक है और उसके बाद उसे दंडित किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, हमें आप संरक्षण प्रदान करें । श्री तिवारी जी ने सारे तथ्य लिखा दिये हैं, दफायें लिख दिया है तो उसमें आपने क्या कार्यवाही किया । उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो यह कार्यवाही निलम्बन के लिये पर्याप्त थी लेकिन आपने यह कार्यवाही

नहीं की । इसका मतलब है कि उसे आप संरक्षण दे रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जितनी शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं उसके बाद आपने उसके विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही किया है ? यदि नहीं किया है तो प्राइमा फेसाई केस में आपकी बात को सच मान लें तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, उसका वहां से तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया गया है, अब वहां नहीं है और उसके अलावा उसका स्पष्टीकरण लिया जायेगा ।

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 19 अक्तूबर, 1987 को जो पत्र लिखा है डी0 जी0 पी0 को उसके तथ्य क्या हैं वह बता दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

उस पत्र का निचोड़ है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह पहली शिकायत नहीं है, इसलिये माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर बल दिया जाये और कार्यवाही की जाये । यह आम परिपाटी है कि रिपोर्ट पहले तो थाने में लिखी नहीं जाती है और लिखी जाती है तो फर्जी लिखी जाती है, इसलिये इस पर बल दिया जा रहा है, यह हर थाने की बात है । मान्यवर, हमारे सामने सजा देने के दो तरीके हैं या तो अधिकारी या सरकार सजा दे और सरकार में आपसे ज्यादा अधिकार किसी के पास नहीं है, मंत्री जो भी कहते हैं कि हम सजा नहीं दे सकते हैं, तो हमारे लिये दूसरी जगह सजा दिलाने के लिये नहीं बचती है । तो जानना यह है कि प्राईमाफेसी केस बन गया और साबित हो गया कि यह दोषी है, इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया होगा । सी0 ओ0 ने जब इंक्वायरी की होगी, तो चार्जेज फ्रेम किये होंगे, इससे यह जाहिर है कि स्पष्टीकरण मिला होगा, क्या जानकारी देंगे कि उसने लिखित या जबानी क्या स्पष्टीकरण दिया ? स्पष्टीकरण के बाद ही सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि वह दरोगा दोषी है, तो फिर भी उसे सजा न देने का सरकार के पास औचित्य क्या है ? नहीं दे सकती है तो सरकार यह बताए कि उसके बाद कौन सी एजेंसी है, जो उसे सजा दे सकती है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

यह नेचुरल कोर्स आफ जस्टिश की बात है और मुनासिब प्रक्रिया की बात है । विजीलेंस भी चार्जशीट देता है किसी को तो उसके बाद भी यह डिपार्टमेंट के पास जाता है और वह उसको एक्जामिन करता है और उसके बाद स्पष्टीकरण लेते हैं, उसमें अलग से एक जांच अधिकारी नियुक्त होता है और उसके खिलाफ अलग से एक प्रोसीडिंग इनीशिएट होती है । यह हर विभाग में है और यही प्रक्रिया है । आप निश्चिन्त रहें, इसमें निश्चित रूप से उसको कोई न कोई दण्ड दिया जाएगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

एस0 एस0 पी0 ने उस आदमी को भेजा कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए, फिर भी इंस्पेक्टर कोतवाली ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उल्टे उसका फर्जी चालान कर दिया और यह बात जांच में भी सही पायी गई, जिस पर बाद में मुख्य न्यायिक अधिकारी ने उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा, अब इतनी बातें होने के बाद भी यदि

सस्पेंशन का केस नहीं बनता है तो सरकार के पास कौन सा मानक है, जिनके सिद्ध होने के बाद आप किसी पुलिस कर्मचारी को निलम्बित करने की कार्यवाही करते हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मैंने अभी निवेदन किया यह एक प्रक्रिया है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो अपनानी ही होगी, उसके बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। प्राईमाफेसी होने के बाद ही तो यह प्रक्रिया शुरू होती है। मैं मानता हूं कि उस पर प्राईमाफेसी केस उस पर बनता है, उसकी गलती है, लेकिन उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि फिर भी मौका देना होगा कि वह अपना स्पष्टीकरण दे। उसके बाद जो भी सजा मुकर्रर होगी वह उसको दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट बरेली पर बकाया गन्ना मूल्य पर देय ब्याज

*3--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट शुगर कारपोरेशन बरेली यूनिट (भूतपूर्व एच0 आर0 शुगर मिल बरेली) द्वारा पिराई सीजन 1986-87 के कितने गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ने की वास्तविक खरीद के 14 दिन के अन्दर उक्त मिल द्वारा नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1 नवम्बर, 1987 को किसानों का कितना गन्ना मूल्य तथा उस पर नियमानुसार कितना ब्याज उक्त मिल पर देय था ? क्या मंत्री जी पीड़ित किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के अतिरिक्त उस पर नियमानुसार ब्याज दिलवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)--

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट बरेली (भूतपूर्व एच0 आर0 शुगर मिल, बरेली) द्वारा सीजन 1986-87 में 330 35 लाख रु0 का भुगतान गन्ने की वास्तविक खरीद के 14 दिन के अन्दर नहीं किया गया।

1 नवम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार उक्त वर्ष का गन्ना मूल्य का कोई बकाया नहीं है, किन्तु विलम्ब से भुगतान किये गये गन्ना मूल्य पर देय ब्याज रु0 5.04 लाख है जिसके भुगतान के लिये आवश्यक निर्देश चीनी मिल को दिये गये हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं गन्ना मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब गन्ना मूल्य समय से नहीं दिया गया बरेली गन्ना मिल के काश्तकारों को तो पिछले वर्ष के बकाये पर जो ब्याज देय था वह अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया जबकि इस वर्ष गन्ने का मूल्य भी भुगतान कर दिया गया है ? तो यह निर्देश किस तिथि को किये गये ? चीनी मिलों ने इसमें से कितना भुगतान कर दिया है और किस तिथि तक मन्त्री जी ब्याज का भुगतान करा देंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

श्रीमन्, भुगतान कई किश्तों में किया गया है। इसकी एक लम्बी फेहरिस्त है इस बकाये के भुगतान में जो विलम्ब हुआ है, उसका अलग-अलग तिथियों में निर्धारण करके 5 लाख 4 हजार रुपया ब्याज निर्धारित किया गया है। चूंकि श्रीमन्, प्रदेश के निगम की मिलें जर्जर है और वित्तीय स्थिति उनकी जर्जर है। ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश दिया गया है, पुनः निर्देश दे दिया जायेगा, भुगतान करें।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने लिखित उत्तर में कहा कि आवश्यक निर्देश चीनी मिल को दे दिये गये हैं और सदन में कह रहे हैं कि दिये जा रहे हैं । मैं उनसे ब्याज के भुगतान सम्बन्धी निर्देश के बारे में पूछ रहा हूं कि ब्याज के भुगतान के निर्देश किस तिथि को दिये गये हैं और किस तिथि को भुगतान किया गया है और यदि अब तक भुगतान नहीं हुआ, तो किस निश्चित तिथि तक भुगतान करवा देंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी--

श्रीमन्, नोटिस की बात जो है, उसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । लेकिन मैंने एक बात बताई कि 20 दिसम्बर, 1986 को 28.76 लाख रु0, 1 जनवरी, 1987 को 28.84 लाख रु0, 7 जनवरी, 1978 को 5.88 लाख रु0, 9 जनवरी, 1987 को 8.54 लाख रु0 आदि भुगतान हुआ ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, जानबूझकर माननीय मन्त्री जी ऐसा उत्तर दे रहे हैं, सदन का समय बर्बाद करने के लिये मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने रोज यह प्रक्रिया अपना लिया है, प्रश्न जो होता है, उसका उत्तर नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप जो सवाल करते हैं, कृपा करके मन्त्री जी का जब जवाब खत्म हो जाये, तब प्रश्न करें ।

श्री राम नाथ मुंशी--

इस तरह से भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल मिला कर 84 लाख 4 हजार रु0 बिलम्ब से भुगतान हुआ । इसका ब्याज 5 लाख 4 हजार रुपया है । मिल को निर्देश दिये गये हैं कि ब्याज का धन भुगतान करा दिया जाये, पुनः मैंने कहा कि पुनः निर्देश दे दिया जायेगा कि भुगतान करा दिया जाये ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय बरार जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना जानना चाहा है कि 5 लाख 4 हजार रुपया किसानों के बकाये का जो ब्याज बाकी है, उसका भुगतान कब तक दे देंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी--

श्रीमन् अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है । बरेली तथा निगम की बहुतायत चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति काफी खराब है, इन परिस्थितियों में विलम्ब होना स्वाभाविक है । मैं कह रहा हूं कि पुनः निर्देश कर देंगे कि इसका भुगतान करा दिया जाये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि निगम की वित्तीय स्थिति जीर्ण-शीर्ण है । मान्यवर, जीर्ण-शीर्ण स्थिति तो प्राइवेट मिलों की थी, इसलिये सरकार ने उनको अधिग्रहीत किया । 10-12 लाख

बकाये वाली मिलों पर अब निगम के समय में 10-12 करोड़ रुपया चढ़ गया है। इस प्रकार निगम के अधिकारी अंधा-धुंध लूट मचाये हुए हैं। घुघली में इनके एक अधिकारी ने 80 हजार का कंपीसीटर खरीदा जो कबाड़ में फेंक दिया गया, यह फर्जी खरीद थी। इस प्रकार घुघली गन्ना समिति के अध्यक्ष श्री उपाध्याय के परिवार पर डेढ़ लाख रुपया बकाया है, लेकिन उनकी वसूली नहीं हो रही है, न ही इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है, जबकि नियमानुसार इन्हें यूनियन का अध्यक्ष नहीं होना चाहिये। क्या माननीय मन्त्री जी श्री उपाध्याय को गन्ना समिति के अध्यक्ष पद से हटायेंगे, क्योंकि वह बकायेदार हैं और बकाये की वसूली की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि लाखों का फर्जी भुगतान हुआ है तो माननीय मन्त्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संदर्भित फैक्ट्री है, जिसकी चर्चा बरार जी ने यहां किया है या जो दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जो किसानों का देय धन निगम पर है गन्ने का मूल्य तथा उसका सूद और साथ में मजदूरों का जो बकाया धन है, उसका भुगतान करने का आश्वासन आप कब तक दे रहे हैं ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

श्रीमन्, इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न बरेली चीनी मिल के सम्बन्ध में किया गया था। इसमें निगम की सारी मिलों को लेना आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आप संरक्षण दीजिये।

माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि इससे उसका सम्बन्ध नहीं है। जब आप वकील बन गये बेइमानों के, निगमों को लूटने वाले बेइमानों के, तो यह प्रश्न स्वयं उपस्थित हो जाता है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप मन्त्री जी को संरक्षण न दें और जो हमारा सवाल है उसका जवाब दिलवा दें। वह अपनी कोई चीज पढ़ने लग जाते हैं और सारा समय उसी में लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

संरक्षण तो सभी मांगते हैं लेकिन चेयर की बात कौन सुनता है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, जो सवाल पूछा जाये उसका जवाब दें तो एक मिनट में सवाल समाप्त हो जाये और दूसरा सवाल आ जाये।

मैंने पूछा कि कब निर्देश दिया तो इन्होंने नहीं बताया । मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने निगम की जीर्णशीर्ण और वित्तीय स्थिति का हवाला दे दिया तो क्या मन्त्री जी को वहां के किसानों की वित्तीय स्थिति मालूम है जिनके खेत और मशीनें नीलाम हो रही हैं सरकार की वसूली से ? तो जब चीनी मिलों के ऊपर दंडात्मक ब्याज है । यह इसलिये लगाया जाता है कि अगर 14 दिन के अन्दर निगम भुगतान नहीं करता है तो उसको दण्ड देना पड़ेगा । तो जो यह दंडात्मक प्रक्रिया है कि समय से भुगतान नहीं करते हैं तो उस मूल्य के ऊपर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा तो इससे चीनी मिलों को माफ करने और उसमें ढील या छूट देने का क्या कारण है ? किसानों के लिये इनके दिल में कोई जगह क्यों नहीं है ? किसानों की डिग्री कुर्की को भी इसी तरह से छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

श्रीमन्, माननीय बरार जी ने किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाई, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं एक बात स्पष्ट कह चुका हूं कि सन् 1923 से लेकर 1948 के बीच में लगी हुई निगम की यह मिलें जब प्राइवेट ओनर छोड़कर भागे तो इस लोकप्रिय सरकार ने उन्हें अपने हाथ में लिया । इन चीनी मिलों को चलाने का हमारा दायित्व होता है, किसानों का गन्ना पेरना हमारा दायित्व होता है चाहे करोड़ों रुपये सरकार का घाटा क्यों न हो ?

(मेजों की थपथपाहट)

नियमों के तहत ब्याज देना उचित है और मिलों को निदेश दे दिये गये हैं और अतिशीघ्र ब्याज का भुगतान होगा ।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

जिन गन्ना किसानों ने सोसाइटियों से ऋण लिया है गन्ने को बोने के लिये और अन्य कामों के लिये तो उस ऋण पर जो ब्याज लग रहा है, उससे किसानों को छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

श्रीमन्, ब्याज तो देने के लिये सरकार कह रही है । छूट न उनसे मांग रही है और न उनको देने के लिये तैयार है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मन्त्री जी चीनी मिलों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देख रहे हैं, क्या किसानों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखते हुए उनके कर्जे माफ करेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, क्या आप मन्त्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं ? बरार साहब ने सवाल किया और मन्त्री जी ने उत्तर दिया, क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई जबर्दस्ती जवाब तो मांग नहीं सकता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, न आप संतुष्ट हैं, न मैं संतुष्ट हूं तो फिर जवाब काहे का दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता। मुझसे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप संतुष्ट हों या न हों, इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जवाब जो आ रहा है वह प्रश्न के अनुकूल है या नहीं, यह आप देखें।

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं इस उत्तर के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं भी विरोधस्वरूप सदन से त्याग करता हूं।

(श्री विजय सिंह राणा भी सदन त्याग कर चले गये)

*4--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मनेजर सिंह--

[दिनांक 11 अप्रैल, 1988 को ता0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित।]

*5--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[10वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में डबल रोटी तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर से बिक्री कर मुक्त करने की मांग

* 6--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है की दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, जम्मूकश्मीर, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल सहित अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में डबल रोटी पर कोई कर नहीं है तथा उत्तर प्रदेश में डबल रोटी पर पांच प्रतिशत बिक्रीकर और इस कर पर दस प्रतिशत सरचार्ज लगा होने के कारण उत्तर प्रदेश में डबल रोटी उपरोक्त प्रदेशों से महंगी है तथा गरीबों की पहुंच के बाहर है ? यदि हां, तो डबल रोटी, रस्क एवं बन जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों को भी बिक्रीकर से पूर्ण मुक्त करने पर क्या सरकार उदारपूर्वक विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

यह सही है कि दिल्ली आदि में डबल रोटी पर बिक्रीकर नहीं है और प्रदेश में 5 प्रतिशत बिक्रीकर तथा देय बिक्रीकर की धनराशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर देय है। अन्य राज्यों में डबल रोटी के मूल्य की सूचना के अभाव में यह कहना सम्भव नहीं कि प्रश्न में उल्लिखित राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में डबल रोटी महंगी है या नहीं।

उत्तर प्रदेश में जून, 1985 से बेकरी उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली वस्तु आटा, मैदा और सूजी की खरीद पर कर मुक्ति दी गई है। इन "कच्चे माल"

को कर मुक्त करने के उपरान्त बेकरी उत्पादों को भी करमुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया था कि मेरी जानकारी है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों के नाम लिखे हैं कि इन राज्यों में डबलरोटी के मूल्य उत्तर प्रदेश से कम हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और राज्यों से डबल रोटी के मूल्य अधिक हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की स्पष्ट जानकारी करके कि प्रश्न में जिन राज्यों के नाम लिखे हैं, इन राज्यों में डबल रोटी के दाम उत्तर प्रदेश से कम हैं, उत्तर प्रदेश में डबलरोटी के मूल्य अन्य प्रान्तों के समान दिल्ली जैसे सम्पन्न प्रान्तों के समान कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, इसमें किस राज्य में कितने में कौन सी चीज बिक रही है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते । वहां किसी चीज पर टैक्स लगा है या नहीं, टैक्स के बाद उसका क्या मूल्य है, इसका उत्तर देने की स्थिति में हम यहां पर नहीं हैं, न ही सरकार इसको कम्पेयर करती है । हम टैक्स अपने संसाधनों के हिसाब से लगाते हैं । कहीं पर किसी चीज पर टैक्स लगता है, कहीं किसी चीज पर नहीं लगता है । कुछ चीजों में और राज्य टैक्स लगाते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते और कुछ चीजों में और राज्यों में टैक्स नहीं है, हम टैक्स लेते हैं । इसको हम अन्य प्रदेशों से कम्पेयर नहीं कर सकते । हम बाजार भाव कैसे कम्पेयर कर सकते हैं जबकि बाजार भाव उत्पादकता और मांग के हिसाब से होते हैं ? इसके सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, सरकार निरन्तर घोषणा करती है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम की जायेंगी । मान्यवर, डबलरोटी गरीबों का खाद्य पदार्थ है और इसको दृष्टिगत रखते हुये कि उनको डबल रोटी जैसा आवश्यक खाद्य पदार्थ बाजार में सस्ता मिले, इसकी कीमत को कम करने के लिये करों को कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इस समाचार से आप भी निश्चित रूप से प्रसन्न हुये होंगे कि गरीबों का भोजन डबल रोटी हो गया है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पचास हजार से कम की जिनकी बिक्री है उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाता है । जो छोटी बेकरीज हैं उनसे टैक्स नहीं लेते हैं जो बड़ी बेकरीज हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, हमारे वित्त विभाग के विद्वान मंत्री जी यह जानते हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि दिल्ली में भी बिक्रीकर से छूट है । दिल्ली धनी प्रदेश है । इसके अलावा अन्य जो धनी या गरीब प्रदेश हैं उन्होंने डबलरोटी को बिक्री कर से माफ किया हुआ है । मान्यवर, यह मुलायम चारा है आप भी इसे पसन्द करते होंगे । डबलरोटी आम उपयोग की चीज है गरीब भी खाते हैं और धनी भी खाते हैं । तो क्या उत्तर प्रदेश में जो 5 प्रतिशत बिक्रीकर इस पर लगा हुआ है उसको माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, दिल्ली प्रदेश सेन्ट्रल एडेड है उनको अपने रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं होता है लेकिन हमारे प्रदेश को अपने रिसोर्सेज की आवश्यकता है। दिल्ली से हम अपने को कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, जून, 1985 में अपने प्रदेश में जो सूजी और मैदे पर टैक्स था वह 4 प्रतिशत था और 20 पैसे सरचार्ज लिया जाता था तो 1 जून, 1985 के पूर्व कुल मिलाकर 8 रुपये 40 पैसे टैक्स हो जाता था। 1 जून, 1985 के बाद इसको बढ़ाकर 5 परसेन्ट कर दिया गया और सरचार्ज को मिलाकर यह 5 रुपये 25 पैसे हो गया है। तो 3 रुपये की कमी हुई है लेकिन किसी भी ब्रेड को बाजार में सस्ता नहीं किया गया है। तो इस बात की गारन्टी नहीं है कि सेल्स टैक्स माफ करने से सस्ती बिकेगी। दूकानदार आमतौर पर दाम कम नहीं करते हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया गया है बड़ा स्पष्ट प्रश्न है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल आदि प्रदेशों में डबलरोटी पर कोई कर नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश में डबलरोटी, बन, रस्क जिनका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं। इन पर से सेल्स टैक्स माफ किया जायगा। मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि दिल्ली आदि प्रदेशों में डबलरोटी पर कोई बिक्रीकर नहीं है। अंतिम उत्तर में कहा है कि बेकरी के उत्पादों पर बिक्री कर हटाना सम्भव नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रश्न यह है कि बेकरी के उत्पादों पर बिक्री कर हटाना सम्भव नहीं है तो जो गरीबों का भोजन है डबलरोटी, बन, रस्क इन तीनों चीजों पर बिक्री कर हटाने का आश्वासन देंगे? मैं पेस्ट्री आदि चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। यह तीनों चीजें जिनका उपयोग गरीब लोग करते हैं इन पर से बिक्रीकर समाप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् माननीय सदस्य ने सम्भवतः सुना नहीं। जो छोटी बेकरी हैं, जो पचास हजार रु० से ज्यादा की बेकरी नहीं हैं उन पर टैक्स श्रीमन् लगता ही नहीं है।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, जब डबलरोटी की नयी फैक्टरियां लोग लगाते हैं तो उन पर टैक्स माफी होती है, लेकिन कुछ समय बाद उन फैक्टरियों के पुराने होने पर उन पर टैक्स लग जाता है?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, समय कम है।

श्री भोपाल सिंह—

टैक्स लगाने का नीति निर्धारण क्या है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, सम्भवतः यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूं कि टैक्स निर्धारण की इनकी नीति क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित है कि नहीं, यह निर्णय तो आप करेंगे ?

श्री गोपाल सिंह--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जब नयी फैक्टरी लगती है डबलरोटी की, तो उन पर टैक्स नहीं लगता है और जब वही फैक्ट्री पुरानी पड़ जाती है, तो टैक्स लगना शुरू हो जाता है । इनकी नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी को अन्तिम प्रश्न के लिए बुला लिया है, आप बैठें ।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर के अन्तिम पैराग्राफ में कहा है कि अन्य प्रान्तों में छूट है इसके बावजूद भी डबल रोटी पर कर नहीं है । इस जानकारी को सही मानते हुये उत्तर प्रदेश में इस छूट के साथ साथ डबलरोटी पर से भी कर हटाने पर विचार करेंगे ? माननीय मन्त्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि इसे आवश्यक वस्तु के अन्तर्गत लेकर उसका मूल्य निर्धारण करा दें लेकिन कर मुक्त करने के बाद मूल्य निर्धारण कर दें कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, दो स्थितियां हैं, एक तो कच्चे माल के ऊपर टैक्स और दूसरे उस कच्चे माल के उत्पाद किसी चीज पर टैक्स/सेल्सटैक्स एक्ट के जो नियम हैं, या तो कच्चा माल है उसके ऊपर टैक्स लगे, या उसके द्वारा उत्पाद किसी चीज पर । डबलरोटी बनाने वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, डबलरोटी बनाने वालों के लिये उस कच्चे माल को कर मुक्त कर दिया है, केवल डबलरोटी पर टैक्स लगाया जा रहा है । अगर इसको टैक्स मुक्त करते हैं, तो उसका जो कच्चा माल है, उसका जो सामान्यरूप से टैक्स है, वह निश्चितरूप से आ जायेगा । जो टैक्स रिलीफ है, उन्हें किसी तरह से टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता है ।

पुलिस की भर्ती में जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर कथित चयन सम्बन्धी जानकारी

*7--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि पुलिस की भर्ती में जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर चयन किये जाने का कोई फैसला सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या इसी आशय का आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि मण्डल को 28 अक्तूबर, 1987 को दिया था क्या यह भी सच है कि साक्षात्कार लेने वाली कमेटी के गठन में भी जातीय व सम्प्रदायिक अनुपात बनाये रखने का फैसला किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

शासनादेश सं0 2003/चालीस--रा0 एकी0-6--11-77, दिनांक 20 अगस्त, 1977 के अनुसार अन्य विभागों की भांति पुलिस विभाग में भी शासन की आरक्षण नीति का

अनुपालन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर चयन किये जाने का कोई फैसला पुलिस विभाग में नहीं लिया गया है ।

दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 को अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि मण्डल को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस की भर्ती में जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर चयन किये जाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय के हितों के सुरक्षार्थ पुलिस की भर्ती हेतु गठित किये जाने वाली साक्षात्कार कमेटी में एक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि नामित किया जाता है ।

श्री हृदय नरायण दीक्षित--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या पुलिस विभाग में शासन की आरक्षण नीति के अनुसार कोटा पूरा है ? यह प्रश्न मैंने इसलिये किया क्योंकि मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि अन्य विभागों की भांति पुलिस विभाग में भी शासन की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है । दूसरे, जब यह कहा है उत्तर में कि जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर चयन किये जाने का कोई आश्वासन नहीं है तो फिर चयन समिति में एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों रखा गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, पहले प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में, कोटा कुछ संवर्गों में पूरा है और कुछ में पूरा नहीं है । यह सुनिश्चित करने के लिये अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को चयन समितियों में रखा जाता है, जिससे अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित किया जा सके और इन वर्गों के साथ न्याय हो सके ।

*8--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह [विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]--

श्री शम्भूनाथ सिंह, ग्राम रतुआपार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के आग्नेयास्त्रों के लाइन्सेन्स का निरस्तीकरण की मांग

*9--श्री बलराम, श्री मित्रसेन, श्री पारस नाथ यादव, श्री राम जनम तथा श्री रमाकान्त--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शम्भूनाथ सिंह पुत्र श्री बंशराज सिंह, ग्राम रतुआपार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ कई अन्य अभियुक्तों के साथ अपराध सं0-137/82 अन्तर्गत धारा-307/302/34 आई0 पी0 सी0 अतरौलिया जनपद-आजमगढ़ के अभियुक्त रहे हैं जिनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय म प्रस्तुत हो गया है ? यदि हां, तो इतने जघन्य अपराध के अभियुक्त होने के बावजूद भी इनके आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स निरस्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जी हां ।

इनके आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के निरस्तीकरण का मामला जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विचाराधीन है ।

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि शम्भू नाथ सिंह को किस-किस प्रकार के और कब-कब हथियारों के लाइसेन्स दिये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, प्रश्न से सन्दर्भित माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं है। प्रश्न में तो यह पूछा गया है कि लाइसेन्स का निरस्तीकरण किया गया या नहीं किया गया और क्यों ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री पारस नाथ यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर के सन्दर्भ में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी तरह का एक सवाल 72 नं0 पर भी दिया गया है, इसमें उत्तर दिया है कि इनके खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, जबकि मेरी निश्चित जानकारी है कि इनके खिलाफ फैजाबाद के थाना जहांगीराबाद में भी अनेक मुकदमें दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में इनके हथियारों के लाइसेन्स को निरस्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, कार्यवाही हो रही है। नियमानुसार इसमें नोटिस दिया जाता है और चूंकि इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही थी और सी0 आई0 डी0 ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है, इस कारण से इसमें अभी तक कार्यवाही नहीं की जा सकी थी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मुझे सवाल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन एक वकील मंत्री हैं, उसके बावजूद भी जब यह साबित हो गया है कि इनके हथियार इस्तेमाल हुये हैं और उन हथियारों का दुरुपयोग किया गया है और उस व्यक्ति पर तमाम मुकदमें भी दर्ज हैं और सी0 आई0 डी0 की जांच भी चल रही है। मेरी जानकारी है कि सी0 आई0 डी0 की जांच सिर्फ एक मुकदमें में हो रही है तो इस पूरे मामले में सी0 आई0 डी0 की जांच का क्या मतलब है और हथियारों के लाइसेन्स को निरस्त न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

पहले इसमें सिविल पुलिस जांच कर रही थी, बाद में इसको सी0 आई0 डी0 को जांच करने को दिया गया...

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं हथियारों के बारे में पूछ रहा हूं। सी0 आई0 डी0 के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। हथियारों को अब तक जमा क्यों नहीं कराया गया और अब तक लाइसेन्स निरस्त न करने के क्या कारण हैं और यह कब तक निरस्त कर दिये जायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, पहले सी0 आई0 डी0 की जांच के परिणाम नहीं आये थे, इस वजह से देर हुई । अब सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ गयी है और उसके बाद से निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गयी है और 15-2 तारीख को नोटिस भी दे दिया गया है, लाइसेन्स निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, कुल मुकदमें सात हैं और सिर्फ एक में ही सी0आई0डी0 की जांच हो रही थी । कृपया यह बतायें कि जब बाकी 6 मुकदमों में जांच नहीं हो रही थी तो....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

न्योली चीनी, जनपद एटा के पेराई बन्द करने पर कार्यवाही

*10--श्री राज किशोर सिंह--

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि न्योली चीनी मिल, जनपद एटा ने 12 जून, 1986 को ही अपने सुरक्षित व अभ्यर्पित क्षेत्र के किसानों का ट्रकों, ट्रालियों पर लदा, छिला हुआ व खेतों में पड़ा हजारों कुन्टल गन्ना छोड़कर पेराई बन्द कर दी और इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, एटा व उपायुक्त चीनी बरेली के आदेश क्रमशः दिनांक 14 व 16 जून, 1986 की अवहेलना की ? यदि हां, तो मिल बन्द हो जाने से गन्ना उत्पादकों का जो गन्ना शेष रह गया, उसकी क्षतिपूर्ति के लिये शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

यह सही है कि चीनी मिल, न्योली जनपद एटा ने दिनांक 12 जून, 1987 न कि 12 जून, 1986 को अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र के किसानों का ट्रकों, ट्रालियों पर लदा, छिला हुआ व खेतों में पड़ा लगभग 10 हजार कुन्टल गन्ना छोड़ कर बिना गन्ना आयुक्त के पूर्वानुमति लिये ही पेराई बन्द कर दी जिसके लिये चीनी मिल के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं । अवशेष बचे हुये गन्ने को खरीद कर अपने साधनों से समीपवर्ती चीनी मिल बहेड़ी की आपूर्ति करने के आदेश न्योली चीनी मिल को दिये गये किन्तु चीनी मिल द्वारा आदेशों का पालन न किये जाने के कारण कृषकों को हुई क्षति के लिये सहकारी गन्ना विकास समिति, न्योली द्वारा मामले को मध्यस्थता हेतु सन्दर्भित कर दिया गया है जिसमें निर्णय के लिये उप गन्ना आयुक्त, बहेड़ी को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है ।

गोरखपुर जनपद के पनियरा थाने के अन्तर्गत हत्याओं के अभियुक्तों के प्रति की गयी कार्यवाही

*11--श्री हर्ष बर्धन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के पनियरा थाने के अन्तर्गत मार्च, 1985 से 31 मई, 1986 तक 13 व्यक्तियों की हत्या की गयी और उक्त हत्या कांडों से सम्बन्धित मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तथा अभि-

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

युक्तों ने न्यायालयों में आत्मसमर्पण किया ? क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी में असफल तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित अवधि में पनियरा थाने में 5 अभियोगों में 6 व्यक्तियों की हत्या हुई थी । उपर्युक्त अभियोगों से सम्बन्धित 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुये तथा 13 ने गिरफ्तारी से बचने के लिये न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । इन अभियोगों की विवेचना में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने की बात प्रकाश में नहीं आयी अतः तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित सुझाव की जानकारी

*12—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखंड के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में धन का इसी प्रकार प्राविधान किया जाय, जिस प्रकार पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए किया जाता है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने कब-कब किया और केन्द्र सरकार की क्या-क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

प्रदेश की क्षेत्रीय असमानताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 12/13 जुलाई, 1984, 8/9 नवम्बर, 1985 तथा 19 मार्च, 1988 की बैठक में क्रमशः निम्नवत् सुझाव दिये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय योजना आयोग एक ऐसा कोष स्थापित करे जिससे राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं बुन्देलखंड क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन किया जाये ।

(2) राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भांति पूर्वी एवं बुन्देलखंड क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाये ।

(3) पिछड़े क्षेत्रों को समृद्धिशाली क्षेत्रों के आस-पास लाने हेतु केन्द्र द्वारा विशेष प्रयत्न किये जाय ।

उपर्युक्त सुझावों पर कोई निर्णय होने की सूचना केन्द्रीय योजना आयोग से प्राप्त नहीं हुई है ।

*13—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[8वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कुल गन्ने की पेराई तथा गन्ना मूल्य का भुगतान

*14—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की गन्ना पेराई सत्र 1987-88 में माह जनवरी, 1988 तक प्रदेश में कुल कितने टन गन्ने की पेराई हुई और उसके एवज में गन्ना काश्तकारों के कितने मूल्य का भुगतान हुआ ? क्या यह सही है कि गन्ना मिल

खलीलाबाद, बस्ती के ऊपर गत पेराई सत्र और इस पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का लगभग 1 करोड़ रुपया अवशिष्ट है ? यदि हां, तो उसके भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र, 1987-88 में माह जनवरी, 1988 तक 120.19 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी तथा उसके एवज में गन्ना काश्तकारों को दिनांक 31 जनवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार 244.68 करोड़ रुपये भुगतान हुआ ।

चीनी मिल खलीलाबाद, जनपद बस्ती पर गत पेराई सत्र का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है । वर्तमान पेराई सत्र का दिनांक 29 फरवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार 65.81 लाख रुपये गन्ना मूल्य का अवशेष है जिसकी वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके कलेक्टर, बस्ती को भेज दिया गया है ।

यू0 पी0 सेविंग्स एण्ड जनरल फाइनेन्स कं0, बरेली के विरुद्ध कार्यवाही

*15—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि बरेली की एक सेविंग फाइनेन्स कम्पनी यू0 पी0 सेविंग्स एण्ड जनरल फाइनेन्स कं0 हजारों लोगों का करोड़ों रुपया लेकर लगभग एक वर्ष पूर्व फरार हो गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक कम्पनी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत कम्पनी के विरुद्ध जनता से लिये गये धन के दुरुपयोग आदि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । कम्पनी के विरुद्ध अपराध अनुसंधान विभाग से जांच करायी गयी । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच के फलस्वरूप उसके मुख्यालय एवं शाखाओं के विरुद्ध दि प्राइज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) ऐक्ट, 1978 की धारा 3/4 के तहत अलग-अलग अभियोग पंजीकृत करा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय वास्तु कला महाविद्यालय, लखनऊ में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण

*16—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या शासन को ज्ञात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक राजकीय आर्केटिक्ट कालेज है जहां दो सीटें पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं ? क्या अगस्त, 1986 में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में पर्वतीय सीटें भरी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन पर्वतीय क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों को पर्वतीयों के अतिरिक्त किसी रूप में न भरे जाने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय है । पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 2 सीटें आरक्षित हैं । अगस्त

1986 में आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा में इस वर्ग के 4 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जो निर्धारित अर्हता अंक प्राप्त न करने के कारण उत्तीर्ण नहीं हो सके, इस कारण सीटें नहीं भरी गईं । पर्वतीय क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटें पर्वतीय के अतिरिक्त किसी रूप में न भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सीटों को रिक्त रखने से किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा ।

जनपद सहारनपुर के पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी जांच

*17--श्री दीपक कुमार--

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के एक पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं हरिजन उत्पीड़न से सम्बन्धित एक शिकायती-पत्र गृह मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 4 जनवरी, 1988 को दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायती-पत्र पर माननीय गृह मंत्री ने अपराध निवारण संगठन से जांच कराने के आदेश भी जारी किये थे ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक शासन ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां । शिकायती-पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1988 को प्राप्त हुआ इसकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को अभिविष्ट कर दी गई है । जांच प्रचलित है । जब तक जांच पूर्ण न हो जाय दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलियों के निर्माण में एन0 पी0 2 पाइप लगाने के आदेश तथा गोण्डा में आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही

*18--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलियों के निर्माण में एम0 एम0 2 व 3 सीमेन्ट होज पाइप न लगाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो गोंडा जिले में विगत तीन वर्षों में कितने इस प्रकार के पाइप कितने रुपये में किस दाम में किस फर्म से खरीदे गये ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के पाइप सम्पर्क मार्गों पर डाल दिये गये हैं जिनका उपयोग न होने से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं ? इस कार्य में कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलियों के निर्माण में दिनांक 23 जनवरी, 1985 से एन0 पी0 3 ह्यूम पाइप न लगाने तथा उनके स्थान पर एन0 पी0 2 पाइप लगाने के आदेश दिये गये थे ।

दिनांक 23 जनवरी, 1985 के उपरान्त गोण्डा जनपद में 48.54 लाख रुपये के एन0 पी0 3 पाइप विभिन्न फर्मों से क्रय किये गये । फर्मों आदि का विवरण माननीय विधायक, माननीय राज्य मंत्री जी, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में किसी कार्य दिवस को देख सकते हैं ।

प्रमुख अभियंता के आदेशों के विरुद्ध एन0 पी0 3 पाइप क्रय करने एवं उनका समय से उपयोग न करने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद गाजियाबाद के आई0 ए0 एस0 अधिकारी के यहां गुप्तचर एजेन्सी द्वारा छापा

*19—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्ष 1987 में जनपद गाजियाबाद में एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी के यहां गुप्तचर एजेन्सी द्वारा छापा डाला गया था ? यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है तथा घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गाजियाबाद में किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी के यहां गुप्तचर एजेन्सी द्वारा छापा डाले जाने की सूचना शासन को नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*20—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता तथा कृषि प्रकोष्ठ, अपराध अनुसंधान विभाग से सम्बद्ध

1—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता तथा कृषि प्रकोष्ठ की स्थापना के समय यह नीति निर्धारित की गयी थी कि ये दोनों शाखायें सी0 आई0 डी0 से सम्बद्ध रहेंगी ? यदि हां, तो इन दोनों शाखाओं के मीनिस्टरियल स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति, ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में अपराध शाखा द्वारा क्या कार्यवाही की गई ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं । केवल विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता के बारे में यह आदेश है कि यह अपराध अनुसंधान विभाग से सम्बद्ध होगी ।

इन दोनों इकाइयों में वर्तमान में मिनिस्टीरियल स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति, ज्येष्ठता निर्धारण आदि के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा गठित एक कमेटी विचार कर रही है ।

फर्रुखाबाद जनपद के छिबरामऊ के श्री चन्द्रशेखर दीक्षित दम्पत्ति की डकैतों द्वारा हत्या होने पर अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता

2—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अनुभाग-3 के पत्र संख्या 43/सी0 एम0/3/1987 द्वारा जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को तहसील व थाना छिबरामऊ

के श्री दीक्षित दम्पति की डकैतों द्वारा गोली मार कर असामयिक हत्या के कारण उत्पन्न भरण-पोषण व आर्थिक संकट निवारण हेतु दिनांक 29 जनवरी, 1987 को प्रेषित पत्र पर जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद की आख्या प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि हां, तो कब तक शासन आख्या प्राप्त करके आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। स्व0 श्री चन्द्र शेखर दीक्षित के अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण हेतु रु0 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) की आर्थिक सहायता मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत की गयी है।

3-4—श्री बालेश्वर--

[9 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 136-137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5--श्री बालेश्वर--

[15 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तारित]

दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, बलिया के विरुद्ध क्षेत्रीय गन्ना न लेने संबंधी शिकायत

6—श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के गन्ना न लेकर किसानों का गन्ना न लेकर दी किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जिला बलिया दूसरे जनपदों का गन्ना पेराई हेतु ले रही है ? क्या सरकार इस अन्याय पूर्ण कार्यवाही को रोक कर बलिया जनपद के किसानों की क्षतिपूर्ति करते हुए सम्पूर्ण गन्ना पेराई के लिए क्रय करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है कि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जनपद बलिया के गन्ना किसानों का गन्ना न लेकर दूसरे जनपदों का ही गन्ना पेराई हेतु ले रही है। गन्ना आयुक्त के आदेशों के अनुसार सुरक्षित/अभ्यर्पित सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र से चीनी मिल द्वारा गन्ने की खरीद नियमानुसार की जा रही है तथा इसमें बलिया जनपद के किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, अतः किसी क्षतिपूर्ण का कोई प्रश्न नहीं उठता। चीनी मिल को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वह अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में पूर्ति हेतु उपलब्ध समस्त गन्ने की खरीद करके गन्ना आयुक्त की पूर्वानुमति के उपरान्त ही चीनी मिल को वर्तमान पेराई सत्र के लिये अन्तिम रूप से बन्द करें।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

7—श्री शारदा नन्द अंचल--

[6 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कतिपय वर्षों में जिलेवार बिक्रीकर से प्राप्त धनराशि का विवरण

8—श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 से लेकर वित्तीय वर्ष 1986-87 तक प्रत्येक वर्ष जिलानुसार कितनी-कितनी धनराशि

बिक्रीकर द्वारा शासन को प्राप्त हुई ? उन जिलों, जिनमें उक्त प्राप्ति समान जनसंख्या वाले जिलों के अनुपात में काफी कम है, में बिक्रीकर की प्राप्ति बढ़ाने के लिये शासन क्या विशेष उपाय कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक जिलेवार बिक्रीकर राजस्व निम्न है :--

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्रम-सं0	जिले का नाम	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	76,26.22	9,497.14	10,629.93	10,561.16
2	कानपुर*	6,223.10	7,067.34	8,571.63	10,100.72
3	गाजियाबाद	5,678.10	6,344.36	8,236.84	9,934.59
4	आगरा	5,625.70	6,648.67	8,190.64	9,009.95
5	सहारनपुर	2,118.41	2,247.81	2,375.01	2,608.95
6	इलाहाबाद	2,077.58	2,207.28	2,782.35	3,365.71
7	मेरठ	1,959.13	2,038.91	2,078.15	2,600.24
8	वाराणसी	1,578.52	1,822.51	2,186.26	2,578.63
9	मिर्जापुर	1,569.19	1,624.80	2,045.05	2,112.39
10	अलीगढ़	1,165.79	1,365.43	1,580.05	1,885.12
11	मुजफ्फरनगर	1,085.12	1,269.76	1,516.38	1,795.79
12	बरेली	892.41	1,037.52	1,201.41	1,314.24
13	देहरादून	729.61	852.11	1,000.19	1,126.79
14	मुरादाबाद	726.64	784.49	909.55	1,099.97
15	नैनीताल	580.55	726.59	799.83	710.55
16	बुलन्दशहर	536.65	540.66	573.13	729.02
17	गोरखपुर	522.63	639.26	787.80	999.68
18	झांसी	442.80	465.53	531.76	689.78
19	मथुरा	316.05	508.76	376.21	411.83

(धनराशि लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6
20	शाहजहाँपुर	255.03	256.78	319.44	540.27
21	बिजनौर	225.85	269.80	347.63	381.44
22	मैनपुरी	212.21	218.70	263.71	301.80
23	रायबरेली	209.73	250.86	384.07	420.73
24	इटावा	202.00	208.23	242.21	291.75
25	उन्नाव	197.47	217.66	292.50	347.44
26	सीतापुर	195.58	245.80	279.39	341.37
27	गोंडा	190.16	280.74	371.39	479.10
28	शाहजहाँपुर	183.67	231.15	274.30	323.70
29	जालौन	181.84	220.09	213.23	280.17
30	फैजाबाद	176.79	180.42	226.30	308.06
31	खीरी	170.84	211.71	232.64	295.18
32	बहराइच	156.47	153.50	189.87	253.92
33	फर्रुखाबाद	153.05	151.06	183.51	253.04
34	बस्ती	150.81	140.07	174.22	197.34
35	आजमगढ़	150.43	161.61	201.80	245.56
36	पीलीभीत	148.15	171.08	173.34	210.69
37	एटा	144.08	161.69	163.63	217.22
38	हरदोई	143.50	133.32	152.66	183.08
39	बांदा	136.31	156.43	171.33	160.41
40	हमीरपुर	130.24	158.74	178.81	195.26
41	बदायूं	129.61	113.78	117.73	179.14
42	बाराबंकी	121.60	124.63	159–60	195.64
43	जौनपुर	120.11	125.62	149.48	159.40
44	देवरिया	106.71	129.27	162.31	197.59

(धनराशि लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6
45	गाजीपुर	102.16	98.51	133.90	182.38
46	बलिया	87.02	97.32	109.56	141.71
47	पौड़ी गढ़वाल	78.39	150.31	164.01	175.84
48	ललितपुर	78.29	69.30	67.79	98.42
49	सुल्तानपुर	61.44	63.03	92.88	130.48
50	फतेहपुर	58.32	64.26	74.47	87.57
51	अल्मोड़ा	47.15	37.87	53.19	71.52
52	प्रतापगढ़	37.25	39.53	51.02	68.35
53	पिथौरागढ़	24.93	25.08	28.35	28.33
54	उत्तरकाशी	13.27	16.76	16.26	25.02
55	चमोली	2.38	1.19	1.88	2.21
56	टिहरी गढ़वाल	2.01	4.56	2.22	2.65
57	कानपुर(देहात)	..	..	19.64	34.18
	योग ..	46,235.05	52,819.39	62,820.93	71,643.07

बिक्रीकर राजस्व की प्राप्ति जनसंख्या के आधार पर न होकर, उद्योग व व्यापारी पर निर्भर करती है। अतः जनसंख्या के आधार पर बिक्रीकर संग्रह की प्राप्ति बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

*वर्ष 1983-84 एवं 1985-86 की सूचना संयुक्त जनपद कानपुर की है तथा वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 की सूचना कानपुर (नगर) जनपद की है।

बांदा जनपद के थाना गिरवां के कतिपय गांवों के व्यक्तियों का बन्धुआ मजदूरी एवं उत्पीड़न विषयक शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही

--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग0 013405 दिनांक 18 अगस्त, 1987 के साथ संलग्न पत्र बांदा जनपद के थाना गिरवां के अन्तर्गत ग्राम बहेरी के सुकरू पुत्र श्री सुरजा व ग्राम ऐला के श्री भरत लाल, चौकीदार व ग्राम भुंगुस (ऐला) के श्री जगमोहन पुत्र श्री साधू के पत्र के साथ बन्धुआ मजदूरी एवं उत्पीड़न

के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों का विवरण क्या है और पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां। प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना-पत्रों का विवरण निम्नलिखित है :

(1) श्री सुकरू पुत्र सुरजा, निवासी ग्राम बहेरी, थाना गिरवां ने अपने प्रार्थना-पत्र में शेरा सिंह पुत्र जोहरी सिंह के विरुद्ध प्रार्थी को फर्जी कर्ज वसूली के मामले में परेशान करने आदि की शिकायत की है।

(2) श्री भरत लाल, चौकीदार, निवासी ऐला, थाना गिरवां के प्रार्थना-पत्र में शिकायत की गयी है कि जब वह जिलाधिकारी का आदेश लेकर गिरवां के ब्लाक प्रमुख के यहां जा रहा था तो रास्ते में उसे थाना गिरवां के दो सिपाही मिले, जिसमें से एक का नाम नियामत हुसैन था। इन सिपाहियों ने किसी बात को लेकर उसे अकारण पीटा और गालियां दीं।

(3) श्री जगमोहन पुत्र साधू, निवासी मुगुंस, थाना गिरवां के प्रार्थना-पत्र में इस बात का उल्लेख है कि उसको 10 बिस्वा पट्टा की जमीन मिली है जिस पर उसे आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में जब वह थाना गिरवां गया तो वहां मौजूद नियामत नामक सिपाही ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज किया। सिपाही ने उसे किसी असलहा केस में फंसवा देने तथा पिटाई करने की भी धमकी दी। अतः प्रार्थी ने जान-माल की रक्षा किये जाने का निवेदन किया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रार्थना-पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई। जांच से श्री सुकरू व प्रतिवादी शेरा सिंह के मध्य रुपयों की लेन-देन की बात प्रकाश में आयी। परन्तु किसी पक्ष के पास कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न हो सकने के कारण मामले में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

श्री भरत लाल, चौकीदार के मामले में जांच से कानि0 नियामत हुसैन, थाना गिरवां श्री भरत लाल को अकारण मारने-पीटने का दोषी पाया गया। अतः उक्त कानि0 के विरुद्ध आदेश कक्ष में दंडित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कानि0 को थाना गिरवां से स्थानान्तरित भी कर दिया गया है।

श्री जगमोहन पुत्र साधू, निवासी ऐला, थाना गिरवां के प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप जांच से सही नहीं पाये गये।

हमीरपुर जनपद के भू0 पू0 महाराजा के वंशज तथा अन्य के अनधिकृत कब्जों पर जांच एवं कृत कार्यवाही

10--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जिले में चरखारी के भूतपूर्व महाराजा के वंशजों व अन्य भू-स्वामियों द्वारा राज्य सरकार के भवनों एवं भूमि पर अनधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला हमीरपुर ने 10 जुलाई, 1986 को जो ज्ञापन परगनाधिकारी, चरखारी के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को दिया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अभी तक प्रभावी कार्यवाही न किये जाने और अवैध कब्जे न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला हमीरपुर द्वारा दिये गये ज्ञापन की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हमीरपुर द्वारा करायी गयी। जांच से यह पाया गया कि आरोपों में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस में अराजपत्रित कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता

11—श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री जगवीर सिंह—

क्या गृह मन्त्री की जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में नानगजटेड अधिकारियों व कर्मचारियों को भोजन भत्ता कितना प्रतिमाह दिया जाता है? क्या यह सही है कि अन्य राज्यों में इसी स्तर के कर्मियों को 278 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है? क्या शासन अन्य राज्यों के बराबर भोजन भत्ता देने पर विचार करेगा?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों को भोजन भत्ता नहीं दिया जा रहा है वरन् पौष्टिक आहार भत्ता, दिनांक 1 नवम्बर, 1986 से 50 रुपया एवं 1 नवम्बर, 1987 से 100 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है।

अन्य राज्यों के पुलिस कर्मियों को भोजन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस में आरक्षी से उपनिरीक्षक तक का मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग

12—श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री जगवीर सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही से लेकर सब इंसपेक्टर तक कितना आवास भत्ता दिया जाता है? क्या यह सही है कि आज की महंगाई में इस किराये भत्ते में एक भी कमरा नहीं मिल सकता है? क्या शासन पुलिस के इन कर्मियों में असन्तोष को दूर करने के लिये मकान उपलब्ध कराने तथा मकान भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वेतन स्लैब के अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के नगरों में भिन्न-भिन्न दरों पर आरक्षी से लेकर उप निरीक्षक तक को मकान किराया भत्ते के रूप में बीस रुपये प्रतिमाह से लेकर 140 रुपये प्रतिमाह तक दिया जाता है। प्रश्नगत मामले पर वेतन आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं जिन पर शासन के निर्णय के पश्चात् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

13—श्री शफीकुर्रहमान वर्क तथा श्री शतरुद्र प्रकाश—

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

14—श्री शफीकुर्रहमान वर्क तथा श्री शतरुद्र प्रकाश—

[9वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जनपद रामपुर में विगत छः महीनों में हुई डकैती की घटनाओं का विवरण

15—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में दिन के समय तथा रात के 8.00 बजे तक कितनी डकैतियां पिछले छः महीनों में हुई हैं उनमें से कितनों पर पुलिस ने अपनी विवेचना पूर्ण कर ली है और किन मामलों में अभी तब विवेचना पूर्ण नहीं हुई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 1 अक्तूबर, 1988 से 31 मार्च, 1988 तक विगत छः माह में दिन तथा रात्रि के 8 बजे तक डकैती की तीन घटनायें घटित हुई हैं। इनमें से थाना शाहाबाद, जनपद रामपुर पर पंजीकृत अ0 सं0 317/87, धारा 395/397 भा0 द0 वि0 की विवेचना पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष दो अ0 सं0 294/87, धारा 395/397 भा0 द0 वि0 थाना शाहाबाद एवं अ0 सं0 608/87, धारा 395/397 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली रामपुर की विवेचना अभी प्रचलित है।

उन्नाव में रेलवे सम्पत्ति की चोरी

16—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के 2 जी0 आर0 पी0 सब इन्स्पेक्टरों पर रेलवे की सम्पत्ति के चोरी होने की रिपोर्ट माह जुलाई, 1987 में उन्नाव कोतवाली में दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसी संदर्भ में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 गृह सचिव, उ0 प्र0 को मिला है ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं।

माह जुलाई, 1987 में जी0 आर0 पी0 के दो सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में रेलवे सम्पत्ति की चोरी सम्बन्धी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है बल्कि दिनांक 31 जुलाई, 1987 को श्री बैजनाथ, गेटमैन, उत्तरी रेलवे ने थाना कोतवाली में रेलवे सीमा के अन्दर स्थित शीशम के पेड़ कटा लेने की सूचना ए0 एस0 एम0 श्री जी0 सी0 आनन्द, कार्यालय स्टेशन अधीक्षक, उत्तर रेलवे, उन्नाव के विरुद्ध किया जिस पर मु0 अ0 सं0 443/87 धारा 379 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की जांच कराई जा रही है।

जी हां।

पूर्व में मामले की जांच श्री आर0 बी0 दीक्षित, उपनिरीक्षक तथा उनके स्थानान्तरण के पश्चात् निरीक्षक प्रभारी, थाना कोतवाली श्री गुप्तेश्वर राय द्वारा की गई थी। उनके द्वारा की गई जांच को रोककर पुनः इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई जा रही है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, घुघली, गोरखपुर के सर्किल नं0 3, ग्राम अहिरौली में बकायेदारों का ब्योरा

17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांव अहिरौली गन्ना ? समिति घुघली सर्किल—3, गोरखपुर के समिति के बकायेदार कौन—कौन से लोग हैं ये उनके ऊपर कितनी—कितनी धनराशि बकाये की है ? उनकी वसूली न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, घुघली, गोरखपुर के सर्किल—3, ग्राम अहिरौली में निम्नलिखित बकायेदारों पर उनके सम्मुख अंकित धनराशि बकाया है :—

सर्वश्री—	बकाया धनराशि ₹0
1—बल्लभ	31,218·09
2—ओमकार	11,754·12
3—अम्बिका	12,414·03
4—सत्यदेव	16,263·96
5—हरिवंश	48,542·90
6—रामबली	11,145·29
7—अम्बिका	16,059·66
8—मु0 प्यारो	14,039·52
9—मुनेश्वर	3,949·05
10—तूफानी	781·42
11—रामाज्ञा	2,001.42
12—मोहम्मद	3,810·55
13—मतुल्लाह	6,772·12
14—कैलाश	1,471·96
15—दुर्जन	540·73
16—हुम्मन	1,271·92
17—सुभान	833·21
18—महमूदलहक	856·02
19—चोकट	895·29
20—सुभान	1,294·10
21—सलीम	772.32

उक्त ऋणियों से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में सरप्लस स्टाफ

18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलहर, जिला शाहजहांपुर स्थित सहकारी चीनी मिल कब चालू हुई तथा उसमें इस समय कितने सरप्लस निर्धारित मानकों से अधिक कर्मचारी हैं ? निर्धारित मानकों के विपरीत इतने कर्मचारी किसके आदेश से नियुक्त किये गये, इससे मिल को कुल कितना घाटा उठाना पड़ता है ? सरप्लस कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है तथा कब तक इनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर ने प्रथम बार सत्र 1981–82 में 18 नवम्बर, 1981 को पेराई प्रारम्भ की । स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार सहकारी चीनी मिल, तिलहर में 657 पद होने चाहिये । निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न में स्वीपर, माली, गेस्टहाउस, अटेन्डेन्ट ड्राइवर के पदों का उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इनका रहना अत्यन्त आवश्यक है, अतः इस समय चीनी मिल, तिलहर के लिये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 52 कर्मचारी अधिक हैं । यह कर्मचारी अस्थायी रूप में कार्य की आवश्यकता अनुसार दैनिक वेतन पर रखे गये हैं । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर में पुलिया निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती–पत्र

19—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के 3रे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 152 के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1987, जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त कराया गया जिसकी प्राप्ति सं0 सी0 एम0 (वि0 को0) एम–1–ब/32–169/87, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 को स्वीकार की गयी, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसके लिए कौन–कौन दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिकायती–पत्र पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

20—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 5 अप्रैल, 1988 को अता0 प्र0 सं0 26 द्वारा उत्तरित ।]

निलम्बित आशुलिपिक, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, कानपुर के सम्बन्ध में विभागी जांच

21—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 37 में मुख्य अभियन्ता म0 क्षे0 ने अपने पत्रांक 5101–सी–जेड–ई, दिनांक 29 मई, 1985 से 10 दिनों में जांच पूर्ण करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो किन शासनादेशों के अन्तर्गत ? क्या जांच अधिकारी श्री वीर भद्र सिंह ने 10 दिनों में जांच पूर्ण की ? यदि हां, तो सी0 सी0 ए0 रूल्स के अन्तर्गत क्या

कार्यवाही की गयी ? क्या श्री सुरेन्द्र कुमार जांच अधिकारी द्वारा 3 वर्ष में दी गयी जांच आख्या अपूर्ण थी ? यदि हां, तो तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने पुनः जांच पूर्ण करने के आदेश दिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

22—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिला ग्रामीण मार्ग समन्वय तथा अनुश्रवण समिति, मुरादाबाद की बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा भ्रामक जानकारी पर कार्यवाही

23—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री मो0 रिजवानुलहक के अतारांकित प्रश्न सं0 72 में दिये गये आश्वासन के विरुद्ध श्री वेद प्रकाश बंसल, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1987 द्वारा स्थगित किया गया ? यदि हां, तो कौन से कारण थे ? क्या सम्बन्धित अधिकारी का तबादला अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री वेद प्रकाश बंसल, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण मुरादाबाद से वाराणसी शासनादेश दिनांक 27 जून, 1987 द्वारा कर दिया गया था जो प्रशासनिक कारणों से अग्रिम आदेशों तक टेलेक्स दिनांक 22 जुलाई, 1987 द्वारा स्थगित कर दिया गया था, परन्तु श्री बंसल मुरादाबाद में पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके ।

अब श्री बंसल की तैनाती वि0 नि0 इकाई, बागपत (मेरठ) कर दी गई है ।

आशुलिपिक, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, कानपुर के निलम्बन काल के वेतन भुगतान पर जानकारी

24—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या मुख्य मन्त्री जी विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्र0 प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा में 26 अगस्त, 1986 को सा0 नि0 वि0 ने आश्वासन दिया था कि आशुलिपिक को निलम्बन काल के अवशेष वेतन एवं भत्तों के भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान के आदेश क्यों नहीं दिये गये ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सत्य है कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पत्रांक 11708/266ईपी–86/86 दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 से वेतन भुगतान रोका गया ? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता, रा0 मा0 ने आश्वासन के पश्चात् वेतन रोकने के निर्देश दिये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासनादेश संख्या 7/9/1980–कार्मिक–1, दिनांक 7 जून, 1980 एवं संख्या 17–1–82–कार्मिक–1, दिनांक 13 जनवरी 1983 के अनुरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 26 अगस्त, 1986 को विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि सम्बन्धित आशुलिपिक के निलम्बन काल के अवशेष वेतन एवं भत्तों आदि के भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग द्वारा की जा रही है। मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा नियमान्तर्गत उपलब्ध स्थिति के स्पष्ट किये जाने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अधीक्षण अभियन्ता, 16वां वृत्त (रा0 मा0), कानपुर द्वारा की गयी और अन्तिम निर्णय यह रहा कि निलम्बन की अवधि के लिये उक्त आशुलिपिक को जीवन-निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त और किसी वेतन व भत्ते का भुगतान न किया जाय। अतएव, किसी भुगतान के किये जाने का प्रश्न नहीं उठा।

प्रश्न नहीं उठता।

यह सही है कि उल्लिखित आदेश द्वारा अधीक्षण अभियन्ता ने सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से प्रश्नगत अवधि का पूरा वेतन न दिये जाने का आदेश पारित किया।

वेतन देने का आश्वासन नहीं दिया गया था, बल्कि दिये गये उत्तर का आशय यह था कि वेतन देने अथवा न देने के संबंध में शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता (रा0 मा0) द्वारा मामले में कोई आदेश अन्ततोगत्वा नहीं दिये गये बल्कि अधीक्षण अभियन्ता के मार्गदर्शन हेतु मुख्य अभियन्ता (मु0-2) द्वारा संगत मूल नियम की व्याख्या उपलब्ध करायी गयी।

जी नहीं, प्रश्नगत नोटिस मूलवश नहीं दी गई।

श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खन्ड, कानपुर के वेतन भुगतान संबंधी कतिपय जानकारी

25--श्री महावीर सिंह राणा--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, रा0 मा0 खण्ड, कानपुर के पत्रांक 104/5-ई, दिनांक 20-1-84 द्वारा दिनांक 1-1-81 से 28-2-83 तक का वेतन सेवा पुस्तिका में सत्यापित सेवाओं के आधार पर भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो किन-किन अवधियों का?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, कानपुर द्वारा श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक को दिनांक 1-1-81 से 5-4-81 तक अवकाश वेतन तथा दिनांक 6-4-81 से 31-5-81 तक के वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान पंजिका के आधार पर किया गया तथा उक्त अवधि (दिनांक 1-1-81 से 31-5-81 तक) की प्रविष्टि सेवा-पुस्तिका में तद्नुसार की गयी।

श्री धर्मवीर सिंह, आशुलिपिक का 1-6-81 को निलम्बन हो जाने के कारण उन्हें राष्ट्रीय मार्ग नं0 2, कानपुर से हटाकर प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0, लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया तथा 1-6-81 से 28-2-83 तक की निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0, लखनऊ द्वारा किया गया तथा सेवा-पुस्तिका में तद्नुसार सत्यापन किया गया।

श्री पवन कुमार जायसवाल, बिलथरा, जनपद बलिया के शिकायती-पत्र पर जांच

26—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री पवन कुमार जायसवाल, पो0 मु0 बिलथरा रोड, थाना-उभाव, जिला बलिया के शिकायत-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-87 शासन को प्राप्त हुआ है। जिसकी प्राप्ति की सूचना संयुक्त सचिव, गृह ने अ0 शा0 पत्र सं0 1136-टी0बी0/आई-11-1335 एम0/87, उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-11, लखनऊ, दिनांक 7 जनवरी, 1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को देते हुये बताया गया है कि प्रश्नगत मामले में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक अपने रिश्तेदारों के दबाव में आकर घटना करने वाले थानेदार के बचाव के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराकर दोषी जनों पर कार्यवाही करने पर विचार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। प्राप्त सूचनानुसार शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये। पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा अपने सम्बन्धियों के दबाव में उपनिरीक्षक के बचाव करने का आरोप सत्य नहीं है।

श्री प्रेम कुमार सिंह, प्रबन्धक, अब्दुल्ला नगर आदर्श कृषक विद्यालय, पिहानी, हरदोई के शिकायती-पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

27—श्री बालेश्वर—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यपाल सिंह यादव, विधायक वर्तमान नेता विरोधी दल के पत्र, दिनांक 28-6-86 के साथ संलग्न श्री प्रेम कुमार सिंह, प्रबन्धक अब्दुल्लानगर, आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्लानगर, थाना पिहानी, जिला हरदोई का पत्र दिनांक 4-6-86 जो दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के सम्बन्ध में था तथा निबन्धक, सोसाइटीज फर्म तथा चिट्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 30-6-86 को दिया गया था, पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो कहां और किन-किन के विरुद्ध ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत-पत्र दिनांक 4-6-86 और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्र के अनुसार संस्था की दो अलग-अलग प्रबन्ध समितियों की वैधता के विवाद के संबंध में हैं। अतः यह प्रकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उ0 प्र0 संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 25(1) के अन्तर्गत दिनांक 6-3-87 को सक्षम अधिकारी (परगना मजिस्ट्रेट सादाबाद, हरदोई) को नियमानुसार निर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

28—श्री बालेश्वर—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब्दुल्ला नगर आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्ला नगर, थाना पिहानी, जनपद, हरदोई से सम्बन्धित अपराध कार्य करने वाले नत्थू लाल चौधरी, कथित प्रबन्धक और तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रेम कुमार सिंह व बृजेन्द्र विक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1987 नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव ने अपने पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1987 के साथ स्वयं पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिया था ? यदि हां, तो क्या उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित सर्वश्री प्रेम कुमार सिंह व श्री बृजेन्द्र विक्रम सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1987 की जांच कराई गई। जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप निराधार पाये गये क्योंकि वर्तमान प्रबन्धक आदर्श कृषि विद्यालय अब्दुल्ला नगर ने प्रार्थीगण के विरुद्ध पहले ही प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर अभियोग अ0 सं0 43/87 धारा 382 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ, जो विवेचना से असत्य पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हुआ। इसी अभियोग की पेशबन्दी में प्रार्थीगण ने प्रश्नगत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकरण में व्यवस्थापक एवं प्रधानाध्यापक के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में अभियोग विचाराधीन है।

29—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[दिनांक 5 अप्रैल, 1988 को अता0 प्र0 सं0 79 द्वारा उत्तरित]

30—श्री राम नरेश यादव—

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

अतरौलिया-अहरौला मार्ग जनपद आजमगढ़ के निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि

31—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया-अहरौला मार्ग का निर्माण नियमानुसार हो रहा है तथा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस मार्ग के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

स्वीकृत कार्यों को 6/89 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण पर 2/88 तक 20.68 लाख रुपया व्यय हुआ है।

जनपद रायबरेली में सेवारत होमगार्डों के प्रार्थना-पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

32—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 जो कि रायबरेली जिले के सेवारत होमगार्डों के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है,

उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मांगों के सम्बन्ध में कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स की आख्या एवं संस्तुति मांगी गयी थी, जो प्राप्त हो गयी है और परीक्षणाधीन है ।

33--श्रीमती शारदा देवी--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री राम आधार राजकीय लिपिक गन्ना विकास परिषद्, गोरखपुर को ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी द्वारा अवैधानिक वेतन का भुगतान

34--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आधार, राजकीय लिपिक, गन्ना विकास विभाग घुघली, जनपद गोरखपुर में माह सितम्बर, 1986 में मात्र तीन दिन उपस्थित रहे लेकिन ज्येष्ठ गन्ना विकास नि0 घुघली द्वारा श्री राम आधार के नाम माह सितम्बर, 1986 का पूरे माह का वेतन भुगतान दिखाकर शासकीय धन का गबन किया है ? यदि हां, तो मंत्री जी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । यह सही है कि श्री राम आधार, राजकीय लिपिक, गन्ना विकास परिषद्, घुघली, जनपद गोरखपुर माह सितम्बर, 1986 में मात्र तीन दिन कार्य पर उपस्थित रहे तथा श्री दीनानाथ, तत्कालीन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, घुघली द्वारा श्री राम आधार को पूरे माह सितम्बर, 1986 के वेतन का भुगतान किया गया ।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर प्रश्नगत मामले में अन्तर्गत श्री दीनानाथ, तत्कालीन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, घुघली, जिला गोरखपुर, श्री राम आधार, वरिष्ठ लिपिक तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक, गन्ना विकास परिषद्, घुघली, जिला गोरखपुर को दण्ड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मन्त्री पाण्डेय साइकिलिस्ट की सेवा निवृत्ति के उपरान्त वेतन के भुगतान में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

35--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री मंत्री पाण्डेय साइकिलिस्ट को वर्ष 1985-86 में सेवा मुक्त के आदेश के उपरांत भी 5 माह का वेतन भुगतान करके सचिव, सहकारी ग0 वि0 स0 लि0 घुघली, (गोरखपुर) द्वारा सेवामुक्त किया गया और कपिलदेव नारायन अस्थाना, सामयिक लिपिक को वर्ष 1986-87 में सेवा मुक्त

किया जाना था लेकिन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इन्हें डेढ़ माह का वेतन भुगतान करके सेवा मुक्त किया गया जबकि इन दोनों कर्मचारियों की सेवा अवधि न बढ़ाये जाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री मंत्री पाण्डेय, साइकलिस्ट को सेवानिवृत्त के उपरान्त सीजनोपरान्त तक कार्य पर बने रहने की अनुमति सचिव, सहकारी ग0 वि0 स0 घुघली द्वारा दी गई थी और उन्हें मात्र 2 1/2 महीने का वेतन भुगतान किया गया। श्री कपिल देव नरायन अस्थाना सामयिक लिपिक को भी सेवानिवृत्त के उपरान्त वित्त पोषण के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु मात्र एक माह का वेतन भुगतान किया गया और सेवा में बने रहने दिया गया। सेवानिवृत्ति के उपरान्त जिन सचिवों ने अनियमित नियुक्तियां की थीं उनकी चरित्र पंजिका में इसके लिये विपरीत प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ में कार्यरत श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी न घोषित करना

36--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत अधिकारी एवं मुख्यालय, कर्मचारी सरकारी कर्मचारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो विभिन्न इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

केवल उन अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर जिनकी सेवायें, शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड लखनऊ को उसके मुख्यालय एवं इकाइयों के लिये उपलब्ध कराई गयी हैं शेष अधिकारी/कर्मचारी चीनी निगम के ही कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, का पंजीकरण कम्पनी "ला" के अन्तर्गत हुआ है अतः इसकी विभिन्न इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी घोषित करना नियमानुसार उचित नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चिकित्सा हेतु मासिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग

37--श्री विष्णु देव--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री को जानकारी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये शासन की ओर से मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था होने पर भी उन्हें सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज में परेशानी होती है और दवा का अभाव बताकर उन्हें सरकारी अस्पतालों से वापस कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों

की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुये इलाज के लिये उन्हें मासिक सहायता दिलाने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यदाकदा ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनके विषय में चिकित्सा विभाग द्वारा प्रत्येक राजकीय चिकित्सालय को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

क्योंकि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान तथा पेंशनों को विनियमित करने के सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत उन्हें उनके चिकित्सार्थ एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है, ऐसी स्थिति में चिकित्सा हेतु मासिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखण्डे राय, भूतपूर्व मंत्री एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को शासन द्वारा सहायता न दिया जाना

38--श्री विष्णु देव--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री को जानकारी है कि शासन के निर्देशानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के पश्चात् उसके दाह संस्कार में जिलाधिकारी या उसका कोई प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहना चाहिये तथा उसके आश्रित को अन्तिम संस्कार हेतु 500 रुपये की एक मुश्त सहायता दिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि मार्च में पूर्वांचल के प्रसिद्ध नेता एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व मंत्री, सांसद श्री झारखण्डे राय की मृत्यु मार्च, 1987 को हुई थी परन्तु जिले का कोई भी अधिकारी उनके सम्मान में न तो दाह संस्कार में गया और न ही आश्रितों को कोई सहायता दी गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्री झारखंडे राय की मृत्यु पर उनके सम्मान में श्री द्वारिका नाथ चौबे, नायब तहसीलदार, घोसी दाहसंस्कार में सम्मिलित हुए थे तथा दाह संस्कार हेतु 500 रु0 की धनराशि उनकी विधवा श्रीमती कमला देवी को उसी तिथि को ही दे दिया गया था । अतः अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

39--श्री विष्णु देव--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री को जानकारी है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को दाह संस्कार हेतु 500 रुपये की सहायता शासन द्वारा दिये जाने की व्यवस्था है, परन्तु स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को दाह संस्कार के लिए कोई रकम सहायतार्थ देने की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विधवा पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को दृष्टिगत रखते हुए तथा उन्हें सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से उनके अन्तिम संस्कार हेतु शासन द्वारा 500 रुपये दिये जाने का निर्णय लिया गया है । ऐसी स्थिति में सेनानी की विधवा के अन्तिम संस्कार हेतु कोई धनराशि दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के होमगार्डों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि

40--श्री जवाहर सिंह यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्डों का भत्ता 15 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपया प्रतिमाह कब से लागू किया जायेगा और क्या एरियर (बकाया) उनको दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

होमगार्डों को ड्यूटी भत्ता 15 रुपये प्रतिदिन मिलता है प्रति माह नहीं । उसे बढ़ाकर 22 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स टीम के खिलाड़ियों के चयन का मापदण्ड

41--श्री जवाहर सिंह यादव--

क्या खेल-कूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 फरवरी, 1988 से जालन्धर में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश टीम के चयन में चयन का मापदण्ड क्या रखा गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

42--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सीयर, जनपद बलिया में सड़क निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1987 शासन को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति की सूचना श्री बंसीलाल, उप सचिव के अर्द्ध0 शा0 पत्र संख्या-257 एम0 एल0 ए0 (1)-23-6-37(6)ई-एम-87 सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ 14 जनवरी, 1980 द्वारा प्रश्नकर्ता को देते हुए सूचित किया गया कि मामले की जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो अब तक किन-किन बिन्दुओं पर जांच कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन व्यक्ति अब तक दोषी पाये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पूर्ण जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी को निर्देश दे दिए गये हैं ।

43--श्री यदुनाथ सिंह--

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों द्वारा 19वें सूत्र की अवहेलना पर कार्यवाही की मांग

44--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0प्र0 सं0 8 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 147 माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनांक 10 मार्च, 1986 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? पत्र सं0 1551 में मांगे गये बिन्दुओं पर परीक्षण करा कर जानकारी न दिय जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य का पत्र संख्या 147 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र उपलब्ध होने पर सूचना दे दी जायेगी ।

पत्र संख्या 1551 में उठाये गये बिन्दुओं पर जानकारी शासन के पत्र संख्या वि0 क0-1-यू0 ओ0-76/दस-6(2)/85, दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 द्वारा माननीय सदस्य को दी जा चुकी है ।

इलाहाबाद में बिक्री कर भवन हेतु क्रय किये गये भवन विषयक जांच पर कार्यवाही

45--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद में अपना बिक्री कर भवन बनाने के लिए बिक्रीकर विभाग ने वर्ष 1974-75 या 1975-76 में श्री कन्हैया लाल मिश्र का मकान खरीदने का सौदा किया था और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 1455 उनके कार्यालय में दिनांक 26 जुलाई, 1984 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र के किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी थी और जांच का क्या परिणाम रहा ? अग्रिम राशि किस तारीख को दी गयी थी और किस तारीख को वापिस मिली ? यदि नहीं मिली, तो उसे वापस लेने की विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1984 का प्राप्त हुआ है ।

जी हां, पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी थी । अग्रिम राशि दिनांक 7 जुलाई, 1975 द्वारा भुगतान की गयी थी जो अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुई ।

श्री कन्हैया लाल मिश्र की मृत्यु हो चुकी है । अग्रिम धनराशि की वसूली स्वर्गीय श्री मिश्र के उत्तराधिकारी से किए जाने हेतु वाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

46--श्री राम नरेश यादव--

[उ0 प्र0 वि0 सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया]

फर्म इंडस्ट्रियल पैकिंग प्रोडक्ट ऐशबाग की सम्पत्ति की नीलामी विषयक-पत्र पर जांच

47--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड 4 में स्थित फर्म इंडस्ट्रियल पैकिंग प्रोडक्ट, ऐशबाग की सम्पत्ति की नीलामी बिक्रीकर बकाया के लिए तारीख 6 मई, 1985 को लगी थी ? नीलामी में घांधली के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 268, सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 23 मई, 1987 को मिला ? यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

माननीय सदस्य का पत्र सं0 268 प्राप्त हुआ । जांच करायी जा रही है ।

आयुक्त, बिक्रीकर बनाम कृष्ण राइस ऐण्ड आयल मिल विषयक-पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

48--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को यह ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ ने निर्णय दिनांक 10 फरवरी, 1986 एस0 टी0 आर0 संख्या 86/1986, आयुक्त, बिक्रीकर बनाम कृष्ण राइस एण्ड आयल मिल में दिया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 266 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 23 मई, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र के बारे में कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

कोई जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया ।

आयुक्त, बिक्रीकर बनाम मीतल ज्वैलर्स, वाराणसी विषयक पत्र की जांच एवं कार्यवाही

49--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या माननीय वित्त मंत्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायलय, इलाहाबाद पीठ ने सेल्स टक्स रिवोजन संख्या 890/1986, आयुक्त, बिक्रीकर बनाम मीतल ज्वैलर्स, वाराणसी निर्णय दिनांक 18 फरवरी, 1987 को दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 265, सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 23 मई, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र के बारे में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, यह निर्णय दिनांक 13 फरवरी, 1987 को दिया गया है ।

जी हां ।

माननीय विधायक को उनके पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री सुधाकर शर्मा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखंड रायबरेली के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

50—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 154 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 291 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 6 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस बारे में कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक के पत्र पर उनको सूचना अलग से दी जायेगी ।

51—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 4 जनवरी, 1988 को अता0 प्र0 संख्या 88 द्वारा अन्तरित ।]

जिला बांदा के कारागार अस्पताल की इमारत की मरम्मत

52—श्री राम सजीवन—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला कारागार में कई वर्षों पूर्व जिस इमारत में अस्पताल था वह जर्जर होकर गिर गई है ? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से से अस्पताल की इमारत न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? इमारत कब तक बना दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अस्पताल का काम एक दूसरी बैरक से लिया जा रहा है ।

निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

सीता हरिजन, ग्राम शिवपुर, जनपद गोरखपुर की हत्या एवं मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता

53—श्रीमती शारदा देवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 फरवरी, 1986 को अपराध संख्या 230/86, धारा 302 के अन्तर्गत गौरी बाजार, जिला देवरिया में स्व0 सीता हरिजन, ग्राम शिवपुर टोला मल्ल की छावनी, पो0 रामपुर रकबा, थाना चौरी चौरा, जिला गोरखपुर की हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई ? यदि हां, तो मृतक की पत्नी बेबा सुन्दरी को हरिजन उत्पीड़न के अन्तर्गत सरकार ने आर्थिक सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दिनांक 12 दिसम्बर, 1986 को वादी श्री सीता हरिजन, निवासी रकबा मल्ल की छावनी, थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर की मौखिक सूचना पर मु0 अ0 संख्या 230/86, धारा 307/506 भा0 दं0 वि0, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया पर बनाम अज्ञात अंकित किया गया । घायल वादी सीता हरिजन की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 13 दिसम्बर, 1986 को जी0 डी0 नं0 9 पर धारा 302, भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित हुआ ।

स्व0 सीता हरिजन, निवासी शिवपुर टोला मल्ल की छावनी, पोस्ट रामपुर रकबा, थाना चौरी चौरा की विधवा सुन्दरी को जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से विधवा पेंशन के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता की प्रोन्नति में अनियमितता

54--श्री फागू चौहान तथा श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने पर सहायक अभियन्ता बनाये गये ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विद्युत् अनुरक्षण खंड नं0 3, 39वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के एक पद पर वर्तमान प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं है क्योंकि पदधारक, जो वर्तमान पोस्टिंग से पूर्व विद्युत् अनुरक्षण खंड 1 में थे, अवर अभियन्ताओं की सूची में कनिष्ठ हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लोक सेवा आयोग से 46 अवर अभियन्ता का चयन परिणाम सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ । इनमें से 34 अवर अभियंता को सहायक अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 1983 को जारी किये गये तथा शेष 12, जो कि निर्धारित पात्रता क्षेत्र में आने वाली शर्तों को पूरा नहीं करते थे, माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर चयन में सम्मिलित होने के उपरान्त सफल हुए उनका मामला विवादित होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं में अंतिम निर्णय होने तक दिनांक 29 अगस्त, 1985 को सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं ।

विद्युत् अनुरक्षण खंड नं0-3, 39 वां वृत्त के नाम से कोई खंड स्थापित नहीं है । प्रश्नाधीन सहायक अभियन्ताओं (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर वर्तमान पदोन्नति के नियमानुकूल होने अथवा न होने का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

जी हां । अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ज्येष्ठता सूची में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाले स्थायी अवर अभियन्ताओं, जो नियमों के अनुसार पात्रता क्षेत्र में आते थे, को ही नियमित प्रोन्नति दिए जाने पर विचार किया गया था । श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय को लोक सेवा आयोग से अनुमोदन के उपरान्त ही नियमित पदोन्नति दी गई है । अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची के अनुसार, जो अवर अभियन्ता वरिष्ठ भी हैं, परन्तु वे उपर्युक्त अर्हतायें पूरी नहीं करते थे यदि ऐसे कोई रहे हों तो उसका प्रभाव ज्येष्ठता पर नहीं पड़ता है ।

55–श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा मनोहर लाल––

[दिनांक 29 मार्च, 1988 को अता0 प्र0 सं0 99 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 पुलिस में भर्ती अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विभागीय स्थानान्तरण किया जाना

56–श्री शारदा नन्द अंचल––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में भर्ती होने के बाद सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर और उप पुलिस अधीक्षक को अभिसूचना विभाग या सतर्कता विभाग या सिविल पुलिस में योगदान कराने की क्या प्रक्रिया शासन के द्वारा सुनिश्चित की गई है ? क्या वर्ष 1985–86 व 1986–87 व 1987–88 में कुछ इस श्रेणी के कर्मचारी अभिसूचना विभाग के सिविल पुलिस में समायोजित किए गए हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

जी नहीं ।

निम्न के अनुसार उप निरीक्षकों तथा पुलिस उपाधीक्षकों को अभिसूचना विभाग से सिविल पुलिस में समायोजित किया गया है :––

पद नाम	वर्ष 1985–86	1986–87	1987–88
उपनिरीक्षक	2	3	2
पुलिस उपाधीक्षक	3	3	3

डा0 सी0 पी0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक, विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् द्वारा नगर के बाहर सरकारी वाहनों का अवैध प्रयोग

57–श्री अशोक बाजपेयी––

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा0 सी0 पी0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक, विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा दिसम्बर, 1985 से अप्रैल, 1986 के मध्य परिषद् वाहन सं0 यू0 एच0 ई0 5640 द्वारा लखनऊ नगर के बाहर की गई सात विभिन्न यात्राएं किस सम्बन्ध में थीं और क्या उनके लिए उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त हैं ? क्या इन यात्राओं सम्बन्धी विवरण वाहन लाग बुक में किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राइवेट रूप से की गई यात्राओं के स्थान पर प्रोक्सी रूप में डा0 द्विवेदी द्वारा हस्ताक्षरित की गई हैं ? यदि हां, तो क्या डा0 सी0 पी0 द्विवेदी द्वारा की गई इस अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)––

प्रश्नगत यात्रायें डा0 सी0 पी0 द्विवेदी द्वारा विज्ञान एवं प्राद्योग परिषद् के कार्य से निदेशक के मौखिक आदेश प्राप्त करके की गई थीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री बलराम राय गन्ना अधीक्षक जनपद मेरठ का सेवा वृद्धि विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

58--श्री कामेश्वर उपाध्याय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री बलराम राय गन्ना अधीक्षक, उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई मुहीउद्दीनपुर जिला मेरठ को 1 नवम्बर, 1986 में सेवा निवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन्होंने सेवा निवृत्ति के पूर्व ही एक वर्ष की सेवा वृद्धि हेतु प्रार्थना की थी ? यदि हां, सेवा वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेवा वृद्धि एवं अन्य सुविधाओं से इन्हें वंचित रखने के लिए फर्जी शिकायत की जांच हुई और शिकायत का फर्जी होना पाया गया ? यदि हां तो इनका अधिकार हड़पने की साजिश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और इनके साथ किए गए अन्याय के विरुद्ध कौन सी राहत प्रदान की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

श्री बलराम राय को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा निवृत्त किया गया है । सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 104/44/1-49/85, दिनांक 27 जनवरी, 1987 में स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी कर्मचारियों को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु के उपरान्त एक वर्ष के सेवा विस्तार किये जाने का प्राविधान है । चूंकि श्री राय को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा निवृत्ति किया गया है, इसलिये उन्हें सेवा विस्तार प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री राय के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने के प्रमाण-पत्रों को प्रथमदृष्टया सन्दिग्ध पाये जाने के कारण शासन के गृह विभाग द्वारा बिहार सरकार से जांच कराने हेतु भेजा गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाये जाने विषयक-पत्र

59--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्रांक 405/85, दिनांक 12 अक्तूबर, 1985 के (एवं मुख्य मन्त्री कार्यालय से सी0 एम0 1क/110-1/सी0 एम-2/85, दिनांक 3 अक्तूबर, 1985 द्वारा पर्वतीय विकास विभाग को प्रेषित) पत्र में यह अनुरोध किया गया था कि पिथौरागढ़ जनपद में न्यूनतम मजदूरी के बढ़ाये जाने के कारण निर्माण कार्यों में तद्नुसार वृद्धि तुरन्त किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में दिनांक 1 जून, 1987 तक क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के सम्बन्ध में शासन के विभागों को फिलहाल छूट दी गयी है ।

श्री शिव कुमार दुबे अधिशासी अभियन्ता (ल0 सि0 उ0 प्र0) द्वारा आवंटित सरकारी आवास को किराये पर उठाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

60--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव कुमार दुबे, अधिशासी अभियन्ता (ल0 सि0 उ0 प्र0) वैयक्तिक सहायक मुख्य अभियन्ता (ल0 सि0 उ0 प्र0) के नाम शासकीय आवासीय भवन अलीगंज आवास विकास कालोनी, एम0 आई0 जी0 106 आवंटित है किन्तु वे उसमें न रह कर किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर उठाये हैं और स्वयं बी-102, इन्द्रानगर के अपने निजी मकान में रह रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

23 अप्रैल, 1988 के पूर्व एम0 आई0 जी0-106 अलीगंज कालोनी, श्री शिव कुमार दूबे के नाम आवंटित था ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मकान में श्री दूबे स्वयं नहीं रहते थे और वह बी-102 इन्दिरानगर में किराये पर रहते हैं ।

वह अपनी स्वेच्छा से रह रहे हैं ।

उनके पूर्व आवंटन आदेश निरस्त कर दिये गये हैं ।

जनपद फतेहपुर के विकास खंड मलवा में नाले पर पुलिया का निर्माण

61--श्री अचल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खंड मलवा के अन्तर्गत इटरौरा नाला का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो उक्त नाले में मलवा कुंवरपुर रोड में पुलिया का निर्माण पानी निकलने के लिये आवश्यक होते हुये भी उसका निर्माण न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

उक्त नाले पर पुलिया का निर्माण फरवरी, 1988 में पूर्ण कर दिया गया है ।

श्री मोहम्मद हनफी, सहायक अभियन्ता, अकबरपुर, फैजाबाद के विरुद्ध रिपोर्ट का जानकारी

62--श्री शेर बहादुर सिंह--

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूंछ गये अतारांकित प्रश्न 118 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अकबरपुर, फैजाबाद

कोतवाली में किस व्यक्ति द्वारा किस धारा में और क्या रिपोर्ट लिखाई गई है तथा अब तक विवेचना पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, देवरिया द्वारा सड़क निर्माण कार्य में की गई अनियमितता

63--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में विकास खंड गौरी बाजार के अन्तर्गत इन्दुपुर से लबकनी होते हुए बिरवा तक जो सा0 नि0 वि0 की सड़क बन रही है, उसमे अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, देवरिया द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1987 प्राप्त हुआ जिसकी प्रति प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, उत्तर प्रदेश को भी दी गई थी ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच तथा किस अधिकारी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 18 फरवरी, 1987 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के थाना रूदौली के थानाध्यक्ष द्वारा अपने साथियों के साथ पं0 भरत सिंह तथा उनके पुत्र की तलाशी तथा उनके साथ मारपीट

64--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना रूदौली के थानाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ दिनांक 15/16 मई, 1987 को एक बजे रात को थाना नारखी के ग्राम पचवाल में प0 भरत सिंह और उनके पुत्र सुबोध के घर पर तलाशी ली, मारपीट की और जनानी धोती छपी हुई तथा एक कुट्टी घी जबरन थानाध्यक्ष उठा ले गये और भरत सिंह व सुबोध को पकड़कर हिरासत में मृत छिणामल स्वर्णकार के साथ थाना खंदौली ले गये ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15/16 मई, 1987 को थानाध्यक्ष खंदौली द्वारा ग्राम पचवाल, थाना नारखी में पंडित श्री भरत सिंह व उनके लड़के सुबोध के घर पर कोई दबिश नहीं दी गई और न तलाशी ली गई ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में कुर्क अमीनों की नियुक्ति के बारे में विधान परिषद् के सदस्य श्री अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कार्यवाही

65--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में तैनात डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 1986 को 34 कुर्क अमीनों की नियुक्ति के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 601 जिलाधिकारी लखनऊ को तारीख 6 नवम्बर, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र प्राप्त हुआ । उस पर जांच की जा रही है ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में, फर्जी फर्म शिव ट्रेडर्स को पंजीयन देने व लाखों रुपया बकाया होने के बारे में श्री अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर की गयी कार्यवाही

66--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड 3 में वर्ष 1977-78 व 1978-79 में फर्जी फर्म शिव ट्रेडर्स को पंजीयन देने व लाखों रुपया बकाया के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 594 सचिव संस्थागत वित्त को तारीख 4 नवम्बर, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा व पुलिस की जांच रिपोर्ट शासन व आयुक्त के पास किस-किस तिथि को आयी ? रिपोर्ट में किस-किस को दोषी माना गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मामले से सम्बन्धित अभिलेख आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जांच हेतु सौंपे जा चुके हैं । अभी तक अभिलेखों की वापसी एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अतएव अभी किसी को दोषी माने जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में कोयला के फर्जी व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने की जांच के बारे में श्री अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर कृत कार्यवाही

67--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड 9 व 10 में वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक कोयला के फरजी व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने की जांच के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 545 सचिव संस्थागत वित्त को तारीख 4 नवम्बर, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र संख्या 595 प्राप्त हुआ । पंजीयन खंड 9 व 10 से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड 10 व 11 से सम्बन्धित है । खंड 10 के व्यापारियों के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ई0 ओ0 डब्लू0) द्वारा जांच की जा रही है तथा खंड 11 के व्यापारी द्वारा 1980-81 के बाद में रु0 1,000 जमा किया गया है तथा वर्ष 1979-80 हेतु आरोपित कर रु0 1,200 व वर्ष 1980-81 हेतु आरोपित कर में से बकाया रु0 23,000 का वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ।

जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद के ग्राम हाटा के समीप मिली एक महिला की लाश के सम्बन्ध में

68--श्री अफजाल अंसारी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद के ग्राम हाटा के समीप 10 जनवरी, 1988 को एक स्त्री की लाश मिली ? शिनाख्त के अनुसार मृतक महिला श्रीमती चन्द्रवती थाना नोनहरा ग्राम मुबारकपुर नेत की रहने वाली थी और इसका विवाह इसी जनपद में थाना बरेसर के ग्राम सिपाह निवासी सुग्रीम पुत्र चहेटू से हुआ था ? क्या यह सही है कि पति द्वारा दूसरी शादी कर लिए जाने के कारण मृतक महिला ने न्यायालय मुन्सिफ मुहम्मदाबाद में खर्चे का मुकदमा अपने पति पर दायर किया था ? क्या मृतक के भाई व पिता ने तार द्वारा पुलिस कप्तान को सूचना देकर अपनी बहन व बेटी की हत्या किये जाने की शंका व्यक्त की थी ? इसके बाद भी क्या कारण है कि लाश मिलने के पश्चात् थाना नोनहरा द्वारा मुकदमा न कायम कर स्वाभाविक मौत दिखलाया गया ? क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सम्पूर्ण प्रकरण जांच हेतु अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दिया गया है ।

श्री दतई, निवासी बस्ती को मृत घोषित कर वसीयत के आधार पर उसकी भूमि का हस्तान्तरण किया जाना

69--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दतई पुत्र कामता ग्राम धोवही तप्पा बनगवां तहसील हर्रैया, जनपद बस्ती की वसीयत बनाकर श्री दतई को मृतक घोषित करके 22 फरवरी, 1984 तथा 27 मार्च, 1984 को नायब तहसीलदार हर्रैया के यहां वाद दाखिल करके मुकदमे का फैसला करा लिया गया था ? यदि हां, तो श्री दतई ने पुलिस अधीक्षक, बस्ती तथा जिला अधिकारी, बस्ती एवं शासन को लिखित शिकायती पत्र फरवरी, 1984 से अक्तूबर, 1986 तक कितनी बार अपने सुरक्षा के लिए दिया और अधिकारियों ने श्री दतई के सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचनानुसार भगवान प्रसाद आदि ने श्री दतई को मृत घोषित कर वसीयत के आधार पर भूमि का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करा लिया था । आपत्ति प्रस्तुत होने

पर उक्त आदेश को निरस्त कर भूमि दतई के नाम पूर्ववत् अंकित करने के आदेश न्यायालय द्वारा 27 मार्च, 1984 को पारित किये गये ।

श्री दतई द्वारा कुल 6 प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं । श्री दतई सम्प्रति अपने ग्राम धोबही में नहीं रहता है । अतएव स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी सुरक्षा व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सा0 नि0 वि0 उरई जालौन के कतिपय कर्मचारियों के निलम्बन स्थानान्तरण सेवा समाप्ति के आदेशों का स्थगन

70--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 1985, 16 जून, 1986, 10 जुलाई, 1986 द्वारा श्री आर0 बी0 तिवारी, अवर अभियन्ता तथा उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 16 जून, 1986 द्वारा की बदलू मिस्त्री, श्री सन्तोष कुमार मेट, श्री राज कुमार मेट, श्री मातादीन मेट, श्री डी0 एन0 दुबे लिपिक, निर्माण खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, उरई (जालौन) के कर्मचारियों हेतु कार्य भार ग्रहण करने तथा वेतन भुगतान का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उरई ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया और न सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन ही भुगतान कराया ? यदि हां तो उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन करने के लिए विभाग में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत आदेशों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने श्री आर0 बी0 तिवारी, अवर अभियन्ता के निलम्बन/स्थानान्तरण आदेशों, सर्वश्री बदलू मिस्त्री, संतोष कुमार मेट, राज कुमार मेट व मातादीन मेट की सेवा के समाप्ति के आदेशों एवं श्री डी0 एन0 दुबे लिपिक के निलम्बन आदेश को स्थगित किया था । माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया । उल्लिखित कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया था तथा उन्हें कार्यरत अवधि के उनके वेतन का भुगतान भी करा दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया में राप्ती नदी में करहकोल और गौरा नदी में नरायनपुर घाट पर पीपे का पुल तथा सुअरहा घाट पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

71--श्री रणजीत तथा मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में राप्ती नदी में करहकोल घाट और गौरा नदी में नरायनपुर घाट पर पीपे का पुल तथा मंझन नाले पर सुअरहा घाट पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

(1) गोरा नदी के नारायनपुर घाट पर पीपे के पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

(2) राप्ती नदी के करहकोल घाट पर पीपे के पुल एवं मंझन नाले के सुअरहा घाट पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री शम्भूनाथ सिंह तथा कतिपय अन्य लोगों के विरुद्ध थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में दर्ज अपराधिक मुकदमों एवं आग्नेय-शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही

72—श्री बलराम, श्री राम जनम, श्री रमाकान्त श्री मित्रसेन तथा श्री पारस नाथ यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भूनाथ सिंह, श्री त्रिलोकी सिंह पुत्रगण श्री बंशराज सिंह, श्री अशोक प्रताप उर्फ लल्लन सिंह पुत्र श्री शम्भूनाथ सिंह, ग्राम खुआपार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में अब तक कितने अपराधिक मुकदमें अंकित कराये गये हैं ? क्या अभियुक्तगण आग्नेय शस्त्र के लाइसेन्सी हैं ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें तथा इनके लाइसेन्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्री शम्भू नाथ सिंह तथा श्री त्रिलोकी सिंह के विरुद्ध सात-सात मुकदमें तथा श्री अशोक प्रताप सिंह उर्फ लल्लन सिंह के विरुद्ध 3 मुकदमें थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत हुए हैं ।

जी हां ।

इनके आग्नेय शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विचाराधीन है ।

गौरी बाजार, जनपद देवरिया में निर्माण संबंधी-कार्य के बंटवारे में की गई अनियमितता के संबंध में विधायक के पत्र पर की गई कार्यवाही

73—श्री रणजीत तथा श्री मंनेजर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गौरी बाजार विधान सभा क्षेत्र, जनपद देवरिया में निर्माण संबंधी कार्य क्षेत्र के बंटवारे में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 6 जनवरी, 1988 अधीक्षण अभियन्ता, 15वां वृत्त, आजमगढ़, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, देवरिया को भी पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्य न किए जाने के संबंध में शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य विधान सभा श्री रणजीत का एक पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1988, अधीक्षण अभियन्ता, 15वां वृत्त, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ।

कार्य बंटवारे में कोई अनियमितता नहीं की गई, अतएव शासन स्तर से किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में जिलेवार चोरी और डकैती के अपराधों का विवरण

74—श्री सुनील शास्त्री—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1987 में प्रदेश में जिलेवार चोरी और डकैती की कितनी घटनायें हुई ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन अपराधों की संख्या वर्ष 1986 की अपेक्षा वर्ष 1987 में अधिक रही ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसे अपराधों के निरन्तर बढ़ने से रोकथाम की कोई नीति निर्धारित करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रदेश में वर्ष 1986 एवं 1987 में घटित चोरी और डकैती के अपराधों के जनपदवार आंकड़े संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं जिसमें जनपद लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, नैनीताल तथा जी0 आर0 पी0 अनुभाग, गोरखपुर में घटित चोरी के अपराधों के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण सम्मिलित नहीं किए जा सके हैं। उपलब्ध आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा पर यह पाया गया है कि वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 1987 में जनपद बदायूं, मेरठ, कानपुर नगर, बिजनौर तथा राजकीय रेलवे पुलिस के मुरादाबाद एवं झांसी अनुभाग में चोरी के अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई थी। प्रदेश में घटित डकैती की कुल घटनाओं की संख्या में वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 1987 में कमी हुई थी। इन अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश पुलिस सदैव सतर्क है और पुलिस गश्त के व्यापक प्रबन्ध किये जाते हैं तथा सक्रिय गिरोहों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान भी चलाये जाते हैं। परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों द्वारा समय-समय पर अपने-अपने परिक्षेत्र में घटित अपराधों की समीक्षा करके रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक भी अपने स्तर पर इसका निकट से पर्यवेक्षण करते हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 148 पर।)

37वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 में हाई स्कूल उत्तीर्ण रसोइयों को लिपिक परीक्षा में बैठने का अवसर न दिया जाना

75—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 37वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 कानपुर, में हाई स्कूल पास ऐसे कितने रसोइये हैं जिन्हें लिपिक परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर आवेदन करने के बाद भी नहीं दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित पक्ष को न्याय देकर उत्पीड़क पक्ष को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पी0 सी0 एफ0 लखनऊ पर बकाया बिक्रीकर एवं अर्थ दण्ड विषयक पत्र पर कार्यवाही

76—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि पी0 सी0 एफ0 लखनऊ के अपर बिक्रीकर बकाया व उस पर अर्थदण्ड की कार्यवाही न करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या

571 मुख्य सचिव को ता0 28 अक्तूबर, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । पत्र का उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया गया है ।

श्री सुखई यादव, निवासी जमालपुर, जनपद आजमगढ़ की विवादास्पद भूमि विषयक पत्र पर कार्यवाही

77--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री सुखई यादव, निवासी जमालपुर भेलखरा, जनपद आजमगढ़ के भूमि विवाद के संदर्भ में माननीय सांसद श्री राम नरेश कुशवाहा ने अपने पत्र दिनांक 11 मार्च, 1987 द्वारा उक्त वाद के समाधान के सम्बन्ध में लिखा था जिसके संदर्भ में लिखा था जिसके संदर्भ में उन्होंने पत्र सं0-19 सी0 एम0 एम0 पी0/32/87 सचिवालय ऐनक्सी भवन, लखनऊ, दिनांक 2 अप्रैल, 1987 द्वारा उन्हें कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचित किया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

श्री सुखई यादव, निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा के भूमि विवाद से सम्बन्धित मामले में फर्जी इन्द्राज खारिज कर दिये गये हैं । प्रशासकीय जांच के फलस्वरूप दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या-204/84 अन्तर्गत धारा 420/468/218 भा0 दं0 वि0 दर्ज किया गया जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है ।

हरगांव सहकारी गन्ना विकास समिति, सीतापुर द्वारा किसानों का कृषि निवेश में काटे गये पैसे के भुगतान में विलम्ब

78--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में हरगांव सहकारी गन्ना विकास समिति में किसानों का कृषि निवेश का पैसा वर्ष 1981-82 में काटा गया था लेकिन उसका अभी तक न भुगतान किया गया न बाण्ड दिये गये ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । जनपद सीतापुर में हरगांव सहकारी गन्ना विकास समिति में कृषि निवेश निधि योजनान्तर्गत वर्ष 1981-82 में काटे गये धन का भुगतान निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार प्रत्येक सप्ताह में वृहस्पतिवार के दिन को किया जा रहा है एवं उक्त वर्ष के समस्त प्रमाण-पत्र कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं ।

फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कं0, अलीगढ़ के विरुद्ध कर वंचन के अपराध पर कृत कार्यवाही

79--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कं0 देहली स्थित व्यापारियों के लिये क्रय एजेंसी के रूप में काम कर रही थी

जो कर का भुगतान नहीं कर रही थी, वर्तमान अधिकारी ने माह नवम्बर, 1987 में इस करवन्चना को पकड़ा और बिक्रीकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की है ? यदि हां, तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारी ने किन-किन वर्षों में कितना कर व अर्थदण्ड लगाया ? किन-किन अधिकारियों में पूर्व में इस करदाता को इस बिक्री पर कर मुक्ति प्रदान की थी ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । यह फर्म दिल्ली के व्यापारियों के लिये क्रय एजेन्सी का कार्य करना अपने रूप पत्रों में घोषित करती थी । तथापि क्रय एजेन्सी के रूप में किए गए संव्यवहार पर कर नहीं जमा करती थी ।

व्यापारी के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने के आधार पर दिनांक 11 सितम्बर, 1987 को बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 श0), अलीगढ़ ने बिक्रीकर अधिकारी, खंड-5, अलीगढ़ के साथ आकस्मिक सर्वेक्षण किया । प्रथम दृष्टया व्यापारी द्वारा करावंचन किया जाना प्रकाश में आने के कारण वर्ष 1986-87 के बाद में अनन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया गया और अर्थदण्ड कार्यवाही भी की गयी ।

फर्म ने जनवरी, 1987 से व्यापार प्रारम्भ किया है । वर्ष 1986-87 के बाद का निस्तारण अभी नहीं हुआ है ।

वर्ष 1987-88 में प्रकाश में आयी करवंचना को दृष्टिगत रखते हुये पारित अनन्तिम कर निर्धारण आदेशों प्रान्तीय कर रुपये 5,49,640 तथा केन्द्रीय कर रुपये 10,38,800 तथा रु0 13,968 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है ।

किसी भी वर्ष का बाद अन्तिम रूप से निस्तारित न होने के कारण किसी बिक्री पर कर मुक्ति देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दोषी न होने के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-16, कानपुर द्वारा फर्जी व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

80--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी कि कानपुर बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-16 में बिक्रीकर अधिकारी द्वारा वर्ष 1982-83 व 1983-84 में कोयला के फर्जी व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र सं0 404, सचिव, संस्थागत वित्त को तारीख 2 जुलाई, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । जांच कराई गयी थी । जांचोपरान्त दोषी बिक्रीकर अधिकारी श्री निर्मल चन्द्र पाण्डेय को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-3 में फर्म केदार नाथ आजाद कुमार से बिक्रीकर बकाया से अधिक वसूलने पर कृत कार्यवाही

81--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 24 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2097, माननीय वित्त राज्य मंत्री को तारीख 18 सितम्बर, 1986 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य का पत्र संख्या 2097 उपलब्ध नहीं हो रहा है । अतएव माननीय सदस्य से उसकी प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । प्रति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

डिप्टी कलेक्टर संग्रह बिक्रीकर, लखनऊ द्वारा बकाया धनराशि न वसूल किये जाने विषयक जांच

82--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में तैनात डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा पुरानी बिक्रीकर बकाया को न वसूलने के सम्बन्ध में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को तारीख 27 नवम्बर, 1987 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जाँच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अली मुहम्मद, सुरैना जनपद बस्ती की भूमि की जाली रजिस्ट्री कराये जाने में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

83--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सुरैना, पोस्ट घनघटा, जनपद बस्ती के निवासी स्व0 श्री अली मुहम्मद का देहान्त लगभग पचास वर्ष पूर्व हो चुका था ? यदि हां, तो क्या उनकी जमीन चमड़ा औद्योगिक समिति लि0 स्थित ग्राम मिबघाट, पोस्ट घनघटा, जनपद बस्ती के नाम जाली रजिस्ट्री मार्च, 1982 में कराई गयी है ? क्या उक्त रजिस्ट्री पर गवाही करने वाले व्यक्ति वृन्दावन पुत्र चयत्र जो ग्राम सुरैना, पोस्ट घनघटा, जनपद बस्ती का रहने वाला है, के विरुद्ध उक्त जाली रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, खलीलाबाद, जनपद बस्ती के ग्राम सुरैना द्वारा जांच हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1986 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस

पर क्या कार्यवाही की गयी तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अली मुहम्मद, निवासी ग्राम सुरैना, पोस्ट घनघटा, जनपद बस्ती इस समय लापता हैं । उक्त ग्राम के कुछ व्यक्तियों ने उन्हें 1982 तक देखने का दावा किया है । उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है, श्री अली मुहम्मद की ग्राम भिखघाट स्थित भूमि 61 ख/0-7-7 की रजिस्ट्री पशुशव उपयोग औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, भिखघाट के नाम मार्च, 1982 में हुई है ।

ग्राम प्रधान सुरैना द्वारा प्रेषित प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1986 प्राप्त नहीं हुआ है । विक्रय पत्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय को ही निर्णय देने का अधिकार है ।

उत्तर प्रदेश सम्भागीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री रमाशंकर लाल पर प्राणघातक हमला विषयक पत्रों पर कार्यवाही

84--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सम्भागीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री रमाशंकर लाल पर सदर अस्पताल गोरखपुर को एक उप निदेशक मण्डल समादेश गोरखपुर द्वारा प्राण घातक हमला किया गया था ? यदि हां, तो श्री लाल ने सी0 बी0 आई0 से जांच हेतु शासन तथा जिलाधिकारी गोरखपुर को जनवरी, 1987 से 19 जून, 1987 तक कितने प्रार्थना पत्र दिये तथा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में स्टेट सेक्टर में स्वीकृत पुलों का विवरण

85--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में जनपद फैजाबाद के कौन-कौन से पक्के पुल स्टेट सेक्टर में बनने के लिए स्वीकृत हुए और उनका आधार क्या था तथा जिस आधार को मानक मानकर उक्त पुलों को स्वीकृति प्रदान की गई उसमें से कौन सी चीज कम थी जिसके कारण विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित तिवारीपुर नन्सा बाजार मार्ग पर गांव सभा निझौड़ा में मड़हा नदी पर पक्के पुल के निर्माण का कार्य नहीं स्वीकृत किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं धन की उपलब्धता को आधार मानकर जनपद फैजाबाद में वर्ष 1987-88 में स्टेट सेक्टर में निम्नलिखित पुल स्वीकृत किये गये हैं:--

1--बीकापुर-जाने बाजार मार्ग पर पल्टूवीर घाट पर बिसुही नदी पर पुल,

2—नेतवारी रसूलाबाद दर्शन नगर मार्ग पर आरमीघाट पर तमसा (मड़हा) नदी पर पुल,

3—टांडा नगर पालिका क्षेत्र में टांडा बसखारी मार्ग पर थिउआ नाले पर पुल,

4—तिवारीपुर-मिझौड़ा नन्सा बाजार मार्ग पर ग्राम मिझौड़ा के पास मड़हा (तमसा) नदी पर पुल ।

तिवारीपुर-मिझौड़ा नन्सा बाजार मार्ग पर ग्राम मिझौड़ा के पास मड़हा (तमसा) नदी पर पुल का निर्माण 60.00 लाख रुपये की लागत पर शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 1988 में स्वीकृत किया जा चुका है ।

कैबिनेट/राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त व्यक्तियों की सूची

86—श्री [illegible] दीप सिंह बरार—

[illegible] प्रोटोकोल विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों [illegible] अतिरिक्त किन-किन व्यक्तियों को प्रोटोकोल के लिहाज से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के समकक्ष दर्जा शासन द्वारा दिया गया है ?

पर्यटन तथा प्रोटोकाल उप मंत्री (श्रीमती प्रमीला बद्धवार मेहरा)—

राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों के अतिरिक्त, प्रोटोकाल के लिहाज से निम्नलिखित व्यक्तियों को कैबिनेट अथवा राज्यमंत्री के समकक्ष दर्जा शासन द्वारा दिया गया है :—

नाम	दर्जा
1	2
1—श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर, उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद्	कैबिनेट मंत्री
2—श्री मोहन सिंह, अध्यक्ष, सिंचाई आयोग	कैबिनेट मंत्री
3—श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन प्रशासक कमेटी	कैबिनेट मंत्री
4—बेगम कुदेसिया एजाज रसूल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग	राज्य मंत्री
5—श्री राधाकृष्ण अवस्थी, परामर्शदाता (सूचना)	राज्य मंत्री
6—श्रीमती प्रेमवती तिवारी, अध्यक्षा, यूपिका प्रबन्ध समिति	राज्य मंत्री

1	2
7--लोकायुक्त	यद्यपि लोकायुक्त को कैबिनेट राज्य अथवा उपमंत्री के समकक्ष दर्जा तो नहीं दिया गया है, तथापि उन्हें जिलों में आगमन पर वही शिष्टाचार प्रदान किया जाता है जो प्रदेश के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों एवं अन्य के दौरों पर प्रदर्शित किया जाता है ।

उक्त के अतिरिक्त श्री अजीत प्रताप सिंह, अवैतनिक उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग एवं श्री शिव प्रताप सिंह, अध्यक्ष पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को क्रमशः कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री का स्तर प्रदान किया गया है ।

87--श्री महावीर सिंह राणा--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

88--श्री महावीर सिंह राणा--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

सा0 नि0 वि0 (मध्य क्षेत्र) में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान आदि के सम्बन्ध में पत्र

89--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठवें मंगलवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1986 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मध्य क्षेत्र कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों को वेतनमान आदि दिए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में मांगी गई आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली महानगर में चावल पर आधारित कुटीर उद्योग धन्धों पर निर्भर परिवारों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इसमें से 7 सूचनायें शलाका द्वारा स्वीकार की गई हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं 1--श्री श्याम बिहारी सिंह, 2--श्री किशन लाल दिलेर, 3--श्रीमती सरस्वती देवी, 4--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, 5--श्री सत्य प्रकाश विकल, 6--श्री राकेश धर त्रिपाठी, 7--श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी ।

(आप लोग सहमत हों तो सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायें)

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री श्याम बिहारी सिंह--

[महोदय, बरेली महानगर में लगभग 50 हजार लोधी राजपूत वर्षों से धान से चावल निकालने के कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं। यह लोग विभिन्न मण्डियों व मण्डी स्थलों से धान खरीदकर लाते हैं व धान सुखाकर कुटवाते हैं व उनका चावल बनाते हैं व बेचते हैं।

वर्षों से यह लोग मण्डी समिति से 7 आर के अन्तर्गत धान खरीदते थे। गत वर्ष से मण्डी समिति द्वारा नीलामी प्रथा कर दिये जाने के कारण व आर के अन्तर्गत खरीदना पड़ता है और साल में एक लाख की बिक्री न होने पर भी सेल्स टैक्स देना पड़ता है व 9 आर की बढ़ी फीस व सेल्स टैक्स वसूली के कारण इन लोगों द्वारा बनाया गया चावल मिलों के चावल से मंहगा पड़ता है जिससे यह उद्योग अलाभकारी हो गया है व इसमें लगे सभी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि बरेली के 50 हजार से अधिक चावल के कुटीर उद्योग में लगे लोगों के हित में मण्डी समिति द्वारा 9 आर प्रथा समाप्त कर 7 आर प्रथा लागू किया जावे जिससे यह कुटीर उद्योग अलाभकारी होने से बचे व हजारों लोगों को पुनः रोजगार मिल सके।]

प्रदेश के होमगार्ड्स सिपाहियों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर--

[महोदय, प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर होमगार्ड्स का शोषण विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। दिन-दिन भर पुलिस के सिपाही के बराबर ड्यूटी देने के उपरान्त भी तीन-तीन माह तक वेतन का बिल नहीं बनता है। बरेली जनपद में अनेकों गार्ड्स ऐसे हैं जिनका तीन माह तो क्या वर्ष 1985 तक का वेतन नहीं मिला है। वेतन के बिल ड्यूटी लगाये जाने, प्रमोशन आदि में बड़ी धांधली बरती जा रही है व बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। गरीब होमगार्ड्स का उच्च स्तर पर शोषण हो रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराई जावे व बरेली जनपद में होमगार्ड्स का शोषण समाप्त कराया जावे।]

अल्मोड़ा जनपद के कतिपय ग्रामों में ओला वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरस्वती देवी--

[मान्यवर, विगत 12 मार्च, 1988 को अल्मोड़ा जनपद के कई ग्रामों में भयंकर ओला वृष्टि होने से फसल व फलों को व्यापक क्षति हुई है मान्यवर, विगत वर्ष से सूखे का सामना करते हुए किसान त्रस्त थे और अब इस ओला वृष्टि ने उनकी रही-सही फसल को भी नष्ट कर दिया है जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। मान्यवर, क्षेत्र में जानवरों के लिए भी चारे की समस्या खड़ी हो गई है।

अतः अनुरोध है कि कृपया तत्काल किसी सक्षम अधिकारी से क्षेत्र का निरीक्षण करवा कर किसानों को राहत सामग्री दिलवाई जाये तथा क्षेत्र में यथाशीघ्र रोजगार सृजन हेतु कार्यवाही की जाय ताकि किसान अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला झांसी के कस्बा एरच के कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

[महोदय, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद झांसी, कस्बा एरच में कब्रिस्तान की भूमि पर कबरों को खोदकर भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जिसकी सूचना तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल सचिव, टाउन एरिया एवं थानाध्यक्ष एरच, परगनाधिकारी गरोज व जिलाधिकारी झांसी को दी गई जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इसी कारण माह मार्च के प्रथम सप्ताह में ग्राम डिकाली व लखनवारा के कुछ जबरदस्त लोग लाठी डंडों के जोर पर भूमि नं0 2602, 2075, 2077, 2087, 2098, 2797, 2000, 2802 आदि पर जबरदस्ती कब्जा कर कबरों को खोद-खोद कर अपने-अपने मकान का निर्माण करने लगे हैं जिससे वहां के अल्प संख्यक समुदाय के लोगों में बड़ा रोष व्याप्त हो गया है और किसी समय कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसी क्रम में न्याय पाने हेतु और तुरन्त कार्यवाही की मांग के लिए। मई, 1988 से टाउन एरिया एरच के प्रांगण में क्रमिक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि कब्रिस्तान पर किया गया निर्माण तुरन्त हटाकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही तुरन्त की जाये ताकि मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों में व्याप्त रोष, असन्तोष व आक्रोश समाप्त हो जाये,

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला आजमगढ़ के फूलपुर थाने की पुलिस द्वारा श्री जितेन्द्र नाथ गुप्त तथा उनके पुत्रों को गैर कानूनी रूप से निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल--

[आजमगढ़ जिले की टाउन एरिया फूलपुर निवासी श्री जितेन्द्र नाथ गुप्त तथा उनके दोनों पुत्र फूलपुर थाने के झूठे आरोप पर इस समय जेल में बन्द हैं। उनके घर पर पुलिस का कब्जा है और उनकी पत्नी तथा चौदह और सोलह साल की दो कुंवारी कन्याएं पुलिस के भय से मारी-मारी भटक रही हैं। स्थानीय पुलिस ने स्थानीय कोतवाल को मारने के आरोप में श्री जितेन्द्र नाथ के घर का ताला बिना किसी मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय लोगों के उपस्थिति के दिनांक 17 मार्च, 1988 को तोड़कर उनका लाखों रुपये का सामान लूट लिया है। इसके पूर्व श्री जितेन्द्र नाथ गुप्त के किरायेदार की झूठी शिकायत पर कोतवाल श्री सिद्दीकी ने श्री गुप्त को थाने में बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा पीटा था।

परिणामतः पुलिस के इस अनुचित, अनैतिक तथा अमाननीय व्यवहार के विरोध में दिनांक 28 मार्च, 1988 को फूलपुर बन्द रहा साथ में उपस्थित शान्तिपूर्ण लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तथा अनेक लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया। पुलिस के इस अत्याचार से जनता में भारी असन्तोष तथा रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि श्री जितेन्द्र नाथ गुप्त उनके दोनों लड़कों तथा अन्य लोगों पर चलाये गये झूठे मुकदमों को वापस लिया जाय। श्री गुप्त

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, उनके मकान पर से पुलिस का ताला हटाकर श्री गुप्त को कब्जा दिया जाय तथा जितेन्द्र गुप्त उनकी पत्नी तथा विधान सभा की पांच सदस्यों की उपस्थिति में उनके घर के सारे सामान की सूची बना कर स्थानीय पुलिस से वापस कराया जाय ।]

खलीलाबाद शुगर मिल प्राइवेट लि0, बस्ती मे मैनेजर द्वारा चीनी की बिक्री में जिलाधिकारी, बस्ती की सांठ-गांठ से घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[महोदय, खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राइवेट लि0, खलीलाबाद, बस्ती में लगभग 7 लाख कुन्तल गन्ना एक करोड़ इक्यासी लाख रुपये मूल्य का विभिन्न समितियों के माध्यम से खरीदकर 58 हजार 2 सौ 4 बोरी चीनी का उत्पादन किया । जिसमें से तेइस हजार तीन सौ बीस बोरी चीनी बैंक के पक्ष में बन्धक रखकर एक करोड़ रुपया अग्रिम के रूप में प्राप्त किया तथा शेष पैंतीस हजार (रु0 35,000) बोरी चीनी भारत सरकार से रिलीज आर्डर बिना प्राप्त किये ही बेच दिया जिससे लगभग एक करोड़ अस्सी लाख रुपये की प्राप्ति हुई । सारी चीनी बिकने के बाद नियमतः किसानों का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए था ।

जिला अधिकारी, बस्ती ने उत्तर प्रदेश शुगर केन पर्चेज ऐण्ड सप्लाई रेगुलेशन एक्ट की धारा 17 के उपधारा 5 के अधीन टेगिंग आदेश के पालन किये जाने से कार्यवाही को सुनिश्चित नहीं करवाये जिसके कारण फैक्ट्री ने समस्त चीनी को अवैधानिक रूप से बेच लिया । जांच योग्य उल्लेखनीय तथ्य है कि जब चीनी मिल बन्द हो गयी और सारी चीनी बेचने की सूचना जिलाधिकारी के सम्बन्धी फक्ट्री मैनेजर ने उन्हें दी तब जिलाधिकारी ने समय बीत जाने के पश्चात् टेगिंग आदेश पारित किया ।

यह लोक महत्व और किसानों के परिश्रम से उत्पादित गन्ना मूल्य का है सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे इस भयंकर आर्थिक घोटाले में जिलाधिकारी की भूमिका की जांच करायें ।]

गोरखपुर जिलान्तर्गत ब्लाक पिपराइच के ग्राम भोगलपुरा में राजस्व वसूली में अनियमितता एवं किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी—

[गोरखपुर जिले के खंड विकास क्षेत्र पिपराइच के ग्राम भोगलपुरा उर्फ महमूदाबाद के किसानों से तहसील के कर्मचारियों द्वारा बकाये के नाम पर अनुचित वसूली की जा रही है । तहसील कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 1975-76 में गण्डक समादेश, गोरखपुर के संरक्षण में इस गांव में चकरोड, चकनाली कुलाबा आदि बनाया गया है । इन पर लगने वाले व्यय की ब्याज सहित वसूली होगी । वस्तुस्थिति यह है कि गण्डक समादेश गोरखपुर द्वारा न तो भूमि अध्याप्ति की किसानों को नोटिस दी गयी और न उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया और न तो कुल कार्यों के लिये लगने वाले व्यय की भी किसानों को कोई सूचना दी गयी । आज बारह वर्षों के बाद तहसील कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अवैध और अनुचित वसूली से ग्राम वासियों में भारी असन्तोष तथा भी व्याप्त है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि वसूली को तत्काल रोककर उच्च स्तरीय जांच द्वारा किसानों के साथ न्याय किया जाये।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित जी की प्रश्नों का निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को न भेजा जाना और उत्तरित न होने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री शारदा प्रताप जी की सचिव, प्राविधिक शिक्षा एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के सम्बन्ध में जांच हेतु विधायकों को 25 व 27 को तलब किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, श्री अचल सिंह जी की क्वालिटी स्टील फैक्ट्री के हड़ताल के मामले में अध्यक्ष के निदेशों के बावजूद भी अभी तक शासन द्वारा वक्तव्य न दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, राम चन्द्र बख्श सिंह, राम सागर व बलराम यादव जी की पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना अनुग्रह नारायण सिंह जी की टेलीफोन के सम्बन्ध में शिकायतों से सम्बन्धित सूचना है। छठी सूचना, डा0 दिनेश जौहरी, श्री सत्य प्रकाश विकल और श्री अवनीश कुमार सिंह जी की अफसरों की पत्नियों के बारे में है। सातवीं सूचना, श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी की ग्राम सभाओं के चुनावों को टालने के बारे में है। आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री सत्य प्रकाश विकल जी की विधायकों से मिलने के लिए आने वालों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना सर्वश्री गौरी शंकर भइया, रवीन्द्र नाथ तिवारी, शारदा नन्द अंचल, राम गोविन्द चौधरी व मैनेजर सिंह जी की डी0 एम0, बलिया के बाबत जांच अधिकारी की घोषणा न करने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी व श्री राकेश धर त्रिपाठी जी की पद यात्रा का नाटक और निर्माण कार्यों की घोषणा के सम्बन्ध में है।

जहां तक पहली सूचना जो श्री हृदय नरायन दीक्षित जी का प्रश्न है, सामान्यतः प्रश्नों को यथासम्भव शीघ्र शासन को भेज दिया जाता है, लेकिन जब काफी संख्या में प्रश्न प्राप्त होते हैं तो सीमित स्टाफ की संख्या के कारण प्रश्नों को भेजने में कभी-कभी विलम्ब होना स्वाभाविक है लेकिन फिर भी कोशिश की जायेगी कि जल्दी से जल्दी प्रश्नों को उत्तर के लिए भेज दिये जांय। दूसरी सूचना श्री शारदा प्रताप जी की है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस मामले को देखें और इसका निराकरण करें। जहां तक माननीय श्री अंचल सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है, इसे 2 मई, 1988 के लिए वक्तव्य के लिए निर्धारित किया गया है। शेष सभी सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इन्हें अस्वीकार किया जाता है।

पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शासन द्वारा कार्यान्वयन न किये जाने विषयक उठाये गये औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आप ही मुझे समझा दें कि कैसे नियम 300 के अन्तर्गत सूचना आपको आती है। आपसे अनुरोध किया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रति दे दें, लेकिन आपने नहीं दी।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसे आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट की कापी दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आप इतनी महत्वपूर्ण बात को नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जब आप मुझे समझा देंगे कि यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है तो मैं जरूर सुनूंगा। आप नियम के अनुसार चलिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, जब आप समझाने का मौका नहीं देंगे तो कैसे हम आपको समझायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे मान्यवर, जो आपकी व्यवस्था होगी वह हम लोगों को शिरोधार्य होगी लेकिन आपके समक्ष कल भी माननीय सदस्यों ने इस बात को यहां उठाना चाहा, कल मान्यवर, आपने सदन में देखा होगा कि लगातार उस पर उपेक्षा की जाती रही। एक निगम में एक अधिकारी ने 200 नियुक्तियां कीं जिसमें से 173 अपनी जाति के लोगों की नियुक्तियां की और 57 हरिजन को निकाल दिया। इसलिये यह औचित्य का मामला है और इतना गम्भीर है और इसे जरूर सुनना चाहिए। जितना ही हम लोग सदन में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं उतना ही उसके विपरीत कार्यवाही होती चली जा रही है। आज प्रदेश में हरिजनों को दूसरे नम्बर का नागरिक माना जा रहा है। यही हाल अल्पसंख्यकों का है कि सन् 1947 के बाद से लगातार अल्पसंख्यकों के साथ बेइमानी की जा रही है। आज एक सैकड़ा भी लोग अल्पसंख्यक नौकरियों में नहीं हैं। आज तक हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। आज पिछड़े लोगों के प्रथम श्रेणी की नौकरियों में एक सैकड़ा लोग भी नहीं हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर माननीय बेनी प्रसाद वर्मा को एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, आप मुझे यह समझा दें, कृपा करके कि यह विषय नियम 300 में आता भी है या नहीं। बार-बार कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट के लिये कि उसे दें, जरा मैं भी तो देखूं कि निर्णय क्या है ?

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो हुकुम करेंगे वह हमें शिरोधार्य है परन्तु....

श्री अध्यक्ष—

म कहता हूं कि यदि आप जजमेन्ट को दिखा देंगे तो हम इसे कल सुन लेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप ग्राह्यता पर तो हमारे आरगूमेन्टस् को सुनेंगे ? यदि आपको वह सही लगे तो औचित्य के सवाल को स्वीकारें ।

श्री अध्यक्ष—

या तो नियम के अनुसार चलिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

नियम के अनुसार मुझसे ज्यादा चलने वाला कोई नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

क्या आप सब एक साथ बोलेंगे ? आप लोग बैठे, मैं खड़ा हूं जब आप सब एक साथ खड़े होंगे और बोलेंगे तो मेरे लिए सुनना सम्भव नहीं है । अगर आपकी बात नियम के अन्तर्गत आती है, नियम 300 में किस बात का, संविधान का उल्लघंन हुआ है उससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है, जो आप यह नियम 300 में लाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे लिए इसको सुनना मुमकिन नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं सुनूंगा । आप मेरे चेम्बर में आ जाइये और मुझे बाध्य कर दीजिये कि यह कैसे नियम में आता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह चेम्बर का मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह पूरे प्रदेश का मामला है । इस प्रदेश में आरक्षण नाम की अब कोई बात नहीं रह गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस कुर्सी को मानते हैं और फिर मेरी बात को सुनते भी नहीं हैं । यह दो अलग-अलग चीजें हो रही हैं, यह मुमकिन नहीं है ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहते हैं कि सदन न चले ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 4 माननीय मुख्य मन्त्री...

(तत्पश्चात् श्री बेनी प्रसाद वर्मा सदन के फ्लोर पर आ कर बैठ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(व्यवधान के दौरान)

मान्यवर, मुझे मद संख्या 4 पर घोर आपत्ति है ।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सदन की कार्यवाही को हम आधे घन्टे के लिए स्थगित करते हैं ।

(तत्पश्चात् 12 बज कर 31 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी गयी । 1 बज कर 1 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, हमारे औचित्य के प्रश्न के बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

कल आपके प्रश्न के बारे में विचार कर लेंगे । आज कुछ नहीं । जो निर्णय हो चुका वह हो चुका ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मैंने नियम 300 में एक प्रश्न दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह सब अस्वीकार हो चुके हैं । अब कोई बात नहीं हो सकती है अध्यक्ष जी ने कहा था कि चार बजे बात हो जायेगी ।

श्री अचल सिंह--

मैंने 16 मार्च, 1988 को औचित्य का प्रश्न दिया था और आपने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन

(जनवरी से दिसम्बर, 1985 तक)†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (एक जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि का) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

†छापा नहीं गया ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (जनवरी से दिसम्बर, 1985) को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, लोक आयुक्त अधिनियम की धारा 12 (6) में यह प्राविधान है कि लोक आयुक्त अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे और धारा 12(7) में यह प्राविधान है कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखेंगे। जो लोक आयुक्त की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है वह 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 की अवधि की है। नियमानुसार यह रिपोर्ट वार्षिक आनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से तरह-तरह की अड़ंगे बाजी के कारण यह रिपोर्ट समय से नहीं आ पा रही है और लोक आयुक्त की जो संस्था है वह अप्रासंगिक और प्रभावहीन हो रही है। मैं इस बात की ओर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लोक आयुक्त ने स्वतः चिंता प्रकट की है कि उसकी परिधि के बाहर बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं जिनकी जांच का अधिकार उनको नहीं है। यह अधिकार उनको दिया जाय लेकिन सरकार ने नहीं माना। आज लोक आयुक्त अधिनियम का प्रचार और प्रसार नहीं है जिसके कारण प्रतिवाद कम आते हैं और इस लिए उसके प्रचार और प्रसार के लिए कोई न कोई कार्यवाही की जाय, लेकिन सरकार ने उसको भी मना कर दिया। तीसरी बात लोक आयुक्त ने यह कहा कि गुप्त जांच के लिए साक्षियों को बुलाने के लिए कुछ पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने वह भी मना कर दिया। तो सरकार किस तरह का कार्य कर रही है। सरकार उसके काम में बाधा उत्पन्न कर रही है इसलिए जो वार्षिक प्रतिवेदन समय से प्रस्तुत करना चाहिए वह समय से प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार अड़ंगे बाजी उत्पन्न करती है और सरकार ने उनके पद को लाभ और रागद्वेष में फंसा कर उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। क्या आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जिस संस्था का गठन किया गया है, उनकी जो प्रभावशीलता है वह कम न हो। तो आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करेंगे? इस सदन को अधिकार है कि वह प्रति वर्ष लोक आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त करें। मान्यवर, आप रिपोर्ट देखेंगे तो मालूम होगा कि जो जानकारी उन्होंने चाही थी या जो पत्रावली उनको भेजनी चाहिए थी उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने अड़ंगा लगाया और इसी लिए वह समय पर यह रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाये। इस तरह से मान्यवर, जो हमारा एक सशक्त हथियार है वह कुंठित हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर आप सरकार को निर्देशित करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमारे सदन को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट उस वर्ष के बाद तत्काल विचार के लिए यहां पर प्रस्तुत हो जाय। कमीशन आफ इन्क्वायरीज के अन्तर्गत जितने भी कमीशन बैठाये जाते हैं, कम्पनीज ऐक्ट के तहत जितने भी कमीशन बिठाये जाते हैं उनकी रिपोर्ट उस वर्ष के बाद तत्काल यहां पर हमें प्रस्तुत हो जानी चाहिये। लेकिन यह सरकार अपने पापों और अपने कर्मों को छिपाने के लिए सन् 1980, 1982 की इस तरह की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पायी है। मान्यवर, नियमों में प्राविधान है कि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 6

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महीने के अन्दर वह सदन के पटल पर रख दी जायेगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं और जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा है कि सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये जो अधिकार हमारी इस विधान सभा को प्राप्त हैं उसमें धीरे-धीरे कमी आती जा रही है और उनका ह्रास यह सरकार करती जा रही है। इस लिये इस विषय में आप सरकार को प्रताड़ित करें और उसे निर्देशित करें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति की है और माननीय माता प्रसाद जी ने जो उसका समर्थन किया है उसका कोई आधार नहीं है क्योंकि इस वक्त तो रिपोर्ट ले की जा रही है धारा 12(7) के अन्तर्गत...

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

आप तो चले जायेंगे, यहां सुनने वाला कोई नहीं रहेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

यहां सुनने वाले बहुत मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कमाल साहब को भी साथ लेते जायं।

श्री अम्मार रिजवी--

कहां-कहां वे साथ देंगे ?

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस समय इस रिपोर्ट को ले करने की बात है। इस वक्त यह बात नहीं उठायी जा सकती। जब इस पर चर्चा हो, जब वह सामने आये, तब यह आपत्तियां उठायी जा सकती हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि लोक आयुक्त के कार्य में, जब तक काम करना चाहते हैं, उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। जो बात उन्होंने कही, वह स्पष्ट और स्पेसिफिक नहीं है। कोई अड़ंगा, कोई अवरोध, कोई रुकावट लोक आयुक्त के कार्य में नहीं डाला जा रहा है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से उन्हें सहयोग दिया जा रहा है और उसी के तहत यह रिपोर्ट रखी जा रही है। इसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सदन के सामने यह पटल पर आ गयी है। इसके मेरिट्स और डी-मेरिट्स पर तभी विचार हो सकता है जब इस पर वहां पर चर्चा हो।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन में लोक आयुक्त की रिपोर्ट पेश करना एक संवैधानिक दायित्व है। इसलिये इसको पेश करना उचित है। इस आपत्ति पर विचार तभी हो सकता है जब वह चर्चा के लिये यहां पर प्रस्तुत हो। इसलिये मैं इसे पटल पर रखने की अनुमति देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सन् 1985 की रिपोर्ट 1986 में न आकर अब आ रही है और आप अपने श्रीमुख से ऐसा कहेंगे कि राज्यपाल को यह रिपोर्ट यथा समय मिलने के बाद

भी सरकार ने इसे ले नहीं किया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में भी टिप्पणी कर दें कि इसे ले करने में दो साल का समय क्यों लग गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

आप कहें या न कहें, गुप्ता जी ने अपने श्रीमुख से कह दिया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, फूलें फलें न बेंत

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि का) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का तृतीय प्रतिवेदन†

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति (1987-88) का 52वां प्रतिवेदन†

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति (1987-88) का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जो इस प्रकार हैं :--

पहली सूचना सर्वश्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, गौरी शंकर भइया तथा राम गोविन्द चौधरी की गंगा में गिरने वाले नालों को बन्द करने के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री हर्षवर्धन तथा श्री रणजीत सिंह की उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा श्रमिक संघों से हुये समझौतों को न लागू करने के सम्बन्ध में है।

---

†छापे नहीं गये।

तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त पालिटेक्निक विद्यालय के अध्यापकों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री बदन सिंह की आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हजारों पशुओं के बीमार होने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना सर्वश्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, हरेन्द्र सिंह, कनक सिंह तथा जगबीर सिंह की जनपद गाजियाबाद में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री मनोहर लाल की उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं फार्माशिटिकल लि0, निदेशक मण्डल की स्वीकृति से अधिक खर्च किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना सर्वश्री रघुबर दयाल वर्मा, विजय सिंह राणा, मैनेजर सिंह, की किसानों के गेहूं को क्रय केन्द्रों पर 173 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री राम सजीवन की आगरा जनपद के सलमाबाद–फतेहाबाद मार्ग पर किसानों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के समय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीशजी की आजमगढ़ जिले के चरंयाकोट कस्बे में हुयी डकैती के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की वाराणसी जनपद व अन्य समीपवर्ती जनपदों में भारी वर्षा से रबी की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे की गोरखपुर मण्डल के उपनिबन्धक सहकारी समितियों में रिक्त सचिव पद का चयन न होने के सम्बन्ध में है।

बारवीं सूचना श्री राजित प्रसाद यादव की पुलिस द्वारा बलात्कार किये जाने तथा उसकी रिपोर्ट न दर्ज करने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह तथा श्री किशन लाल की हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न–पत्र में जम्मू कश्मीर को भारत में न दिखाये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव तथा श्री अवल सिंह की भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के रजिस्ट्रार द्वारा फार्मेसिस्ट के प्रवेश हेतु जारी किये गये विज्ञापन के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री फजलुल बारी की नानपारा सुगर मिल बहराइच के मैनेजमेंट द्वारा गन्ना किसानों का उत्पीड़न के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री अशोक बाजपेई की नगरपालिका हरदोई में वित्तीय अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

सत्रहवीं सूचना श्री विष्णु देव की आजमगढ़ जनपद की तहसील घोसी में ग्राम प्रधानों साधन सहकारी समिति के सचिवों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

अट्ठारवीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल, श्री बालेश्वर की बलिया जनपद में जातिगत विद्वेष द्वारा दो वर्गों में तनाव होने के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की रजा टैक्सटाइल मिल रामपुर में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में है।

बीसवीं सूचना श्री धनराज यादव की बस्ती जिले में हुयी ओला वृष्टि से राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की थाना बिलासपुर जिला रामपुर के थानाध्यक्ष द्वारा गुरु चरन सिंह नामक व्यक्ति की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में है।

बाईसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की कानपुर में सीवर की सफाई कर रहे दो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

तेइसवीं सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ की बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील में सूखा राहत के अन्तर्गत धन का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौबीसवीं सूचना श्री जमुना प्रसाद बोस की नगरपालिका बांदा द्वारा छोटे दुकानदारों की उजाड़ जाने के सम्बन्ध में है।

पच्चीसवीं सूचना डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा जनपद की नरैनी तहसील में अर्वनिर्मित मशीनी पम्प कैनाल में अधिग्रहित की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

छब्बीसवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की गन्ना किसान सहकारी समिति मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर चीनी मिल द्वारा भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्ताइसवीं सूचना श्री सरदार सिंह की प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त पालीटेक्निक के प्रवक्ताओं व अन्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में है।

अठ्ठाइसवीं सूचना सर्वश्री बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, राम जनम तथा श्री हफीज भारती की जनपद आजमगढ़ की अस्थाई निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0 मऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में है।

उन्तीसवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फैजाबाद में हुये अग्नि काण्ड, के सम्बन्ध में है।

तीसवीं सूचना श्री मित्र सेन की शासन की दोहरी नीति और चुनावी हथकन्डों के सम्बन्ध में है।

इकतीसवीं सूचना श्री हृदय नरायण की उन्नाव जिले में डकैती, हत्या, लूट आदि की घटनाओं से जनता में व्याप्त भय के सम्बन्ध में है ।

बत्तीसवीं सूचना सर्वश्री राकेशधर त्रिपाठी, जवाहर सिंह यादव तथा गोपाल दास यादव की संसदीय उप चुनाव, (इलाहाबाद में) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अपराधियों द्वारा जनता को आतंकित किये जाने के सम्बन्ध में है ।

तैंतिसवीं सूचना सर्वश्री सूर्य प्रताप शाही, कुं0 मानवेन्द्र सिंह तथा किशन लाल की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर कस्बे में एक प्राइवेट बस द्वारा रिक्शे में टक्कर मार देने से दो बच्चों की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है ।

चौतिसवीं सूचना श्री चन्द्र भान मौर्य की आगरा जनपद के कर्जाग्रस्त लाखों किसानों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की है, इसलिये वह बोलें ।

*श्री फजलुल बारी--

व्यवस्था का प्रश्न है कि कल आपने जब कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो आपने व्यवस्था दिया था जिन लोगों को आज नहीं सुना जा रहा है उन्हें कल सुन लिया जायेगा और क्रम वही रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा था कि आप दे देंगे तो मैं विचार करूंगा । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिया था ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव है वह गंगा जल के बारे में है । कानपुर शहर में जो गंगा धारा है उसका कानपुर की पेयजल और विद्युत् आपूर्ति, दोनों, से सम्बन्ध है, इसलिये 1963 में जब पहली बार गंगा धारा ने कानपुर शहर को छोड़ा था तो सारे शहर में बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया था जिससे कानपुर शहर को तीन दिन के लिये सेना को सुपुर्द करना पड़ा था । तबसे इस पर लगातार आठ कमेटियां बनाई जा चुकी हैं कि गंगा को कानपुर वापस लाने और उसके जल को गंदगी और प्रदूषण से बचाने के क्या उपाय किये जायं । गंगा कार्य योजना (गंगा एक्शन प्लान) और समिति ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि गंगा में बैराज बनाया जाये जिससे गंगा की जल धारा वापस आयेगी और उन्नाव की तरफ जो एरोजन, कटान होता है उस पर नियंत्रण होगा और पेयजल एवं विद्युत् की समस्या हल होगी । इसके साथ ही यह भी सुझाव गंगा कार्य योजना ने दिया है कि ऐसा करने के पूर्व गंगा में गिरने वाले 16 गंदे नालों को बन्द करना आवश्यक है अन्यथा गंगा की धारा वापस लाई गयी तो कानपुर के घाटों पर वापस आने वाली जब धारा में गंगा जल न होकर गंदा और प्रदूषणयुक्त जहरीला पानी होगा । गंगा कार्य योजना के अनुसार यह तय किया गया है कि केवल दो नालों गुप्तार घाट और शीशामऊ से गंदे पानी का 94.6 प्रतिशत गंदा पानी गंगा नदी में गिरता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अलावा एक नाला नवाबगंज का है जिसको भी, इस प्रकार तीन नालों को, बन्द करने के लिये वर्ल्ड बैंक की मदद से पिछले चार वर्षों से काम चल रहा है। यह भी तय हुआ था कि इन 16 गंदे नालों का गंदा पानी कानपुर की सीवर लाईनों में गिराया जाना था इसलिये सीवर की सफाई में 47 लाख रुपये का व्यय भी दिखाया गया लेकिन अधिकारियों ने सफाई कराने के बजाए सारा पैसा हड़प लिया। लेकिन मान्यवर, गुप्तार घाट, शीशा मऊ और नवाब गंज नालों को बन्द करने के लिये 28 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत थी किन्तु 35 लाख रुपये खर्च अब तक दिखाया गया जो कागज और अभिलेखों में बन्द करने का काम हुआ है। लेकिन मान्यवर, कानपुर के ये नाले अब तक बन्द नहीं किये गये हैं। इसमें सबसे बड़ा मजाक यह हुआ कि कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रशासक श्री अंसारी ने स्वयं ही इन तीनों नालों को जल संस्थान को हस्तान्तरित किया और खुद ही जल संस्थान के रूप में उसको हथिया लिया और इस तरह 82 लाख रुपयों का इम्बेजलमेंट किया गया है इस पर इसी तरह इस बार लगभग 15 दिन पूर्व इस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और कहा है कि यह देखेगी कि यह नाले कैसे बन्द किये जा सकते हैं, और यह भी कहा था कि यह कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि 31 मई तक गंगा की धारा कानपुर नगर के किनारे आ जाएगी। गंगा साधारण नदी नहीं है, यह नदी देश की बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। उसका पानी वह नहाने में ही प्रयोग नहीं करते हैं, उसको पीते भी हैं, और परम पवित्र मानते हैं। उस तरह का पानी यदि जनता को पीने को मिलेगा तो इस प्रदेश में महामारी फैलने का डर रहेगा। इसमें प्रदूषित जल पीने से जनता के स्वास्थ्य की क्षति के साथ-साथ भ्रष्टाचार और गबन का गम्भीर मामला भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समय आप सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा करायें।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

आज जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा नदी एक साधारण नदी--नाला नहीं है, देश की एक महानतम नदी है। करोड़ों लोग उसका पानी पीते हैं और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर उसकी पूजा वन्दना करते हैं। पर इसकी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला उच्च अधिकारी लोग कानपुर में और अन्य जिलों में कर रहे हैं। यह कहा गया था कि गंगा की सफाई का अभियान जोरों से चलाया जाएगा और इसका उद्घाटन देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने किया था। इससे लोगों को आशा थी कि अब गंगा साफ हो जाएगी। हिन्दुस्तान में एक कहावत है कि गंगा जल पीने से बहुत से रोगों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है और इससे लोगों को आशा बंधी थी कि अब गंगा जल शुद्ध हो जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद कानपुर ही नहीं अधिकांश शहरों का गंदा पानी गंगा नदी में गिर रहा है और अधिकारी लोग उसकी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया डकार रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि आज सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस विषय पर गम्भीर चर्चा करायें और इसके साथ में अपने काम रोको प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया--

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मामला है और इसमें 82 लाख रुपये का सीधे-सीधे गोलमाल किया गया है। गंगा एक्शन प्लान में कहा गया था कि नदी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नजदीक लाने की आवश्यकता है और इसमें जो 16 नाले गिरते हैं उनको बन्द कर दिया जाय। 36 लाख रुपया सीवर की सफाई के लिए दिया गया था और उसका कागज में दिखा दिया गया कि यह काम हो गया, जब कि यह वास्तव में हुआ नहीं है। आप मान्यवर, स्वयं जानकारी कर सकते हैं, यह कार्य नहीं हुआ है और 36 लाख रुपया खुले आम हड़प लिया गया है। गुप्तारघाट वह जगह है जब राम जी गये थे तो वहीं वह गुप्त हुए थे। कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रशासक अनीस अंसारी ने इस 82 लाख रुपये को कागज पर खर्च दिखा कर उसे हड़प लिया है। कानपुर में गंगा नदी आए या न आए, किन्तु भ्रष्टाचार की गंगा मुख्यमन्त्री के बंगले पर आकर ठहर गई है मुझे पता चला है कि भ्रष्टाचार के रूप में 10 लाख रुपये उसमें से मुख्य मन्त्री वीर बहादुर सिंह को देने के लिए गृह मन्त्री के एक रिश्तेदार को दिये गये हैं। जिससे इस भ्रष्टाचार के मामले को दबा दिया जाए कोई जांच आदि न होने पाये। प्रदेश में मुख्य मन्त्री जी भ्रष्टाचार की गंगा बहाना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस मामले पर आप चर्चा करा लें क्योंकि भ्रष्टाचार को दबाने के प्रयास में प्रदेश का गृह मन्त्री और प्रदेश का मुख्य मन्त्री लगा हुआ है। ऐसे मामले में सदन की एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच नहीं करायेंगे तो भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, गंगा केवल भारत के धर्म से ही नहीं बल्कि देश की परम्पराओं, यहां की तहजीब यहां की संस्कृति से जुड़ी हुयी है। हजारों, करोड़ों लोगों की भावनायें गंगा जी से जुड़ी हुयी है। हर भारत के रहने वाले के जजबात गंगा जी से जुड़े हुये हैं। मैं समझता हूं कि जब इस पवित्र नदी के बारे में कही जा रही हो तो कम से कम राजनीति से प्रेरित होकर बातें न कही जायं। जिस प्रकार से गौरी भइया जी ने मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री और गृह मंत्री जी के बारे में कहा वह बिल्कुल असत्य और निराधार है। मेरा अनुरोध है कि उसको कार्यवाही से अलग कर दें। जब हम कोई बात कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिये कि जो बात सही हो वह कहें और विशेष कर गंगा जी की जब बात करते हैं तो जिस गंगा का जल हाथ में लेकर कसम खाते हैं तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। क्या कुछ आपने अपनी आंख से देखा है। इस तरह की गैर जिम्मेवारी की बात नहीं कहनी चाहिये। एक तरफ तो अदालत में गंगा जल लेकर कसम खायी जाय और दूसरी तरफ राजनीति में घसीट कर इस तरह की बात की जाय मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

जहां दूर तक गंगा जी के प्रदूषण को करने का प्रश्न है माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जब वह भारत के प्रधान मन्त्री हुये तो सबसे पहले उन्होंने जो प्रायरिटी पर काम तय किये तो उसमें गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने की बात कही थी। उसके लिये एक्सपर्ट्स को बैठाकर योजना बनायी गयी। प्रदूषण को दूर करने के बारे में कांग्रेस की सरकार और राजीव जी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। जो बातें तिवारी जी ने कहीं कि एक कमेटी बैठायी गयी है, उन्होंने मुख्य मन्त्री जी के स्टेटमेंट का हवाला दिया और यह भी कहा कि घाटों के पास से गंगा हट गयी हैं उनको वापस लाया जाय तो इसका प्रयास किया जा रहा है कुछ तथाकथित अनियमितताओं की तरफ माननीय सदस्य ने इशारा किया तो जिन बातों का जिक्र नोटिस में किया गया इसकी जांच करायी जायेगी अगर कहीं पर अनियमितता हुई है तो कार्यवाही की जायेगी लेकिन यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है। मैं चाहूंगा कि कम से कम गंगा जी की बात करें तो जो कुछ कहें सत्य कहें। ऐसी बात न कहें जो असत्य हो।

श्री गौरी शंकर भइया--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने अपनी नोटिस में जितनी बातें कही हैं अगर माननीय मंत्री जी उसमें से एक बात भी चुनौती के साथ कह दें कि असत्य है, अगर 16 नालों पर 82 लाख रुपये न खर्च किये गये हों, 3 नालों के बारे में रिपोर्ट न आयी हो कि वह बंद हो गये हैं, अगर मंत्री जी कह दें कि यह बात गलत है, आप एक हाउस को कमेटी बना दें अगर वह इन बातों को गलत साबित कर दे तो जो सजा आप देंगे वह मुझे स्वीकार है । लेकिन भ्रष्टाचार पर परदा डालने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने जो कहा है वह गौरी भइया जी की बातों के बारे में कहा है । तिवारी जी ने जो कहा है उसके बारे में मैंने कहा है कि उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री रामगोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कि क्या गौरी भइया ने आंख से देखा है मैं कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने आंख से देखा है जो इन बातों को असत्य कह रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना होता है मेरी चुनौती है कि इस तरह की बात नहीं हुई है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री की बात कही । मान्यवर, प्रधान मंत्री तो वहां गये नहीं, मुख्य मंत्री गये और रामायण की सीता दीपिका गयीं, जो जनता की ओर से कार्य सेवा हो रही थी, गंगा की घाट पर वापस ले लेने के लिए, तो उसी पर इन्होंने घोषणा कर दिया कि 31 मई तक गंगा वापस आ जायेगी । मैं पुनः अपने आरोप को दोहराना चाहता हूं कि इस 82 लाख रुपये के गबन को दबाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को देने हेतु 10 लाख रुपये कांग्रेस के एक बड़े आदमी जो गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं, दिये गये हैं और इसी कारण से इस मामले की जांच कराने के लिये ये मान्यवर, कतरा रहे हैं । मान्यवर, इसकी जांच के लिये मैं आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की मांग करता हूं, मैं उसके सामने सारे सबूत पेश करूंगा । अगर मेरी बात गलत हो जाये, तो जो सजा आप देना चाहेंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सारे सबूत और प्रमाण ये ले आवें, आप मान्यवर, इसकी जांच कर लें और मेरी बात गलत हो जाये, तो जो सजा आप उचित समझें, मैं भी भुगतने के लिये तैयार हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कमेटी की जरूरत नहीं है ।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, यह मामला बिल्कुल साफ हो गया । सदन के सामने गौरी भइया ने जो बात कही । उधर से हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने चैलेंज कबूल कर लिया और इधर से भी चैलेंज कबूल हो गया, तो इसमें दिक्कत क्या है, आप एक कमेटी बना दीजिये, सदन के सामने उसकी जांच रिपोर्ट आ जायेगी ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चुनौती दे रहा हूं, चुनौती ये भी स्वीकार कर रहे हैं और हम भी स्वीकार कर रहे हैं, तो आप सदन को एक कमेटी बैठा दीजिए, जांच से साबित हो जायेगा कि मुख्य मंत्री ने घूस लिया है कि नहीं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सारे सबूत और सारे प्रमाण ये ले आवें, आप मान्यवर, स्वयं इसकी जांच कर लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

नहीं मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं जांच के लिये कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने उसका समर्थन किया है, तो आपको कमेटी की घोषणा तथा उसकी जांच करने की तारीख की घोषणा आज ही सदन में करनी चाहिये और मान्यवर, आप आज ही इसकी घोषणा करें । यह मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार किया कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में जांच की बात को स्वीकार करते हैं और उन्होंने आपसे आग्रह किया कि दोनों की बात स्वीकार करके एक जांच कमेटी बना दें । मान्यवर, बार-बार राजनैतिक जीवन में जो आरोप लगते हैं, उसकी पवित्रता के लिये यह आवश्यक है कि आपको भी उस पीठ पर बैठ कर यह अधिकार है कि ऐसे मामले में राजनैतिक पवित्रता बनाये रखने के लिये आप एक कमेटी बना दें और इसकी जांच हो जाये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । उन्होंने कहा कि आप या आप द्वारा नियुक्त कमेटी जांच कर ले, जांच की अवधि आप निर्धारित कर लें और कमेटी बैठा ले दें । यह तो उनका प्रस्ताव है, उसको आप मान लें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं किया था ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने जो निवेदन किया था, जब कोई इलजाम लगता है, मान्यवर, तो वह अपने चार्जेज जो हैं, वह किसी को देता हैं, जो आरोप ये लगाते हैं, वह प्रमाण आपको दे दें, आप स्वयं इसको देख लें । बराबर इस तरह की चीज आप देखते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप इसकी एक कमेटी बना दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कमेटी बनाने का काम सदन का है, मेरा नहीं है ।

श्री हरदेव--

जब तक उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाता है तब तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, कमेटी बनाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

कमेटी बनाने का काम सदन का है, मेरा नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है । आप लोग नियमावली पढ़ लीजिए, उसमें जो प्रक्रिया दी हुई है, उसको अपनाइये ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सदन की एक कमेटी बना दी जाये ।

श्री मनोहर लाल--

मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी नोटिस दीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं प्रस्ताव करता हूं इस कार्य के लिये एक कमेटी बनाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे नहीं होता है, आप सूचना दीजिये फिर उस पर विचार होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरियाणा विधान सभा

आप नियमानुसार काम करिये, जो नियम में लिखा है, वह करिये, उस पर विचार होगा। ऐसे नहीं है कि जो आप कह दें वही हो जाय। आप प्रस्ताव की सूचना दें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव सदन में रख रहा हूं और आपके पास कापी भेज रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास कोई कापी किसी की नहीं है।

(शोर)

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपके सामने कार्यस्थगन की कम से कम 30 सूचनायें हैं और हर सूचना पर एक दो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कार्यस्थगन की सूचनाओं को सुनने का आपका क्या नियम है? एक कार्यस्थगन की सूचना पर जितने लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, सब को सुनेंगे या एक ही को सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो सुनने को तैयार हूं एक-एक को।

अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हर्ष वर्धन जी को बुला रहा हूं।

श्री मित्र सेन--

कितनी सूचनाओं के बारे में आप सुनेंगे और कितने सदस्यों को आप सुनेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सुन रहा हूं जितने सुन पाऊंगा उतने सुनूंगा, यह तो मेरे हाथ में नहीं है।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं कई दिन से यह लगातार देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों की जो महत्वपूर्ण सूचनायें हैं, उसको हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जाता है। लगातार हम लोगों की, माननीय सदस्य जो अनुशासित हैं उनकी, महत्वपूर्ण सूचनाओं की उपेक्षा हो रही है।

(अत्यधिक शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो सुनने के लिये तैयार हूं लेकिन जब हंगामा होता है तो मैं क्या करूं?

(श्री हर्ष वर्धन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव आ गया है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि आज 34-35 कार्य-स्थगन हैं, जो आपका आदेश होगा वह शिरोधार्य होगा। मेरा निवेदन यह है कि हर प्रस्ताव को, जिन्हें आपने स्वीकार किया है उसमें केवल एक माननीय सदस्य को सुनें तब तो सुन सकेंगे, वरना 6 बजे तक यही होता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो एक सदस्य को सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने लिखित प्रस्ताव भेज दिया है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इस पर मतदान करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव की कोई लेंग्वेज नहीं है। यह नियमतः कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

प्रस्ताव क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष --

प्रस्ताव की एक लेंग्वेज होती है। आप प्रस्ताव लेकर आवें। यह प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, प्रस्ताव टेबिल हो चुका है तो बाध्यता होती है कि इस पर वोट करावें। पूरे सदन के अन्दर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा है, हम लोगों ने स्वीकार किया है। जब एक प्रस्ताव टेबिल हो गया तो हाउस के अन्दर मतदान होना चाहिए। हम लोगों का निवेदन है कि जांच कमेटी गठित करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मतदान करवा लें। अगर मतदान में हार जाते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना होगा।

(श्री हर्षवर्धन तथा श्री राम गोविन्द चौधरी आदि अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर शोर करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

अनेक अन्य माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आने लगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं सदन की कार्यवाही को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 1 बज कर 42 मिनट पर आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही माननीय उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई प्रस्ताव आपने दिया ही नहीं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, लिखकर प्रस्ताव दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, प्रस्ताव की तरह से ही लिखकर दिया है ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, वह प्रस्ताव के रूप में तो दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप लोग बैठें । अब मैं माननीय हर्षवर्धन जी को बुलाता हूं ।

माननीय हर्षवर्द्धन जी नहीं हैं । माननीय अनुग्रह नारायण जी को अब बुलाता हूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 17 सहायता प्राप्त पोलिटेकनिक के अध्यापक और कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं । 1966 में एक शासनादेश प्राविधिक शिक्षा विभाग का संख्या 1092/आई0/ई0 बी0/18 बी0, दिनांक 12 जुलाई, 1966 हुआ था, उसके अनुसार राजकीय पोलिटेकिनिक के अध्यापकों/कर्मचारियों के समान ही सहायता प्राप्त पोलिटेकनिक के अध्यापकों/कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि देय होगा । मान्यवर, 22 वर्ष हो गये इस शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है । समय-समय पर अध्यापक और कर्मचारी आंदोलन करते रहे लेकिन उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया ।

मान्यवर, 1979 में इसमें एक स्टैंडर्ड स्केल की बात तय हुई, उस पर भी अमल नहीं हुआ । अभी 29 जनवरी, 1988 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक मीटिंग बुलायी, उसमें इस बात को तय किया गया कि इनको शीघ्र ही माध्यमिक शिक्षकों कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते दिए जायेंगे लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों रही । 11 मार्च को लगभग 3000 अध्यापकों/कर्मचारियों ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा को कानपुर में घेरा । आज भी वह लोग धरने पर आये हैं । मान्यवर, 30 अप्रैल से परीक्षायें हो रही हैं, इन लोगों ने घोषणा की है कि ऐसी स्थिति में वे लोग परीक्षा में अपना योगदान नहीं देंगे । करीब 75 पोलिटेकनिक की परीक्षायें हैं और 35 हजार छात्रों के भविष्य का सवाल है । लेकिन, सरकार उनकी ओर से बिल्कुल आंख मूंदकर बैठी हुई है और लगातार उनकी अपेक्षा कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अनुग्रह नारायण जी समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, उनकी अत्यंत जिन्यून मांगों की लगातार यह सरकार उपेक्षा कर रही है । एक तरफ तो जहां छात्रों के भविष्य का सवाल जुड़ा है, वहीं पर दूसरी तरफ समान कार्य के लिए समान वेतन की न्यायोचित मांग है । मान्यवर, इस दृष्टि से राजकीय पोलिटेकनिक और सहायता प्राप्त पोलिटेकनिक के बीच में कोई अन्तर नहीं है । मान्यवर, इस उपेक्षापूर्ण नीति से सहायता प्राप्त पोलिटेकनिक के अध्यापकों और कर्मचारियों में जो रोष व्याप्त है उससे तकनीकी शिक्षा को क्षति हो रही है । मान्यवर इस प्रस्ताव के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय ताकि सारी बातें आ सकें । इसके अतिरिक्त जो शासनादेश इस सम्बन्ध में जारी हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में इनको वेतन भत्ते आदि शीघ्र दिलाये जाने की मांग करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इससे पहले भी यह जो पोलिटेकनिक के अध्यापक थे, इनकी कुछ समस्यायें थी, उसके बारे में बैठकर बात हुई थी, उसके अन्दर सारे अधिकारी मौजूद थे, निदेशक प्राविधिक शिक्षा थे और सचिव प्राविधिक शिक्षा भी उसमें मौजूद थे । मान्यवर, कुछ मांगे ऐसी थी, जिनको वित्तीय सम्बन्ध था, उसमें यह हुआ कि बाद में विचार करके निर्णय लिया जायेगा । मान्यवर, शासन पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार कर रहा है । कुछ विलम्ब जरूर हुआ है । माननीय अनुग्रह नारायण जी की जो चिन्ता है, ठीक है । अध्यापकों का मामला है, यह अब तक हो जाना चाहिए । लेकिन, कुछ बातें उसमें ऐसी शामिल हो जाती हैं, जिससे विलम्ब हो जाता है । लेकिन इसे हम शीघ्र दिखलायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

शीघ्रता बरतें ।

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैली हुई है जिसके कारण वहां पर दूध देने वाली और बहुत कीमती 5000 भैंसे अब तक मर चुकी हैं । इससे भी अधिक संख्या में पशु वहां पर बीमार हैं । मान्यवर, यह बीमारी जिन पशुओं को हो वह पशु चल फिर नहीं सकते हैं । खड़े हुए पशुओं को बीमारी हो गई तो बैठ नहीं सकते हैं ।

और बैठे हुए पशुओं में यदि यह बीमारी हो जाती है, तो वह खड़े नहीं हो सकते । वहां पर डाक्टरों ने इस बीमारी को अज्ञात रोग बताया है लेकिन इसका कारण वह यह बता रहे हैं कि पशुओं के शरीर में जल का अभाव उत्पन्न हो गया है । वहां पर पेयजल और नहाने के लिए पानी की व्यवस्था न होने के कारण कई वर्षों से भैंसों को नहाने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ है । मान्यवर, यह भैंसे गृहस्वामियों के घर पर ही नहीं, बल्कि जंगल में भी चरते हुए बीमार हो गई हैं और वह जंगल में ही पड़ी रह गई हैं । जिसके कारण गृहस्वामियों को उनके पीने के लिए इधर-उधर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिसमें उनका पूरा समय खर्च हो जाता है और तब भी उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है । इससे वहां के किसान बुरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरह परेशान हैं। इसमें पूरी तरह से प्रशासन का दोष है, जिसने आज तक इस पशुधन को बचाने के लिए कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं की और न ही नहाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था की गई। वहां पर एक-एक किसान की 5-5 6-6 कीमती दूध देने वाली भैंसें मर गई हैं।

मैं कुछ ऐसे गांवों के नाम बताना चाहता हूं, जहां यह बीमारी भयंकर रूप में व्याप्त है जैसे तिहरारावत, मंडी मिर्जावां, खेड़ाजाट, भौपुर, डावर, सिरौली, नगला सरोय, नगलावले, नगला मंगौली, खुर्द, गोठरा, मोहम्मदपुर, नहीदऊ, दौलताबाद, सांथा इमलावदा, निठौरी, बसौरीकाजी आदि। इन गांवों में एक-एक गांव में 200-200 300-300 भैंसे मर गयी हैं और इतनी ही संख्या में अब भी भैंसे बीमार हैं लेकिन शासन की तरफ से उन भैंसों को बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न पानी की व्यवस्था की गई है। वहां पर जलाभाव तो है ही, लेकिन ग्राम समूह पेयजल योजना के द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन पानी नहीं पहुंचाया गया और कुछ गांवों में प्राइवेट ट्यूबवेलों से पानी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ट्यूबवेलों से भी पानी नहीं पहुंचाया गया। पानी की व्यवस्था न होने के कारण भैंसे मर रही हैं और तमाम भैंसें बीमार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गांवों में राजकीय नलकूपों से पानी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उनसे भी पानी नहीं पहुंचाया गया।

मान्यवर, इस तरह पशुओं की दयनीय दशा हो रही है और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। फतेहपुर सीकरी का यह क्षेत्र, एक समय ऐसा आ जायेगा, जब यह पशुविहीन हो जाएगा, मैं आपके माध्यम से इस शासन से मांग करता हूं कि वहां पर टंकिया बनवाकर उन पशुओं के लिए पानी पहुंचाया जाय और उन पशुओं को बचाने के लिए अच्छे ज्ञान वाले डाक्टर भेजे जायें। यदि वहां पर इन पशुओं को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो यह सरकार बहुत निकम्मी साबित होगी। आज मैं इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर इस सदन में मांग करता हूं कि आज की कार्यवाही रोक दी जाये और इस पर चर्चा कराई जांये।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, यह जरूरी है कि व्यवस्था की जानी चाहिए चाहे वह मनुष्य के लिए हो या जानवर के लिए हो, पानी सभी के लिए आवश्यक है। यह बात जानकारी में आई है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा में कुछ पानी की दिक्कत हो गई है। इस सम्बन्ध में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो वहां पर ताल पोखरे हैं, वह पूरी तरह से भरे जायें और हर तरह से आदमियों के लिए, तथा जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था हो। जहां तक बीमारी का सवाल है सम्बन्धित विभाग से इसके लिए कह दिया जायेगा कि वह इसको रोकने के लिए पूरी व्यवस्था करें। इस तरह से इस बात का प्रयास किया जाएगा कि वहां पर पानी की कमी न हो।

श्री बदन सिंह--

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब सदन में दिया है। जहां पर पोखरे और तालाब भी नहीं है क्या वहां पर टैंकरों के जरिये पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जहां पर पोखरे और ताल नहीं हैं, वहां पर टैंकरों की व्यवस्था करवाकर पानी पहुंचाया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रिछपाल सिंह बसंल--

मान्यवर, गाजियाबाद के नोएडा के उच्चअधिकारियों द्वारा सभी नियम ताक पर रखकर घोटाला किया गया है। वहां पर सेक्टर 15 ए, में भवनों का निर्माण कार्य प्राइवेट एजेन्सी द्वारा बिना टेन्डर के कराया गया है, जिससे नोएडा को 6 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है, सेक्टर-2 में 3755 वर्ग मीटर जमीन मात्र 350 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिना प्रकाशन किए व बिना नीलामी के नरुल्ला रेस्टोरेन्ट को दे दी गई; जिसके कारण 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सेक्टर-15 में अलका सिनेमा गलत तरीके से सस्ते दरों पर आवंटित कर दी गई जिसमें 15 लाख रुपए का घोटाला हुआ। नोएडा प्राधिकरण में फिल्म सिटी सेन्टर में भूखण्डों का सस्ते दरों पर आवंटन करने से करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, औद्योगिक प्लाट फेस-3 के प्रार्थना-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 जून, 1987 थी परन्तु आवंटन 30 जून, 1987 से पहले ही कर दिये गये। सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए वायुयानों द्वारा यात्रा करके लाखों रुपए के टी0 ए0 बनाये गये हैं। इसके अलावा अन्य भी कई गम्भीर मामले हैं, इसलिए इस गम्भीर मामले की जांच टी0 ए0 सी0 से कराई जाय और सदन आज इस पर चर्चा करे।

श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक तो फिल्मी हस्तियों का प्रभाव केवल केन्द्र सरकार पर था, किन्तु अब इनका प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार पर भी हो गया है। 17 अप्रैल, 1988 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने नोएडा, गाजियाबाद में फिल्म सेन्टर का उद्घाटन किया। 33 एकड़ जमीन केवल 350 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेच दी, जबकि वहां पर जमीन की कीमत 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं है। मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि यदि इस जमीन की खुले रूप से नीलामी की जाती तो 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी कीमत मिल जाती। किसानों को वहां से भगा दिया गया, वहां पर केवल फिल्मी हस्तियों को प्लाट एलाट किए गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब नोएडा स्वयं अपने यहां साढ़े तीन परसेन्ट कमीशन लेकर कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो फिर नोएडा के भवनों का निर्माण कराने के लिए साढ़े 17 परसेन्ट कमीशन लेकर ए0 डब्लू0 एच0 ओ0 को काम क्यों दिया गया।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर एक काण्ड हुआ था। जहां लड़कियों के साथ कुकृत्य किया गया था। वहां एक आलोक चतुर्वेदी थानाध्यक्ष था और वहां पर एक मौर्या पर्सनल आफिसर है जो आलोक चतुर्वेदी को डेपुटेशन पर वहां ले गया। उनको दो कमरे का फ्लैट मिलना चाहिए था, किन्तु उन्हें 5 कमरे का आलीशान भवन दिया गया है। श्रीमती मधुलता मित्तल यहां पर लेबर सेक्रेटरी की वाइफ हैं, एलाटमेन्ट हेतु फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 30 जून, 1987 थी लेकिन उन्हें 27 जून, 1987 को ही एलाट कर दिया गया। आज भी नोएडा में इतने ज्यादा टेक्नीकल आदमी मौजूद हैं, लेकिन उनको काम नहीं दिया गया है, वे खाली बैठे हुए हैं। डी0 डी0 ए0 से लोगों को डेपुटेशन पर लिया जाता है। हमारा यह मानना है नोएडा उत्तर प्रदेश के लिये एक कलंक है। उच्च अधिकारी मन माने तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर मामले की विजेलेन्स से जांच कराई जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, नोएडा के बारे में काफी चर्चायें हुई कि फिल्म सेन्टर वहां पर क्यों बनाया गया। मान्यवर, आपको भी मालूम होना चाहिए कि इस फिल्म सेन्टर के बनने से, वहां पर जो हमारी योजनायें हैं, लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। मान्यवर, कोई भी काम हम करें, हमको काम ऐसा करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की हालत अच्छी हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। लोगों को रोजगार कैसे मिले यह काम हमको करना है। बहुत से उद्योग धन्धे ऐसे हैं कि उनको बढ़ाने के उद्देश्य से उनको सबसीडी दी जाती है और सबसीडी इसलिए देते हैं कि वे आगे बढ़ें। हमारे यहां भी ऐसे उद्योग धन्धे लगाये गये हैं। बहुत से प्रदेशों में इस तरह से उद्योग धन्धे को सहायता दी जाती है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में बहुत से उद्योग धन्धे आये हैं। जिनको सुविधा दी जायेगी वहां उद्योग धन्धे लगेंगे। जब आप उनको सुविधा नहीं देंगे तो कोई आपके यहां उद्योग धन्धा नहीं लगायेगा।

फिल्म इण्डस्ट्री भी एक तरह का उद्योग है। आज हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं, कलाकार हैं जो कि हमारे कल्चर में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं और उसमें भाग लेना चाहते हैं उन लोगों ने कहा कि हमारे उत्तर भारत में कोई इस तरह की सुविधा नहीं है, यही कारण है कि नोएडा में फिल्म इण्डस्ट्री की स्थापना की गयी है। उत्तर भारत के नौजवान वहां आकर काम करेंगे, हमारे जो कलाकार हैं उनकी कला को वहां प्रोत्साहन मिलेगा और काम करने का भी मौका मिलेगा, लोगों को वहां इस तरह से रोजगार भी मिलेगा, लगभग दो लाख लोगों को वहां पर इम्पलायमेन्ट मिलेगा तो इससे इम्पलायमेन्ट भी बढ़ेगा।

इसमें हमारा पैसा नाम मात्र का खर्चा होगा। वे लोग अपना पैसा लगा कर वहां स्टूडियो आदि बनायेंगे, हम थोड़ी ही बहुत उनकी सहायता करेंगे। इसलिये अगर आप कोई बात सोचते हैं, आज की परिस्थिति को देखते हुए सोचें कि कैसे हम प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। जब तक आप कोई पालिसी नहीं देंगे, जब तक आप यह भावना ही नहीं रखेंगे, प्रदेश को कैसे आगे ले आयेंगे? आपने कहा कि उनको जमीन दी गयी, यह सही है कि उनको जमीन सस्ते दर पर दी गयी है। यह बात नहीं है, हमारी पालिसी है और यही पालिसी स्माल स्केल इण्डस्ट्री के लिये भी है और इसी वजह से हमारे यहां अब तक लगभग तीन हजार स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज लग चुकी हैं और आगे भी लगने वाली हैं। यह जरूर है कि हम उनको जमीन दे रहे हैं आगे मकान भी उनको दिये जाने की बात है ताकि वहां जो लेबर लोग काम करते हैं उनके मकान भी होना चाहिये। अगर इस पालिसी के खिलाफ....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राणा जी, अभी तो माननीय नेता सदन बोल रहे हैं जब वे बैठ जांय तब आप पूछ लीजियेगा।

श्री विजय सिंह राणा—

वह जो बोल रहे हैं उसी के सम्बन्ध में तो कहना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि यह जो प्रश्न उठाया है माननीय बंसल जी ने इसमें नोएडा को फिल्म इन्डस्ट्री की जो आप बात कर रहे हैं कि वह वहां पर क्यों कायम की गयी तो यह बात तो उन्होंने उदाहरण के रूप में मात्र कही थी कि कितना वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है विकास प्राधिकरण में कैसे-कैसे घपले हो रहे हैं। तो उदाहरण स्वरूप उन्होंने

कहा कि वहां पर आप फिल्म इण्डस्ट्री भी लगा रहे हैं जिसमें उनको आपने जमीन सस्ते दामों पर दी है। नोएडा के बारे में जो कार्यस्थगन की सूचना है इसकी एक प्रति आपको भी मिल गयी होगी उसमें 14 प्वाइन्ट्स हैं कि वहां पर जो अधिकारी तैनात हैं और जो वहां पर कर्मचारी हैं उन्होंने कैसे-कैसे घपले किये हैं उसको आप बन्द करा दें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने तो केवल पालिसी बतलायी, हम जहां उद्योग धन्धे लगा रहे हैं, जमीन देते हैं, बिजली और पानी पहुचाते हैं और कम से कम पैसा देते हैं ताकि इन्ट्रापेन्योर आये, उद्योग धन्धे लगें आपने देखा होगा कि इधर काफी उद्योग धन्धे हमारे यहां आये हैं। फिल्म इण्डस्ट्री बनाने के लिये भी इसी तरह की पालिसी है इससे हमारे यहां इम्पलायमेन्ट भी बढ़ेगा जो बात कही गयी है, नोएडा अथारिटी की, मैं जांच कराऊंगा और सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा किसी गलत आदमी के बढ़ने का सवाल नहीं है। मैं मौजूद नहीं था जब यहां पर गंगा अथारिटी के बारे में बात की गयी। अगर कहीं कोई बात है, आप जिससे कहिये, विजिलेन्स से कहिये या सी0 आई0 डी0 से कहिये, मैं जांच कराऊंगा और हमेशा जांच कराने के लिये तैयार हूं। लेकिन कोई एलीगेशन लगाने के पहले देख लीजिये कि आप क्या करते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि गलत आदमी ही गलत काम करता है और दूसरों पर चार्ज लगाता है। हमारे पास गंगा अथारिटी के बारे में कोई बात सामने नहीं आयी है और न कोई हमारे पास यह कहने के लिये ही आया। यदि ऐसा कुछ है तो आप हमें बताइये, हम उसे देखेंगे। अगर कोई बात ऐसी आती है तो आप हमें बताइयें, हम उसकी जांच करायेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई इलीगेशन लगाना, जानबूझ कर गलत आरोप लगाना, सिर्फ इस लिये कि सदन चल रहा है और यहां कुछ न कुछ बोलना ही है, न कोई सही बात हो तो गलत ही सही क्योंकि बोलना आवश्यक है, तो ऐसा करने से कोई कायदा होने वाला नहीं है और सिर्फ इसी मंशा के लिये हाऊस चलाना और यहां बैठना उचित नहीं है अगर हाऊस चलाते हैं तो जनता की भलाई के लिये बोलना चाहिये।

(शोर)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह जनता के धन की खुली लूट हो रही है और आप कह रहे हैं कि कुछ बोलिये नहीं, अगर यह बातें जो लूट और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं, कही जा रही हैं, सही नहीं हैं तो आप इन्क्वायरी कराइयें. . . .

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जो आपकी शिकायतें होंगे सबूत के साथ उसकी हम जांच करायेंगे, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री

ो से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस मामले में किस एजेन्सी द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

हमने कह दिया आप जिससे कहिये उससे जांच करा दें, अगर आप विजिलेंस जांच चाहते हैं तो हम उसी से करा देंगे ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, एक इल्जाम इस पक्ष की तरफ से अभी कुछ देर पहले लगाया गया था, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं थे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जानबूझ कर उसे तूल दिया और उसको चैलेंज किया....

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने अभी जो बातें कहीं हैं, अफसोस यहां पर इस बात का है कि यह अभी की बात है, और हम सब के सामने की है, फिर भी इसको इतनी जल्दी झुठला रहे हैं बात को हेरफेर करके । मान्यवर, यह लोग यह चाहते हैं कि चाहे जैसे और कितने ही गलत आरोप क्यों न हों और वह चाहे किसी के खिलाफ लगायें जायें, बस चुप-चाप सुन लिये जायें, उस पर कुछ बोला न जाये, और इनकी गलत बात पर कोई चुनौती या चैलेंज न दिया जाये जब आप यहां पर गंगा जी की बात कर रहे हैं तो कम से कम गंगा-जली को हाथ में लेकर जो सत्य बात हो उसे ही कहें, जो सीधी और सच्ची बात हो, कम से कम माननीय राम शरण दास जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है....

श्री मनोहर लाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गंगा जी के बारे में कुछ बातें कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जब भी कोई बात कहें तो गंगा-जली हाथ में लेकर कहें तो आप समझ लीजिये कि मैं अपने हाथ में गंगा-जली लेता हूं और खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर और मानकर यह कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपनी बात के दौरान कहा कि अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार है, और अगर वह मामला सबूत के साथ होगा तो उस पर हम अवश्य कार्यवाही करेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी कल आप यहां पर नहीं थे, आपके शासन के एक वरिष्ठ मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने स्वयं ही इसी सदन के अन्दर यह स्वीकार किया कि हां उत्तर प्रदेश के अन्दर नकली दवायें बन रही हैं और पूरी तरह से यह आश्वासन भी दिया कि ऐसे लोगों के प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि

जब आपके एक वरिष्ठ मंत्री ने इस सत्यता को मान लिया है तो ऐसे ही एक प्रकरण में आपके गृह मंत्री भी शामिल हैं

(हंसी)

उनके दो मेडिकल स्टोर हैं, तो आप आश्वासन दें कि माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

आपने अपने केस को गलत प्लीड कर दिया, इसलिये वह बनता नहीं है ।

श्री मनोहर लाल--

मैं इसको छोड़ता हूं । आप माने या न माने भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 पब्लिक सेक्टर की एक कम्पनी है और वह दवायें बनाने का काम करती है और उसके द्वारा बनायी गयी दवायें प्रदेश के सारे अस्पतालों में भेजी जाती हैं । यह संस्था नकली दवायें बनाने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । नेस्टा नाम की फैक्टरी फरीदाबाद में लगायी गयी है और उसको 4 करोड़ 22 लाख रुपये की दवा बनाने का आर्डर दे दिया गया है, जब कि 5 लाख से ज्यादा का नहीं देना चाहिये । सामान्य प्रबन्धक जो तनेजा हैं, उनके रिश्तेदार की वह फैक्टरी है और एक करोड़ रुपये का अग्रिम उनको दे दिया गया है, जब कि 5 लाख से ज्यादा नहीं देना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जो यू0पी0 डी0पी0एल0 संस्था है, यह नकली दवायें बनाने का काम कर रही है । जब फर्जी आर्डर दिये जायेंगे तो क्या होगा, नकली दवायें बनेगी ही और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा । तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही को रोक कर आप इस पर चर्चा करा दें और सामान्य प्रबन्धक की सहमति के बिना जो आर्डर दे दिये गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और जो फरीदाबाद में फैक्टरी है उनके प्रकरण की विजिलेंस से जांच करायी जाये ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, कल इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई थी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जायेगा. . .।

श्री मनोहर लाल--

आज भ्रष्टाचार का मामला है ।

श्री अम्मार रिजवी--

कि इस तरह के प्रकरण की जांच करायी जायेगी और आज जब आपका प्रश्न मिला तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करायी जायेगी और जो बात इसमें कही गयी है, उसको दिखलवा दिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के गेहूं का खरीद मूल्य जो दिया जा रहा है वह 173 रुपये प्रति कुन्तल दिया जा रहा है और सरकार उस गेहूं को अपनी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से 225 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से बेच रही है । इस प्रकार 52 रुपये प्रति कुन्तल सरकार मुनाफा ले रही है । सरकार खरीद में मुनाफा कमा रही है ।

(मुख्य मंत्री जी के सदन से बाहर जाने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसके समय में तो आप सदन में बैठे । मान्यवर, मुझे तकलीफ है कि गंगा प्रदूषण के मामले में तो मुख्य मंत्री जी यहां पर थे किन्तु इस मामले में वे जा रहे थे । अब आ गये हैं । मैं निवेदन कर रहा था कि 173 रुपये की खरीद पर 225 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने सस्ते गल्ले की दुकानों से 52 रुपया प्रति क्विंटल मुनाफा कमाया है । जब कोई संस्थान या सार्वजनिक संस्था इस तरह से मुनाफा कमाता है तो उसे अपने कर्मचारियों को बोनस देने का अधिकार है, उनको बोनस दिया जाना चाहिये । किसानों को यह अधिकार है कि वह इस बोनस की सरकार से मांग करें ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है । एक-दो मिनट का समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जब आपने 225 रुपये बिक्री मूल्य लिया और उस पर 52 रुपये कमाये तो उसमें 20 प्रतिशत किसानों को बोनस देना वाजिब है । मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से इस भयानक सूखे में किसान ने गेहूं पैदा किया है । यहां पर चन्द्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी जो है उसके अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में कितनी खर्च आता है उसके बारे में बताया है कि और 294 रुपया प्रति क्विंटल खर्च उसमें आता है । अगर उसमें 52 रुपया प्राफिट का 294 रुपया की लागत में जोड़ किया जाय तो 346 रुपया प्रति क्विंटल आता है और सरकार ने जो खरीद किया है वह 163 रुपया, यह भी उसमें से घटा दें तो 121 रुपये का घाटा आप किसान को देते हैं । यह मौलिक सवाल है । यहां पर रोज यह प्रश्न आता है कि किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य दिया जाय । जब 173 रुपये की खरीद पर 52 रुपये मुनाफा लेकर आप बच सकते हैं और किसान को 121 रुपये का घाटा देते हैं और तब भी किसान को बोनस नहीं देना चाहते हैं....।

श्री उपाध्यक्ष --

अब आप समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कीमत के मामले में जो भारत सरकार का कृषि मूल्य आयोग है उसके लिये आप संस्तुति कर दें कि 346 रुपये गेहूं की कीमत कर दी जाय । दूसरी बात यह है कि जो आपने ज्यादा मुनाफा कमाया है उसमें से किसान को 20 प्रतिशत बोनस दिलाया जाय । इसलिये इस विषय पर आज की सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा दी जाय ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब से भारत आजाद हुआ है तब से बराबर हर सरकार का यह काम है कि जो समाज में खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनके बीच में एक संतुलन स्थापित किया जाये । यह हर सरकार का दायित्व है । हर सरकार यह प्रयास करती है कि जो पैदा करने वाले लोग हैं, जो परचेज करने वाले लोग हैं और उसके लिये जो कीमत है उसका एक अनुपात बना ले कि जिससे कहीं भार ज्यादा और कहीं कम न पड़े । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक सरकार ने हर वर्ग की तकलीफ तो देखी लेकिन किसान की तकलीफ देखने का प्रयास नहीं किया गया । आप सोचें कि जब समाज में महंगाई बढ़ती है, राज्य कर्मचारियों का या हमारी स्वयं की, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं । जब उनकी महंगाई कम होती है, वेतन भत्ता कम होता है तो उसको उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं, श्रमिकों की कम होती है तो उसको बढ़ा देते हैं, छोटे व्यापारियों की आमदनी कम होती है तो उनकी आमदनी बढ़ा देते हैं लेकिन किसान की आमदनी बढ़ाने की बात आज तक किसी ने नहीं सोची । 40 साल से ज्यादा हो गया, किसान की आमदनी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया । जो गल्ला किसान पैदा करता है उसको 173 रुपये बेचने पर 52 रुपये का आप मुनाफा कमाते हैं तब भी आप उनकी सहायता करने के लिये तैयार नहीं है । जनता पार्टी ने खाद के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको 44 प्रतिशत से घटाकर आधा कर दिया था । आज चारों तरफ सूखा पड़ा है, नहरों में पानी नहीं है । उसे अधिक मजदूरी देनी पड़ रही है, इसी तरह बीज और खाद के दाम भी अधिक देने पड़ रहे हैं लेकिन आप किसान की आमदनी बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं । आप भारत सरकार से कहिये जैसे जनता पार्टी की सरकार ने खाद पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को आधा कर दिया उसी तरह आप भी करें और किसान को बोनस देने की बात जो माननीय वर्मा जी ने की है उसे स्वीकार करें । यह कह कर मैं अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह) --

माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री विजय सिंह राणा--

हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी को लौटाया था ताकि वह कुछ कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मुख्य मन्त्री जी आपकी बात सुन रहे थे । जवाब मन्त्री जी दे रहे हैं उसे सुन लीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

आपको संतुष्ट कर लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

जाट का जवाब गुजर देगा यह बात सही है ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी दो मुद्दे उठाये गये । माननीय वर्मा जी ने और किसानों के समर्थक माननीय राणा जी ने भले ही वह शहर में रहते हैं, किसान के हित के दो मुद्दे उठाये । माननीय वर्मा जी का दृष्टिकोण यह है कि 173 रु0 में लेकर 225 में उपभोक्ताओं को देने का क्या औचित्य है । दूसरी बात उन्होंने कही कि किसान को बोनस दिया जाये । जो वर्तमान स्थिति है उसमें 173 समर्थन मूल्य है यह लेवी मूल्य नहीं है । किसान आज रु0 180 से 200 तक गेहूं के दाम प्राप्त कर रहा है । गेहूं प्रदेश से बाहर भी जा रहा है । जब गेहूं 173 रु0 से नीचे जायेगा तो सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालेगी और उसके लिये जगह-जगह क्रय केन्द्र खोले गये हैं । अब वह समय नहीं आयेगा जब किसान को अपनी उपज जलानी पड़ेगी क्योंकि एक समय आया था जब उसको उपज जलानी पड़ी थी । हमने अपनी जिम्मेदारी सम्भाली है और उपभोक्ता तक उसे पहुंचायेंगे । इसके अतिरिक्त किसानों को प्रति वर्ष 2 हजार 500 करोड़ रु0 केन्द्र सरकार देती है सबसिडी के रूप में तो उसे बोनस ही कह लीजिये । अगर 173 रु0 के अलावा साढ़े 8 रु0 एक 4 रु0 परचेज टैक्स और साढ़े 19 रु0 इंस्टिल चार्जेज आदि सब लगा कर करीब 30 रु0 खर्च आता है । तो 204 में वापस लिया एफ0 सी0 आई0 से और दुकानदार को जिसकी आप दुहाई देते हैं उसे 6 रु0 फायदा होता है जिसके लिये आप कहते हैं कि कुछ मारजिन मिलना चाहिये । इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आदि में जो नुकसान होता है, या खराब हो जाता है वह भी सरकार पर ही आता है । यह सब खर्च सारे के सारे सरकार को वहन करने पड़ते हैं । कह देना तो आसान है कि साहब किसान को बोनस दिया जाये । आप कहते हैं कि 294 रु0 लागत आती है । जो बीज का उत्पादन करता है जो 5 रु0 से 7 रु0 प्रति के0 जी0 बिकता है उसमें ज्यादा लागत आती है । बीज का उत्पादन करेंगे तो उसमें ज्यादा लागत आयेगी साधारण गेहूं की अपेक्षा क्योंकि यह विशेष परिस्थितियों में पैदा किया जाता है तो उसमें ज्यादा लागत आयेगी ही और उसका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा । किसान उस तरह उत्पादन नहीं करता है । जो आपने आंकड़े दिये उसमें कहीं न कहीं पर आप आशंका से ग्रसित हैं । मुझे विश्वास है कि वह भ्रम आपका दूर हो जायेगा और इस पर जोर नहीं देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

केन्द्र सरकार से जो मिलता है उसे न जोड़े, अपने स्तर से दें ।

श्री हुकुम सिंह--

केन्द्र सरकार ने पूरे किसानों के लिये किया है अब प्रदेश सरकार अलग से कहां से करेगी ।

*श्री अकबर हुसैन बाबर--

मान्यवर मेरा प्रश्न आगरा में किसानों पर हुई फायरिंग के सम्बन्ध में है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आप चन्द्र शेखर अजाद कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट मंगा कर देख लें।

(व्यवधान)

आप जो देना चाहते हैं आटा मिल मालिकों को जो आटा बनाते हैं वह 170 रु0 में खरीदते हैं, तीन रुपये का घाटा सरकार उठाती है और तीन रुपये प्रति किलो 300 रु0 कुन्टल में बेचते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान के हित में आप क्या कार्य करते हैं, क्या 2 हजार 500 करोड़ रुपये की सहायता आप सीधे किसान को देते हैं वह मिल मालिकों को छूट को बन्द करके किसानों को आप देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सरकार हमेशा सपोर्ट प्राइज देती है कि इससे कम बाजार में न बिकने पाये और यदि सपोर्ट प्राइज से कम बाजार में कीमत आती है तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। वैसे जब ज्यादा कीमत बाजार में रहती है तो किसान बाजार में ही बेचता है और उसे ज्यादा कीमत मिलती है। पिछले वर्षों में देखा होगा कि बराबर सपोर्ट प्राइज से ज्यादा पैसा किसान ने बाजार में पाया है और इसलिये उसने बाहर बेचा है। इस साल अभी कीमत ज्यादा है और जब कीमत कम आयेगी तो उस समय किसान के सामने समस्या पैदा होगी और सरकार को बेचेगा।

मान्यवर, विजय सिंह राणा जी ने कहा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने जो कहा, तो आपको मालूम होना चाहिये कि सरकार सिंचाई और बिजली पर खर्च करती है करोड़ों रुपये तो उसका रिटर्न कितना मिलता है, उसका ब्याज देना पड़ता है जो नहीं मिलता है। मान्यवर, प्लान परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत किसान के हित के लिये खर्च करते हैं सिंचाई, बिजली और पैदावार बढ़ाने के लिये, इसके अलावा और बहुत से काम करने पड़ते हैं, यह सब काम किसान के हित के लिये करने पड़ते हैं, तो हिसाब जोड़ें तो बहुत ज्यादा सब्सिडी हो जाती है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं। दूसरों को बोलने दें। श्री अकबर हुसैन बाबर।

(व्यवधान)

राणा जी, अब मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठ जायं। श्री अकबर हुसैन बाबर।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

मान्यवर, आगरा जनपद सूखे से तबाह है, वहां पानी का अभाव है, वहां ओला पड़ा है। ओले से पीड़ित किसान समसाबाद-फतेहाबाद मार्ग पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे 15 अप्रैल को तो श्री वीर बहादुर सिंह की पुलिस ने गोली चलाई जिससे दो लोग गम्भीर रूप से घायल हुये और 200 आदमियों पर मुकदमे कायम किये गये हैं और कुछ को जेलों में बन्द किया गया है। एक ओर पानी की बात हो रही है, जानवर पानी से मर रहे हैं और मुख्य मन्त्री जी आश्वासन दे रहे हैं कि वहां पानी देंगे लेकिन आगरा जनपद में किसान जो पानी मांग रहे थे तो उन पर इनकी पुलिस

ने गोलियों की बौछार किया। सूखा राहत के नाम पर एक भी मांग की पूर्ति नहीं की गयी। भूखे मजदूर और किसान जो पानी मांग रहे थे, किसान जो सुविधा मांग रहे थे तो वह देने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसलिये यह गम्भीर विषय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सूखे से तबाह है और जहां के किसान आन्दोलन कर रहे हैं वहां के किसानों की जायज मांगों को मानने के बजाय निरीह किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया गया है और किसानों....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

एक सदस्य--

बाबर जी आगरा कहां पहुंच गये ?

श्री उपाध्यक्ष--

राणा जी, इनको आप अपने साथ ले जाइयेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

हमने वहां दो चारपाई हमेशा खाली करा रखी हैं।

डाक्टर अम्मार रिजवी--

माननीय राणा साहब के होते हुए यह आगरा कैसे पहुंच गये ?

इस सम्बन्ध में हमें जो सूचना प्राप्त हुई है इनका एक जुलूस जा रहा था, उसमें भीड़ उग्र थी, तो उसे रोकने और समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह लोग रुके नहीं, तो उस पर हल्का सा लाठीचार्ज हुआ और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमें दायर हुए। यह अब तक की सूचना है। फिर हम इसको दिखवा लेंगे और जो कुछ आवश्यक होगा कर दिया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद के चिरैयाकोट कस्बे में 6 अप्रैल को सायंकाल साढ़े 6 बजे....

(व्यवधान)

मैं एक बात का आप लोगों से निवेदन करूंगा जिस समय आप बोलते हैं आप चाहेंगे कि दूसरे लोग उनकी बात को शान्तिपूर्वक सुनें, मैं भी उनसे यही चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं, आप शान्ति बनाये रखें, जिससे हर सदस्य अपनी बात यहां पर रख सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दुबारा प्रार्थना करता हूं कि आजमगढ़ जनपद के चिरैयाकोट कस्बे में 6 अप्रैल को दिन के उजाले में सायंकाल साढ़े 6 बजे श्री हीरालाल सर्राफ की दुकान में सात लोग घुस गये और उनकी दुकान का सारा माल लूट ले गये और उन पर उन्होंने प्राणघातक हमला किया जिसके कारण श्री हीरालाल का दाहिना हाथ उड़ गया और वह लहूलुहान होकर धरती पर गिर गये। इस प्रकार के हत्या और डकैती के कांड तो इस राज्य में राज हुआ करते हैं। पर क्या कारण है कि इस पर मैंने काम रोको प्रस्ताव लाने और उस पर चर्चा कराने की मांग की है। यह घटना जहां हुई है उससे एक फर्लांग की दूरी पर थाना है और सब-इंस्पेक्टर राममिलन पाण्डेय घटना के 10

मिनट पूर्व घटना स्थल की त्रिमुहानी के चायवालों और दूसरे दुकानदारों से यह कहते हुये चले गये थे कि आप अपनी अपनी दुकानें बन्द करें और जिस जीप से वह आये थे, जिस जीप से डकैती डाल कर वह भाग कर गये उस जीप तक लोगों का कहना है कि श्री राम मिलन पान्डेय भी गये थे।

यही रामिमिलन पान्डेय डकैती काण्ड के पहले दुकानदारों से दुकानें बन्द करने के लिये कह कर गये थे। दिन के उजाले में चलते हुये मार्ग के ठीक त्रिमुहानी पर थाने से मात्र 2 फर्लांग की दूरी पर पड़ी डकैती पुलिस के मिले बिना नहीं हो सकती है यह चर्चा वहां की जनता में प्रभावी थी इसके कारण हुए इस वीभत्स डकैती कांड के बाद वहां के स्थानीय लोगों में बड़ा रोष और भय व्याप्त हो गया था। इस सूचना पर कि कोई जिलाधिकारी आ रहे हैं लोग मिलने के लिए प्रतीक्षारत थे तो पुलिस के लोगों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और गोली वर्षा किया जिसके कारण ग्राम प्रधान श्री शाहजहां और श्री शिवबचन यादव घायल हो गये, श्री हासिम के हाथ में फ्रेक्चर हो गया श्री मेहराब तथा निजामुद्दीन के कान में तथा तौफीक के सीने में छर्रा लगा है और नसीम खां के पैर की हड्डी टूट गयी है।

इस घटना से जनता के मन में यह बात विश्वास कर गयी है कि राम मिलन पान्डेय सब इंस्पेक्टर की इसमें मिली भगत है। इसके पीछे कारण एक यह भी है कि घटना की जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई, उसे श्री राम मिलन पान्डेय ने खुद दर्ज किया और उस पर हीरालाल सर्राफ के भांजे से दस्तखत करा लिया, जिसमें उसने इतने बड़े डकैती को राहजनी की घटना के रूप में दिखाया है। इसमें सब तरफ से बात साफ है कि पुलिस वालों की मिली भगत से डाका पड़ा। आप इस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करायें और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह गुप्तचर विभाग को मामला सौंपा जाए जिससे सही और निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही हीरालाल की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय और उन्हें क्षतिपूर्ति दिलवाई जाय ...।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें, अब आपका समय नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, हरीश जी का जो काम रोको प्रस्ताव का नोटिस आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है उसकी सूचना मैंने मंगाई थी लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो बातें उन्होंने उठायी हैं उसकी जांच हम करायेंगे और जो तथ्य हैं उनको देखकर कार्यवाही करायेंगे।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, 20 अप्रैल, 1988 को वाराणसी और वाराणसी मंडल के जनपदों में भयंकर वर्षा हुयी जिससे खेतों में पानी भर गया और गेहूं की फसल पानी में गिरकर नष्ट हो रही है। जो गेहूं कटकर खलिहान में आया था और जिसकी मड़ाई हुयी थी वह सब पानी से तरबतर हो गया और खराब हो गया है। इसी तरह से भूसा भी पानी के कारण नष्ट हो गया जिससे किसानों को अपार क्षति हुयी है। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायी जाय।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस संबंध में मैंने राहत आयुक्त को नोटिस भिजवायी है और आदेश दिया है कि जो राहत कार्य किये जा सकते हैं और जो मुआवजा दिया जा सकता है वह दिया जाय।

*श्री पारसनाथ यादव—

मान्यवर, आज मैंने जो सूचना दी है वह लोक महत्व के साथ-साथ भ्रष्टाचार से भी संबंधित है। भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश में सन् 72 से बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। यू0 पी0 इंडियन मेडिकल एक्ट, 1939 की धारा 47 में यह प्राविधान है कि अगर बोर्ड का गठन नहीं होता है तो एक एजेंसी बना दी जायेगी और उसके माध्यम से कार्य संचालित किया जायगा। लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है और 24 अप्रैल, 1988 को एक विज्ञापन निकाला गया जिससे फार्मेसिस्टों का प्रवेश कराया जा रहा है। 400 फार्मेसिस्ट हर साल निकलते हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है और वे फर्जी-नकली दवायें गांवों में बेचते हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0 प्र0 में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाय और उक्त ऐक्ट की धारा 47 के अनुसार एक एजेंसी बनायी जाय जिसके माध्यम से परिषद् का कार्य संचालन किया जाय तथा इस मामले पर आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो नोटिस आयी है और जो भारतीय चिकित्सा परिषद् के गठन में भ्रष्टाचार के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है तो इस मामले को मैं दिखलवाऊंगा।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, आज जो मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है वह बड़ी विषम स्थिति में दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका मन नहीं था आज,

श्री सुखपाल पाण्डे—

मन तो हमारा बहुत था लेकिन आपकी वजह से दबा था।

श्री उपाध्यक्ष—

बड़ी कृपा है आपकी।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, गोरखपुर मंडल में आजमगढ़, बस्ती, देवरिया आदि में जो सचिवों के चुनाव किये गये हैं तो न तो इसको अखबारों में प्रकाशित किया गया और न रोजगार दफ्तर से नाम मांगे गये। उप निबंधक ने 10-15 हजार रुपये लेकर फर्जी अनुभव के सर्टीफिकेट लगवाकर जो योग्य नहीं थे उनका चयन किया। हमारे ख्याल से वह मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के रिश्तेदार हैं और दो महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जब इसका विरोध लोगों ने किया तो केवल 65 आदमियों का चुनाव करके सूची तैयार कर दी और 15-15 हजार रुपये के हिसाब से उन्होंने लिया है और जो पूरा नहीं दे सके, उनको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। ऐसे ही चारों जिलों में उन्होंने भयंकर अनियमितताएं की हैं। यही नहीं, चयन समिति में अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, उसमें किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य को नहीं रखा गया और अनुसूचित जाति का कोटा भी नहीं पूरा किया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनके विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा कर कार्यवाही की जाय और सारा का सारा पैसा वसूल किया जाय। माननीय मंत्री जी अगर वह अपने को मंत्रि-परिषद् के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी सदस्य का रिश्तेदार है, तो इसकी छानबीन करें कि वह किस मंत्री का रिश्तेदार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सुखपाल पाण्डे ने बस्ती के संबंध में कुछ वहां के कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के बारे में कहा है। अभी तो केवल मैं इतना कह सकता हूं कि रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज से इसकी जांच करायेंगे, ताकि तथ्य प्रकाश में आ जाय। मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न तो बनता नहीं है लेकिन इसकी जाँच कराई जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजित प्रसाद यादव की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री किशन लाल की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री अशोक बाजपेयी की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री सत्य प्रकाश विकल की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम जनम यादव, श्री हफीज भारतीय की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री हृदय नारायण की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। बाकी सबको अस्वीकार करता हूं।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मेरी सूचना पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

2 मार्च, 1988 को इसी सदन में मैंने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिया कि हमारे क्षेत्र से नेपाल के रास्ते से चीनी हथियार बराबर आ रहे हैं और यहां पुलिस तस्करों और कस्टम वालों से गोलियां चलीं, मैंने मांग किया था कि इसकी जांच पुलिस मुख्यालय के किसी अधिकारी को भेज कर कराई जाय। माननीय अध्यक्ष ने भी टेलीफोन करके गृह मन्त्री जी से कहा था कि इसकी जांच पुलिस मुख्यालय के किसी अधिकारी को भेज कर कराई जाय, परन्तु मुख्यालय से किसी अधिकारी को न भेजकर वही दरोगा ने जो रिपोर्ट भेज दिया, उसी पर माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान, गृह राज्य मन्त्री ने हमको भेज दिया। मैं मांग करता हूं कि आप निर्देशित करें कि इसकी जांच पुलिस मुख्यालय के अधिकारी से करा ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको लिखकर भेज दीजिये। आप बैठें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नियम 56 में बहुत से प्रश्न आते हैं, कल के लिये मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। मान्यवर, 300 टेक्सटाइल मजदूर हड़ताल पर हैं। इससे पहले 6 महीने तक मिल बन्द रही ....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर देता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

शासन का ध्यान आकर्षित करने से काम नहीं चलता, ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरे विवेक को चैलेन्ज नहीं कर सकते । मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985†

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह हमारी खुशकिस्मती है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री इस सदन में मौजूद हैं और इनके पास राजस्व विभाग भी है । तो इस अहम मुद्दे पर जिसके सिल-सिले में यह बिल लाया हूं इस पर माननीय अम्मार रिजवी साहब की तवज्जह में खास तौर से चाहता हूं । मैं इस बिल में जो संशोधन लाया हूं । मान्यवर, वह लोग सुन नहीं रहे हैं आपस में बहस कर रहे हैं । माननीय अम्मार रिजवी साहब जो राजस्व मंत्री हैं, सदन में हैं, वह इस पर तवज्जह दें । यह एक ऐसा मुद्दा है, जिससे अम्मार रिजवी साहब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो इसका जवाब भी वही दें तो अच्छा है ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय बारी साहब, मैं आपकी बात का क्या जवाब दूंगा आप तो खुद लाजवाब हैं । माननीय गौरी शंकर जी ऐसे मंत्री हैं कि उनके सामने बड़े-बड़े लाजवाब हो जाते हैं, वही आपको जवाब देंगे ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह मैंने खास तौर से इसलिये कहा था, मैं जानता हूं कि माननीय गौरी शंकर जी बहुत काबिल हैं, अच्छे समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं और यहां पर गीता और उपनिषद् वगैरह के श्लोक पढ़ा करते हैं, तेज आदमी हैं । लेकिन यह मसला कुरान का है जिस पर यह बिल लाया हूं । शरियत अप्लीकेशन ऐक्ट, 1937 के मुताबिक है इसलिए मैं चाहता हूं कि अम्मार रिजवी साहब रहें ताकि दिक्कत न पेश आये । वैसे मैं समझता हूं कि गौरी शंकर जी को भी कुरान का ज्ञान होगा ।

मान्यवर, 1952 से पहले जब इस मुल्क में जमींदारी का दौरान था, यह बड़ी अच्छी बात है कि जमींदारी तोड़ दी गयी, जमींदारी से गुलामी की बू आती थी । जनता इस देश की जो आजाद हो चुकी थी उस पर कुछ लोग राज्य कर रहे थे । अच्छा हुआ जमींदारी खत्म कर दी गयी लेकिन जमींदारी खत्म करने के साथ-साथ एक और जुल्म और अन्याय हुआ । इस प्रदेश के अन्दर रहने वाले मुसलमानों का जो शरियत ऐक्ट है उस ऐक्ट को जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट ने खत्म कर दिया । अभी इसी सत्र में माननीय हरीश जी एक संकल्प लाये थे कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें औरतों को भी हिस्सा दिया जाय ।

---

†हय विधेयक अल्पकारी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल मैं इसलिए लाया हूं कि शरियत ऐक्ट में यह दिया हुआ था कि जब कोई भूमि स्वामी मरेगा तो उसकी जायदाद में से उसकी बेवा को 1/8 उसकी लड़कियों और उसके लड़के को हिस्सा मिलेगा। इस तौर पर जो संकल्प माननीय हरीश जी लाये थे उसकी मंशा भी इस बिल में पूरी हो रही थी लेकिन यह बिल मैं एक दूसरे मकसद से लाया हूं। मेरा मतलब यह है कि कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया के आर्टिकल 19 और 26 के तहत जो प्रावीजन है, जो आशय है उसको पूरा करना चाहिये, जाहिर है कि मजहब का, अपने धर्म पर चलने का, उसको मानने का हक है।

अगर किसी कमजोर तबकों को मजहब राहत पहुंचा रहा है तो उस पर हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिये। मैं चन्द मिसालों में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है उसकी शादी होती है, उसको एक लड़का पैदा होता है। कुछ दिन के बाद उसकी बीबी मर गयी। बीबी के मरने के बाद वह दूसरी शादी करता है और उस शादी में उसके एक लड़की पैदा होती है। लड़की 7-8 साल की होती है, 10 साल की होती है, इसी बीच में वह शौहर, लड़की का बाप मर जाता है। अब आपका 1952 का जमींदारी ऐक्ट यह कहता है कि तमाम जायदाद जो उस आदमी की थी, वह सबकी सब उस लड़के को मुन्तकिल हो जायेगी न तो बेवा पायेगी और न उसकी बच्ची पायेगी। आप बतायें, उसकी मां सौतेली मां है, उसकी बहन सगी नहीं,

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुये।)

सौतेली बहन है। जब वह लड़की 10-12 साल की होती है, बड़ी होती है तो उसकी शादी कैसे होगी। औरत का हिस्सा मारा गया। कल तक औरत उस खेत की मालिक थी, गल्ला गोदाम की मालिक थी, शौहर के जरिये से खेत से पैदा किया गया अनाज वह चाहे जैसे खर्च करती। आज वह विधवा बेसहारा है। वह लड़की या तो कानपुर की 3 लड़कियों की तरह से फांसी लगा ले, वह सौतेली बहन है उस भाई की, वह भी फांसी पर लटक कर मर जाय या क्या करे? यह जालिमाना कानून है इसको बदलना होगा। इसके लिये पहले इस्लाम धर्म में प्राविधान था कि कोई आदमी मरेगा तो उसकी जायदाद में से जो बचे हुये लोग हैं, उनको बराबर का हिस्सा इस तरह से दिया जायगा कि 1/8 बेवा को मिलेगा, एक हिस्सा लड़की को मिलेगा और उसका दुगुना लड़के को मिलेगा। इस तरह से पूरी जायदाद बांटी जायगी। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि प्लाट छोटे छोटे हो जायेंगे, उत्पादकता खत्म हो जायगी। तो आप चकबन्दी की फाइलें उठाकर देख लें, छोटे-छोटे प्लाट इसी चकबन्दी में बनाए गए हैं। यह कानून को बनाकर औरतों को उनके हक से महरूम कर दिया गया और उस कानून को सही अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। यह एक ऐसा इन्सानी औरतों के हक से मुतालिक मसला है जो उनको इज्जत का मुकाम देने वाला, उनका सोशल स्टेटस बनाने वाला अमेन्डमेन्ट है, जो मैं लाया हूं।

मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की पार्लियामेन्ट में वीमेन प्रोटेक्शन ऐक्ट पास करके शरियत को यह सैंक्टिटी दी है कि भारतवर्ष में मुसलमानों को अपनी शरियत पर चलने का हक हासिल है। वह तो हो सकता है कि उसमें कुछ मतभेद हो, जो ऐक्ट पास हुआ, उसके सफे से एतराज हो सकता है, हमको और और लोगों को एतराज हो सकता है। उसमें एक हबीस का मामला था जिसमें मतभेद और बहस मुबाहिसा हो सकता है लेकिन यह जो मैं कानून की शक्ल में तब्दीली लाना चाहता हूं, यह औरतों को उनका हक दिलाने वाला है। यह अफसोसजनक बात मेरे सामने आयी कि 1952 में यह कानून पास हुआ लेकिन उसमें मुसलमान औरतें महरूम हुई थीं अपने हिस्से से, सोशल स्टेटस से, सामाजिक न्याय और आर्थिक लाभ से उनको महरूम किया जा रहा है। आदमी को, मर्द को आदत है कि हमेशा औरतों का

शोषण करना चाहता है। यह फैक्ट है। हमारे यहां इस्लाम में शोषण नहीं है। लेकिन अफसोसजनक पहलू यह है कि 1952 से लेकर 1988 तक इतने साल हो गये, हम चार शादी करते हैं लेकिन 20 होटलों में रात नहीं गुजारते हैं। 4 शादी करते हैं तो चारों को इज्जत से रखते हैं। वैसे भी रखने वाले कम हैं, लेकिन यहां पर तलाशी ली जाय।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

जवान आदमी हैं एक क्यों चार रखें।

श्री फजलुल बारी--

रोजे का मामला है, इस समय ठीक नहीं है। औरतों की इज्जत का मामला लेकर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यगण से यह अनुरोध करूंगा कि मेरा जो यह अमेन्डमेन्ट है जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के सिलसिले में, इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है और बहस किस बात की। कांग्रेस के जो सदस्य हैं, उनसे कहना है कि उनकी जो नीति है, केन्द्र में वह मान चुके हैं इस बात को मुसलमानों को उनकी शरियत के मुताबिक काम करने के लिये कानून बनाने की सुविधा प्रदान करते रहेंगे और मई, 1986 में पार्लियामेंट में इसी प्रकार का एक कानून पास करके दिखा चुके हैं। हम उसको सही या गलत मानें, या न मानें, लेकिन बात हकीकत है, इसलिये मेरा उनसे कहना है कि यह जो मैं एमेण्डमेन्ट लाया हूं यह शरियत की कई दफाओं के मुताल्लिक है जिसमें औरतों को जायदाद में हिस्सा देकर, उनको बाइज्जत मुकाम देकर मर्दों के बराबर खड़ा करने का काम करेगा और कुरान की सेक्टिटी, मेरे ख्याल से राजीव गांधी भी मानते हैं, इसलिए, वीमेन प्रोटेक्शन ऐक्ट पास कराकर दिखा दिया। तो उधर के लोग तो पास कर ही देंगे। रहा सवाल इधर के सदस्यों का तो वे तो इसके समर्थन में हैं ही, उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे भी इसमें साथ दें। माननीय हरीश जी भी इसी सिलसिले में पहले संकल्प लाये थे।

मान्यवर, इन हालात में इस सिलसिले में कुछ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। उधर के सदस्यों के लिये मैं बता दूं कि उनकी भावना का मसला नहीं है, उनकी तो दिल्ली से आर्डर आने पर भावना जुड़ती है, उनकी तो लाईन वहां से जुड़ी है। इसमें औरत के हक की बात भी जुड़ी हुई है। औरत को जो मिलना था तो वह बिल अपने 1986 में पेश कर दिया वहां। आज औरत को देना है, मर्द की सुप्रीमेसी को खत्म करना है, तो यह इस चीज को नहीं मानेंगे। इसलिये अब इसमें ज्यादा न कहकर, यह उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेस के दोस्त हैं, उधर बैठे माननीय सदस्य हैं, बगैर किसी बहस के, इस बिल को अपना बिल जानकर इसे पास करा देंगे।

मान्यवर, मैं सबको दावत देता हूं कि इस बिल पर बहस करें इसको पास कराने में हमारी मदद करें। मान्यवर, अब जब इस पर जवाबी तकरीर होगी, तो मैं मान्यवर, कुछ और नये तर्क पेश करूंगा।

श्री अध्यक्षता--

माननीय जयदीप सिंह बरार, माननीय सुरेन्द्र सिंह अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें।

[श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) के अनुपस्थित होने पर]

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस बिल का कोई समर्थन ही नहीं है।

श्री फजलुल बारी--

माननीय लाल प्रताप जी तो आप इसका अपोज कर दीजिये, आप कह दीजिये कि मैं इसका अपोज करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय बारी साहब, पोलिटिकल बात छोड़िये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, कोई समर्थक है ही नहीं, यह तो आपके अधिकार के अन्तर्गत है, यह तो बिल ही समाप्त हो गया ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह प्वाइन्ट उठाया गया कि इस बिल के समर्थन में कोई बात नहीं आई, किसी सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जब कोई बिल सदन में प्रचार करने के लिये प्रस्तुत कर दिया गया, तो उस पर समर्थन करन का कोई नियमों में प्राविधान नहीं है । इसमें समर्थन प्रस्ताव की कोई जरूरत ही नहीं है । अब जो पक्ष में बोलना चाहें, पक्ष में बोलें और जो विपक्ष मे बोलना चाहें, उसको विपक्ष में बोलने का मौका दीजिये ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कोई बिल सदन में तब पुरःस्थापित होता है, जब उस बिल का समर्थन हो । इनके दो समर्थक थे, दोनों का नाम पुकारा गया, दोनों ही इस सदन में नहीं हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह त्रिपाठी जी संसदीय मामलों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, बिल में समर्थन नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता--

जब कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको पुरःस्थापित करने की याचना की जाती है और बिल पुरस्थापित होने के बाद जब विचार करने के लिये प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो पुरःस्थापितकर्ता अपने विचार प्रकट करता है । यदि किसी को आपत्ति में बोलना है, तो वह अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । अब जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हों, वह बोलें ।

श्री फजलुल बारी--

अगर किसी की अक्ल ही मारी गयी हो, तो हम उसके लिये क्या करें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस बिल के मुताल्लिक अपने विचार, विस्तार से रखना चाहता हूं। मुझे तो ऐसा लगा और सत्य भी है कि यह माननीय सदस्य फजलुल बारी जी फंडामेन्टलिज्म के शिकार हैं, रिवाइवलिज्म के शिकार हैं। इसी का नतीजा है कि उन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है।

(गौरी शंकर जी के कुछ कहने पर)

मान्यवर, मंत्री जी को समझ में शायद कोई बात नहीं आई है। वैसे फंडामेन्टलिज्म के बहुत से अर्थ हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आई। एक सज्जन ने एक बात कही है "वरशिप आफ पास्ट इज ए सिंपटम आफ डिके इन ए सोसाइटी" इस तरह वरशिप भी फंडामेन्टलिज्म का एक पार्ट है। जितना भी हम पुराने में जाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, वह सब फंडामेन्टलिज्म का पार्ट है। कानून का मोड़ क्या हो? बिल का मोड़ क्या हो? पार्टीशन कैसे हो, सक्सेशन कैसे हो। यह कोई रिलीजियस साइड नहीं है और इसे राजनीति से वाबस्ता करना एक मजबूरी है। यह तो मैटीरियल साइड आफ लाइफ है। जीवन की भौतिक साइड है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और वास्तव में रिलीजन क्या है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, समझते हैं।

दूसरों के साथ नेकी करना, गरीबों की मदद करना, सच बोलना, यही सच्चा रिलीजन है, शेष, मेरे ख्याल में सब कूड़ा-करकट है। श्री फजलुल बारी जी इसी कूड़ा-करकट को इकट्ठा कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टीनेन्सी का जो कानून बनेगा, वह किसानों की भलाई के परस्पेक्टिव में बनता है। एक बात उठाकर कह दी गई कि यह दिक्कत है। दिक्कत तो हर कानून में होती ही है। हो सकता है सबको उससे लाभ न मिले, लेकिन हर कानून से ज्यादा से ज्यादा कठिनाईयां दूर होती हैं और लोगों को राहत मिलती है। बेस्ट से बेस्ट कानून का इन्टेन्सन हो, फिर भी कहीं न कहीं उसमें थोड़ी-बहुत कठिनाई अवश्य आयेगी। हमारे देश में बहुत तरह के कानून हैं लेकिन 1985 से लेकर एक टीनेन्सी ला बना और उसमें काफी कामयाबी भी मिली। यह सोचा गया कि टीनेन्सी ला एक यूनीफार्म ला बने, जिसमें किसानों को भी लाभ हो। यदि उसमें पर्सनल ला में भी कोई अच्छी बात कही गई हो तो उसे भी शामिल कर लिया जाय। किसी ने कहा है "ही इज एन अन अल्टरेबल फूल हू थिंक्स दैट लो इज अन अल्टरेबिल।"

वह आदमी अनअल्टरेबिल है जो यह समझता है कि कानून बदल नहीं सकता है। वक्त के हिसाब से कानून भी बदल सकता है। अब आप इसी बिल को लें इसके मोड़ को लें, इसके टेस्टामेंट को लें। मोहमडन ला को ही लें। एक पिता के दो लड़के हैं। एक लड़का मर गया, उसका एक लड़का है और जब बाप मरा तो उसकी जायदाद केवल जीवित लड़के को मिलेगी, ग्राण्ड सन को नहीं मिलेगी, यह कहां का मापदण्ड है। दोनों को मिलना चाहिए। किसी ने कहा भी है ला इस नथिंग बट ए कामनसेन्स। इतिहास कहता है उसने उसका कत्ल कर दिया उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। जमाने के हिसाब से तब्दील होना चाहिए, उसके मोड़ में तब्दीली होनी चाहिए। पहले हिन्दू स्त्रियों को ज्वाइन्ट प्रापर्टी का कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई अधिकार नहीं था, कि वह पार्टीशन क्लेम कर सकें, एक मरसा रहती थी, लेकिन 1937 में पहली बार पार्टीशन क्लेम करने व सक्सीसन का अधिकार स्त्री को दिया गया। ला तो सर्वाइवलशिप के आधार पर चलता है। विडो को भी वही इनहेरेन्ट अधिकार होगा जो सन को होगा। ये चीजें देखने की बात हैं। यह कानून समय के मुताबिक बन गया।

अब अगर आप उल्टी धारा बहाना चाहते हैं तो मार्डनाईजेशन और इक्वलाईजेशन का जो हम तरीका चाहते हैं, ला के माध्यम से यह बिल्कुल खतम हो जायेगा।

तमाम हिन्दू सोसाइटी के बहुत से कानून हैं जिन्हें मुसलमान लोग मानते हैं क्योंकि इसी स्थायल से हैं। इसी तरह से सक्सेशन को भी वे लोग मानते चले आ रहे हैं। बहुत से ताल्लुकेदार जो कि मुसलमान थे और हिन्दुओं की तरह से एडाप्शन को मानते थे। बहुत से ताल्लुकेदारान हिन्दू ला से गाईड होते थे और उसको मानते थे। केरल के मुसलमान हिन्दू कानून को मानते हैं और मानते थे और उसी के मुताबिक उनके यहां तैयारियां होती थीं।

इस तरीके से आप को अलगाव की बात सोचना, जो आज हम और आप इतने नजदीक हैं वह सब खत्म हो जायेगा। आज जो हम और आप बंधे हुए हैं, कोई एसेमियेलेशन नहीं है, यह आपका दिमागी फितूर है। न कोई एसेमियेलेशन है और न इसकी कोई बात है, यहां तो यह है कि हम और आप आपस में बंधे होते हुए भी अपनी आईडेन्टीफाई कायम रखें, यह नहीं कि इसके लिये तूफान खड़ा कर दें। अगर इस तरह से फण्डामेन्टलिज्म की बात होगी तो मुसलमान आदमी का न कोई फायदा रह जायेगा और न कोई उसमें भलाई रह जायेगी।

अब मैं औरतों की बात पर आता हूं कि जो कानून सी0 आर0 पी0 सी0 125 में या 488 में दिया जाता है।

श्री फजलुल बारी--

169 से 175 को माना है, आप तो इधर-उधर भाग रहे हैं ?

श्री लाल प्रताप सिंह--

सक्सेशन में चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो फादर के न रहने पर लड़का और लड़की बिना ब्याही हुई या विधवा दोनों ही बराबर के हकदार हैं। विडो अदालत से अपने पिता के न रहने पर अदालत से उसको प्रापर्टी में अपना हक मांग सकती है, सारी टेनेन्सी बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। सबकी जायदाद जब्त हो जायेगी, किसी आदमी को कोई प्रापर्टी नहीं मिलेगी।

अब मैं औरतों पर आता हूं कि औरतों के लिए मेनटीनेन्स कहा जाता था। अगर कोई विडो मेल्टेड है, हेल्पलेस है और वह मदद मांगने के लिए गई थी तो उस पर इतना तूफान उठाना अनुचित है। जहां मैं सारी बातों से इत्तफाक रखता हूं वहीं पर यहां मैं जज साहेब से नाइत्तफाकी भी रखता हूं कि इसे इतना लम्बा करने की जरूरत नहीं थी। इसमें मनु जी को कोट करने या हजरत साहेब को कोट करने की बात नहीं थी। इसलिये मुझे एक बात याद आ गई कि अभी एक मुल्क में यह बात आई कि जज महोदय सब भी अपने जजमेंट लिखें तो खड़े-खड़े लिखें, बैठे-बैठे न मालूम क्या-क्या लिख जाते हैं, इसलिए समय-समय की बात है इसलिए फंडामेंटालिज्म में ही हमारा और आपका हित होगा, किसी प्रकार के कानून बदलने से या जरूरत के मुताबिक घटा-बढ़ाकर पास करने से उसमें परसनल-ला आदि को उसमें लागू करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। आज दुनिया 14 वर्षों से पहले काफी तेजी से तरक्की कर गई है। अभी थोड़े दिन पहले टर्की के एक प्रधान मंत्री आए थे, उनसे हमारे यहां जर्नलिस्ट्स ने पूछा कि आपके राज्य से, हुकूमत से रिलीजन का भी कोई ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां राज्य के मामले में रिलीजन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारी स्टेट सेकुलर स्टेट है, हमारा कानून और हमारी हर बात सेकुलर है हम मौके के मुताबिक कार्य करते हैं और यही स्थिति आज सारे मिडिल इस्ट के मुल्कों में व अमेरिका आदि में है, केवल 22 ममालिक हैं आपके जहां कलामपाक के मुताबिक हुकूमत है, वैसे दुनिया

बहुत बड़ी है, हर जगह मौके के मुताबिक जैसी जरूरत होती है कानून बनाते हैं और अपना काम चला रहे हैं, वैसे वहां पर प्रोडक्शन के बारे में आप कहें, तो वहां कुछ होता नहीं है, गेहूं और चावल वहां होता नहीं है, लेकिन कुदरत ने उनको इतनी दौलत दे रखी है कि हर तरफ से वहां सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर खेती आदि से वहां कोई ताल्लुक नहीं है यह मैं पहले की बात कह रहा हूं अब क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने यहां परसनल-ला मेन्टेन किया है और आप यहां वहां की विपरीत स्थिति में इसे लागू करना चाहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप पास्ट से बिल्कुल अलैहिदा हो जायें या बिल्कुल पास्ट में ही चले जायें इसके सामने यह नहीं है बल्कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए जरूरत के मुताबिक चलें तो इस प्रकार के विचार आपके प्रक्रिया वादी विचार हैं ।

यदि आप देश-प्रदेश और समाज की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो सन् 1942 से कुछ ऊपर उठें और परसनल-ला के लागू करने की बात ऐसी जगह उठाएं जहां मुनासिब हो लेकिन टेनेन्सी लॉ में इसको लाने की जरा भी कोशिश न की जाए । यह टेनेन्सी ऐक्ट 1885 से लेकर आज तक चला आ रहा है और आज तक इस ओर किसी ने कोई बात सिवाय उन लोगों के जिनका कुछ माइंड-मेटेनेन्स लूज हो गया हो नहीं कहीं कि टेनेन्सी ला में भी परसनल-ला कर दिया जाये और ज्यादा से ज्यादा इस बात को लेकर प्रोपगंडा करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और माननीय बारी साहब से मैं यह आशा करता हूं कि वह इस प्रकार के ऐक्ट को वापस लेंगे क्योंकि अब आप विधान सभा में आ गये हैं कम से कम इस प्रकार की बे-बुनियाद बातों को तो यहां न उठायें, विधान सभा से बाहर रहने की बात तो दूसरी है, जब यहां आ गये हैं, तो यहां की बुद्धि के अनुसार काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी बारी साहब जिन्होंने अपना एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसकी कापी में बहुत दिनों से खोज रहा था परन्तु अब वह मिली है इसमें उन्होंने 169 से 175 तक जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 175 में 175(अ) जोड़ देने की बात कही है और उसके उद्देश्य और कारण में जो बातें उन्होंने बतायीं, जिसमें एक ही बात को जहां तक मैं समझ पाया हूं कि घूम-घूम कर कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं से सम्बन्धित जो अधिनियम है इस अधिनियम के परिवर्तित हो जाने से उचित सम्मान मिलेगा । उनका मुख्य उद्देश्य यही था और उन्होंने इसको मुस्लिम परसनल-ला के रूप में रखने का प्रयास किया है और अधिनियम में परिवर्तन की बात कही है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परसनल-ला अच्छा है या जैसा भी है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । हिन्दू माइथोलाजी में मिताक्षरा की बात कही गई है । हिन्दू धर्म में जो उसके मानने वाले हैं, उनका उत्तराधिकार को अधिकार है । जब हिन्दुस्तान में सब लोग रहते हैं, और सभी धर्मों में उत्तराधिकार की बात आती है, तो जब अपने आप को उन विचारों से जोड़ने की बात करते हैं, तो उससे देश की एकरूपता में विभिन्नता पैदा होने वाली है । आप जानते हैं कि हिन्दू धर्म में तलाक की व्यवस्था नहीं है । एक बार भांवर पड़ गया तो फिर चाहे पति कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पत्नी को उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है । इसी प्रकार से अगर स्त्री मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो हिन्दु धर्म में इस बात की व्यवस्था है कि वह जीवन भर उसी स्त्री के साथ रहेगा और उसके जीवन यापन की व्यवस्था करे । यह संस्कार धार्मिक होते हुये भी आध्यात्मिक हो जाता

है, लेकिन जब यह कानून बना तो तलाक की व्यवस्था की गई। तो यह व्यवस्था परिस्थितियों को देखकर की गई और यह व्यवस्था आ गई और पति को पत्नी से तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया गया, यह इसलिए किया गया कि ऐसी परिस्थिति आती गयी।

मैं बारी साहेब के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं। महिला चाहे मुस्लिम हो या हिन्दू हो और चाहे ईसाई हो उसको उचित सम्मान देना चाहिये और इस सम्मान को केवल परसनल-ला कह कर ही नहीं दिया जा सकता है। अगर इन सारी बातों को जोड़ दिया जाये तो बारी साहेब की बात पूरी हो जाती है, क्योंकि उत्तराधिकार का जो नियम है उसमें हम लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं। पति के मरने के बाद पत्नी को हिस्सा मिलना चाहिये, चाहे वह मुस्लिम हो और चाहे हिन्दू हो। तलाक देने के बाद कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, उसको सी0आर0पी0सी0 या सिविल मैटर्स में जाकर हम प्राप्त करते थे, उसको भी अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जायेगा। इसकी जिम्मेदारी बारी साहेब की नहीं है, केन्द्रीय सरकार की है, राजीव गांधी की सरकार की है, जिसने मुस्लिम महिला को जो हक मिलना चाहिये उससे वंचित कर दिया है और कानून पास कर दिया है। इसमें उत्तराधिकार का हक नहीं मिलेगा, तो जो व्यवस्था बारी साहेब चाहते हैं, वह लागू नहीं होनी चाहिये अगर आपने कर दिया तो आपको भी मानना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं।

मैं बारी साहब से भी कहना चाहूंगा कि माननीय बारी साहब, इसमें कानूनी बारीकियां भी आयेंगी क्योंकि संविधान म इक्वेलिटी बिफोर ला है और कानून के सामने सब को बराबर का अधिकार है। इस विधेयक को अगर परसनल ला के रूप में रखेंगे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और उसमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि जो परसनल ला की अच्छी बातें हैं उनको आप क्रमशः तथा क्लोज वाइज बना कर सदन के पटल पर रखें तो हम सब उसका समर्थन करेंगे और अपनी बात कहेंगे। इस तरह से जो कानून होगा वह केवल आपके लिये ही नहीं होगा, सभी महिलाओं पर वह लागू होगा। केवल नाम परसनल ला रखने से ही काम नहीं चलेगा। इस तरह से तो किसी न किसी के दिल में यह गुदगुदी लग सकती है कि इसे आप परसनल ला के रूप में रख रहे हैं। इस लिए आप अच्छी बातें जोड़कर इसमें क्लाज वाइज कर दें। तब इसे सब लोग स्वीकार कर लेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की जातिगत या धार्मिक कोई बात नहीं रह जायेगी। मैं बारी साहब से कहना चाहूंगा कि आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, ऊंचा है, उस उद्देश्य की हम आलोचना नहीं करते। आप यदि परेशान और सताये हुये लोगों को इस विधेयक में लाना चाहते हैं तो इसको आप क्लाज-वाइज बना कर इस तरह से रखें जिससे हम सब लोगों को इस सदन में कुछ कहने का मौका न मिले और हम सब इसे स्वीकार करें, इन शब्दों के साथ मैं बारी साहब से आग्रह करूंगा कि इस संशोधन के साथ आप इसे यहां पर प्रस्तुत करें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा। जो बिल माननीय सदस्य लाये हैं तो इसमें आप यह बात अवश्य जोड़ दें कि अगर इस परसनल ला के मुताबिक आज तक किसी व्यक्ति ने अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया है तो उसके लिए सजा का भी प्राविधान करें। (व्यवधान)। यह प्राविधान होना चाहिए। अब आप क्लाज-वाइज बना लेंगे तो अगर किसी ने उसके अनुसार नहीं दिया है तो उसके मांगने वालों को उसके हिसाब से धन की व्यवस्था आप करेंगे। यही मेरा कहना है।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बिल लाये हैं उसमें उन्होंने अनुच्छेद 25 की शरण ली है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस अनुच्छेद 25 से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल अन्तःकरण को, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट भारत वर्ष के हर नागरिक को है। आपका जो बिल है, उत्तर प्रदेश का किसान जो खेती करता है उसके मरने के बाद उसकी जायदाद की विरासत किसे हो, से सम्बन्धित है। परसनल ला बना कर इसे अलग से लागू कर दिया जाय, यह आपकी मंशा है। मैं कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 44 का अनुसरण आप कर लें। संविधान निर्माताओं ने 1950 में जब संविधान बनाया था, उसमें कहा गया था कि भारतवर्ष के नागरिकों के लिये एक समान कोड होगा। इसका प्रयास राज्य करेगा और यह कार्य राज्य की ड्यूटी में है। सन 1952 में जब जमींदारी एबोलिशन पास किया गया था तो उस समय इस बात का ध्यान रखा गया था। उसके बारे में जो टेनेन्सी ला हमारा था उसके तहत दो व्यवस्थायें थीं। जो जमींदारों से सम्बन्धित था जैसे सीर, खुदकाश्त या बाग या उनकी प्रोप्राइटी, उसकी विरासत परसनल ला के हिसाब से हिन्दू का है तो हिन्दू को और मुसलमान का मुसलमान को होता था। लेकिन जो काश्तकार की जमीन थी उस पर कार्यवाही उसी टेनेन्सी ला में दिये हुये उपबन्धों के अनुसार होती थी। जब जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट बना तो उसके 171, 172, 174, 175 अनुच्छेदों में व्यवस्था की गयी कि चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो या किसी जाति का हो जो खेती करता है उसके लिए लैंड की परिभाषा कर दी गयी है जिसमें बाग है या खेती होती है या पशुपालन करता है जिसमें मुर्गी और सुअर पालन भी है सब की व्यवस्था कर दी गयी है और यह संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत आता है इसमें कहीं अनुच्छेद 25 का अतिक्रमण नहीं हुआ है। लैण्ड के अलावा भी जमीन बचती है जिसमें आप नारी की बात कहते हैं कि हम बड़े समर्थक हैं और कहते हैं कि उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है लेकिन आपके यहां दो नारी के बराबर एक पुरुष मानते हैं। तो आपका ला मान लिया जाय तो गवाही में आपका कानून कहता है कि दो नारी बराबर एक गवाह और एक पुरुष एक गवाह। तो दो नारियों को एक पुरुष के बराबर माना है। तो आपके यहां नारी को 50 परसेन्ट माना गया है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है।

आप चार नारी रख सकते हैं लेकिन एक नारी दो पुरुष नहीं रख सकती है। तो आप यह भी कानून ले आइये कि वह चार पुरुष रख ले। आप नारी के साथ अत्याचार करेंगे तो वह भी परसनल ला बनता है। हम कहते हैं कि नारी को अच्छी जगह दो तो आप कहते हैं कि इससे परसनल ला प्रभावित हो जाता है। हमने जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में हिन्दू मुसलमान या दूसरी जाति का जो किसान है सबको एक जगह दी है। उसमें हमने नारी के लिए व्यवस्था की है। मैं लैण्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। नारी के लिए लैण्ड के अलावा जो जायदाद बचती है जैसे आपके पास मकान है, शहरी भूमि है, या दूसरी जायदाद है, वह चल अचल सम्पत्ति है, चाहे दुकान हो या जेवर हो उसमें परसनल ला लागू होगा। हिन्दू के लिये हिन्दू और मुसलमान के लिए मुस्लिम ला लागू होगा। आप ही बताइये कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती के अलावा और कोई कारोबार न हो। कोई न कोई कारोबार है उस पर परसनल ला लागू होता है। लेकिन अगर खेती में लड़की को हिस्सा दे देंगे और वह लखनऊ की रहने वाली है और कलकत्ता चली जाती है तो वह अपना हिस्सा भाई को न देकर किसी दूसरे को बेच देती है तो खेती टुकड़े-टुकड़े में बट जायेगी और इससे समस्या खड़ी हो जायेगी। लेकिन उसमें भी उसका ध्यान रखा गया है। अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो बाप के मरने के बाद उसका हक है। अगर आपकी बात मान ली जाय तो कल को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कहेंगे वैसे मैंने आपकी शरियत तो पढ़ी नहीं है थोड़ा बहुत कानून में जो पढ़ा है या जो कुछ आपसे सुना है उसमें आप क्रिमिनल ला में भी परिवर्तन करने के लिए कहेंगे क्योंकि उसमें अपराधी को पत्थर से मार कर जान लेने की बात है। वह प्रथा हिन्दुस्तान में पत्थर से मार-मार कर जंगली कानून लाने के लिये कह सकते हैं।

यह 14 सौ वर्षों का पुराना कानून है लेकिन वह उसमें तरमीम नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे कि बदलती हुई परिस्थितियों में तय किया कि भारत का नागरिक अपना धर्म मानने के लिए, प्रचार करने के लिये, अपने धर्म के हिसाब से करे। लेकिन हम सब एक हैं, सिविल ला के अनुसार हम सब किसान एक हैं, एक ही कानून बना और 1952 से आज तक उसी के तहत चल रहे हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि श्री बारी साहब ने निश्चित रूप से संकीर्ण विचार से इस बिल को रखा है, इतने छोटेपन की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है, इसलिए ऐसे बिल को पक्ष या विपक्ष निश्चित रूप से सिर्फ घोर विरोध करे जिससे दुबारा इनकी हिम्मत न पड़े कि ऐसा कोई बिल यहां लायें जससे समाज में आपस में दुराव हो। मैं चाहूंगा भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि इस विचार को वह अपने दिमाग से निकाले। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री फजलुल बारी जी ने जो अपनी मानसिकता के अनुरूप यहां पर एक विधेयक प्रस्तुत किया है उनकी जेहनियत क्या है, यह इस बात का द्योतक है। मुझे बहुत अधिक इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं होती कि इस विषय पर माननीय सदस्य श्री पान्डे जी, श्री लाल प्रताप सिंह, और श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही साफगोई के साथ बात स्पष्ट की है और खुलासा किया है। हो सकता है श्री बारी साहब को ऐसा लगे और मैं समझता हूं कि उन्हें इस पर आत्म विश्लेषण करना चाहिये और यदि इनकी कला की जानकारी उन्हें इस सदन में बैठने के पश्चात् ज्ञान मिला हो तो आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि विधान सभा में एक भी माननीय सदस्य आपकी इस मानसिकता से क्या सहमत है? नहीं है।

मान्यवर, जिन बातों का उल्लेख श्री बारी जी ने किया है वह कोई भी आपके विचारों से अवगत होगा, चाहे वह गांव में रह रहा हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, श्री बारी जी के सम्बन्ध में एक ही धारणा बनायेगा कि वह बहुत ही संकीर्णता की पराकाष्ठा को लांघ गये हैं, इसीलिये श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र जी ने ठीक कहा है कि जब किसानों को, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई को भी धर्म के हिसाब से परिभाषित करेंगे तो यह बहुत अनुचित होगा ...। इसलिये मैं खासतौर से यह दरख्वास्त करूंगा कि आपने जिन बातों का उल्लेख किया है उन पर पुनर्विचार कीजिये और धर्म के आधार पर किसानों को बांटने की कोशिश उचित नहीं है और खुदा के वास्ते यह बात आप अपने मन में न लायें, यह विचार भी आपके मन में नहीं आना चाहिए क्योंकि आप समाज के एक वर्ग या एक धर्म के मानने वालों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं आप पूरे प्रदेश के समाज का नेतृत्व कर रहे हैं।

आपकी इस मानसिकता का प्रचार जब गली गांव में पहुंचेगा और आपकी संकीर्णता से जुड़े हुये लोगों तक आपका विचार पहुंचेगा तो उससे आपका राजनीति के प्रभाव नहीं बढ़ेगा और मुझे तो खतरा है कि यदि आप एक या दो ऐसे बिल उत्तर प्रदेश विधान सभा में लाये तो आपके दर्शनों से उत्तर प्रदेश विधान सभा में हम वंचित हो जायेंगे। इसलिये आप गंभीरता से सोचिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा आपको सद्बुद्धि दे आप आत्मविश्लेषण कीजिये, धर्म के नाम पर किसानों को बांटना अनुचित है। जमींदारी विनाश अधिनियम में न्यायगमन के जो प्राविधान हैं जिनके बारे

में 169 से 175 में कहा गया है आज तक किसी न्यायालय द्वारा उस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की गयी है । अगर किसी प्रकार की कठिनाई पैदा हुयी होती तो कोर्ट जरूर उस पर विचार करते । पिछले 36 सालों से यह सफलतापूर्वक चल रहा है और मुसलमान धर्म के किसानों को कभी कोई असुविधा या भेदभाव होने के दृष्टांत अब तक संज्ञान में नहीं आये हैं । मैं इतना ही कहूंगा कि आपके जो विचार हैं यह संकीर्णता की पराकाष्ठा है । खुदा के वास्ते इस संकीर्णता की पराकाष्ठा के ऊपर उठिये । पूरे समाज में आप रह रहे हैं । आप समाज का एक अंग हैं उस हिसाब से आप चिंतन कीजिये ।

एक सदस्य--

खुदा की जगह भगवान कहिये ।

श्री गौरी शंकर--

ईश्वर, अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान । ईश्वर या अल्ला में कोई फर्क नहीं है । यह जो प्राविधान हैं इनके चलते अभी तक कोई असुविधा नहीं हुई । समय की कसौटी पर यह प्राविधान खरे उतरे हैं । इसलिये इन प्राविधानों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अगर एक धर्म के पर्सनल ला में न्यायगमन या उत्तराधिकार या सक्सेशन के लिए परिवर्तन करने के सम्बन्ध में फजलुलबारी साहब की बात मान लें और सुविधा दे दी जाय तो अन्य धर्मों या समुदाय के लोग इसकी मांग करेंगे और पूरी प्रणाली छिन्न-भिन्न हो जायेगी । ऐसी स्थिति में यह विचार ही अनुचित है । इस विचार से ज्यादा से ज्यादा मुखालिफत और विरोध होना चाहिये । यहां पर बहुत सारे प्रबुद्ध लोग बैठते हैं और इतने प्रबुद्ध लोगों का साथ बारी साहब करते हैं तो मैं ऐसा मानता था कि उनको थोड़ी बहुत अक्ल आ गयी होगी और उसमें यदि उनकी समझ में आ जाये कि न्यायगमन में, वसीयत में उसका प्राविधान रखा गया है, जिसका लाभ उठा कर वह अपनी पुत्रियों को लाभ दे सकते हैं, इसलिए लाभ दिया गया है ।

वह मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तो वह लड़कियों और महिला सम्बन्धियों को उसका लाभ दे सकते हैं । उस अधिकार से उनको कोई वंचित नहीं कर सकता है । किसानों के लिए और किसानों के बीच में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वातावरण में धार्मिक बात लाना या अन्य किसी ऐसे आधार पर उसमें संशोधन करना किसी भी रूप में औचित्यपूर्ण नहीं है । ऐसे काम से किसानों को असुविधा होगी और उससे उनमें और पूरे समाज में बाद में खराबियां व्याप्त होंगी । इसके साथ ऐसा प्राविधान करने से उत्तराधिकार की जो प्रक्रिया है वह और बोझिल हो जायेगी तथा अन्य बहुत सारी दुरूहतायें और जटिलतायें पैदा हो जायेंगी । जिन चीजों का हवाला आपने दिया, यह बातें हमारे संज्ञान में हैं, यहां लाना नहीं चाहता हूं, उत्तर प्रदेश शासन में जो रेवेन्यू कोर्ट है, उसकी स्थापना हो रही है और उस पर चिंतन हो रहा है, इसमें जो कुछ आपने कहा, उन सबका भी उसमें निदान हो जायेगा । ऐसी स्थिति में यह उचित समझता हूं कि बारी साहब स्वयं अपना विश्लेषण करें और उन्होंने जो गलती की है, जो बहुत बड़ा ब्लन्डर किया है, उसका सुधार करें और उसका प्रायश्चित करें यह कह करके कि वह इसे वापस लें क्योंकि किसी परिस्थिति में किसी सदस्य द्वारा इसका समर्थन नहीं हो सकता है ।

यह समाज के लिए हानिकारक है और स्वस्थ समाज की संरचना के लिए घातक है । इसलिए अन्त में मैं सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करते हुए बारी साहब को यह सद्बुद्धि दें, ऐसी उससे प्रार्थना करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसे वापस ले लें और जैसी व्यवस्था चल रही है बहुत अच्छी

चल रही है, वह उसको चलने दें और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर चलें। उससे अलग हटकर चलने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, और तभी हम कह सकते हैं कि हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं और देश और प्रदेश की सच्चे रूप में रक्षा करने वाले हैं। "गायन्ति देवाः किलगीतिकानि धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, भवन्तु भूयः पुरुषाः सुरत्वात", के कथनानुसार जिस देश की धरती पर देवतागण भी आने के लिए तरसते रहे, चिन्तन करते रहे और इस धरती पर पैदा हुए तो गौरव महसूस करते रहे और देश पर मर मिटने के लिए सदा उद्यत रहे। आप भी इसी भावना से चलें, क्योंकि संकीर्णता से कुछ काम चलने वाला नहीं है। यह किसी परिस्थिति में स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसका सभी सदस्यगण विरोध कर चुके हैं, बारी साहब स्वयं इसको वापस ले लें, तो उनका प्रायश्चित हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि वह शायद इस पर विचार करेंगे।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, मैं तो समझ रहा था कि मंत्री जी पढ़े-लिखे आदमी हैं, एडवोकेट लिखते हैं, तो वह इस पर कोई तर्कसंगत बात और लाजिक की बात कहेंगे, किन्तु उनके तहजीब के दायरे में जितनी गालियां हो सकती थीं, वह सब उन्होंने इसके जवाब में दे डालीं। अतः यह बात मेरे लिए बहुत अफशोसनाक है और उनका यह रवैया पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के भी खिलाफ है। किसी हालत में वह उसके अनुकूल नहीं है। उस तरफ बैठे हुए जितने लोग खड़े हुए, एक तो वह हिम्मत नहीं कर पाये। हमारे बहुत से मोअज्जिज दोस्त जिन्होंने कहा था हमसे कि हम पार्टी बन्धन तोड़कर इस पर बोलेंगे, वह भी हिम्मत नहीं कर पाये और अम्मार रिजवी साहब जो राजस्व मंत्री हैं, वह भाग गये सदन से... ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

चूंकि मेरा माननीय सदस्य फजलुल बारी साहब ने नाम लिया.... ।

श्री फजलुल बारी--

पहले लिया था, अब नहीं लिया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

पहले लिया या बाद में लिया पर चूंकि इस मामले में उन्होंने मेरा नाम लिया है, मुझे प्वाइन्ट आफ आर्डर पर अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाए।

श्री फजलुल बारी--

नाम तो लिया लेकिन जो वह खड़े नहीं हुए, वह बोलते....

(व्यवधान)

अब मैंने उनका नाम नहीं लिया।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय बारी साहब ने तो माननीय जाहिदी साहब का नाम लिया नहीं, यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका की बात हो गयी।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

इस समय तो मेरा नाम नहीं लिया गया, लेकिन इससे पहले मेरा नाम लिया था, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए। अगर इन्होंने जाती तौर पर मेरा नाम नहीं लिया है और सिर्फ यह कहा है कि कुछ मुस्लिम मेम्बरान ने मुससे वादा किया था कि वह पार्टी लाइन तोड़ कर मेरी हिमायत करेंगे, तो चूंकि मैंने ऐसा वादा नहीं किया है, इसलिए मैं कोई स्पष्टीकरण देना नहीं चाहता हूं और मैं बैठ जाता हूं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैंने पहले उनका नाम लिया था, उनको बोलना चाहिए था, वायदे के मुताबिक उन्हें मुझको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वह गालियों से घबड़ा गये, यदि कोई अच्छा काम करता है, तो उसमें गालियां और पत्थर से नहीं घबराना चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, आप अगर किसी का नाम लेते हैं, तब तो वह बोलने का अधिकार पा जाते हैं। फजलुल बारी साहब की तरफ से इनका नाम लिया गया था, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

श्री फजलुल बारी--

आरोप लगाया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

तब तो मुझे स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। मैं हिन्दुस्तान के यह तमाम मसायल, जिनसे तमाम हिन्दुस्तानियों को सामना करना पड़ रहा है, उनको हिन्दुस्तानी की नजर से ही देखता हूं और उसके लिए मैं कंस्टीट्युशन आफ इंडिया में अपनी सियासी तौर पर मान्यता देता हूं। अधिष्ठाता महोदय मेरा कहना यह है कि जमींदारी ऐक्ट सब पर लागू है, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सब पर लागू है और किसानी एक पेशा है, किसान, किसान है और बाकी बाद में कुछ और है, उससे मुताल्लिक जो कानून है, उसकी मंशा यह थी कि जो किसानों के पास खेत हैं, वे छोटे न होने पायें, शायद इस इस उद्देश्य को सामने रख कर यह कानून भी बनाया गया और मुसलमानों को साथ में यह हक भी दे दिया गया कि अगर वह वसीयत करना चाहें, तो वे अपनी सारी चीज की वसीयत कर सकते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा है नहीं, इसलिए इसमें कोई ऐक्ट लाकर अलग से सोसा जोड़ कर अमेंडमेंट लाकर किसानों की एकता जो इस मुल्क की एकता की सबसे बड़ी कड़ी है, उसको नुकसान न पहुंचाया जाय। अगर मुस्लिम परसनल ला या हमारी शरियत के बारे में कोई मामला है, तो हम उसे अपने तौर पर इसे असेम्बली से बाहर बहैसियत मुस्लिम अपने समाजी जिन्दगी में तय करेंगे, मैं उसे कानून की शक्ल में क्यों लाऊं, वह मेरा अपना परसनल मामला है, उसको परसनल रूप से तय करूंगा। दो चीज अलग-अलग हैं, एक हिन्दुस्तान बहैसियत हिन्दुस्तान, जहां कांस्टीट्यूशन है....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं ?

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मैं भाषण नहीं दे रहा हूं । मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि बहैसियत हिन्दुस्तान जहां कंस्टीट्यूशन है, वह कंस्टीट्यूशन जो सेकुलर कंस्टीट्यूशन है, जिसकी हम यहां पर शपथ लेते हैं, जिसके अन्तर्गत हम यहां पर अपनी कार्यवाही करते हैं, यहां हम डिमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वुटी के आधार पर बात करते हैं, यहां किसी धर्म के आधार पर बात नहीं करते हैं, यहां हम सबको खाने की व्यवस्था की बात करते हैं । यहां पर हम सबकी सुविधा की बात करते हैं । यह चीज हम जरूर करते हैं कि जो समाजी तौर पर या माआसी तौर पर कमजोर हैं, उसकी मदद की बात करते हैं । यही सोशलिज्म का नारा है । लेकिन जहां तक हमारे मजहबी कानून का मामला है जो परसनल ला है, उससे हमको कोई नहीं रोक सकता । उसके साथ-साथ मुल्क की तरक्की वहां होगी । इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी--

यह देखा कि कोई बहुत अच्छे किस्म का हिन्दुस्तानी भी मौजूद है । मान्यवर, जो बात कही गयी है, जहां तक हमारे लाल प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है उनको मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने फासिज्म का तस्किरा किया । फासिस्म उनकी डिक्सनरी का लब्ज होगा । वह कौन सी बात कहते हैं, यह मैं नहीं समझ पाया । लेकिन उन्होंने 2-3 बार फासिज्म-फासिज्म कहा । मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या औरतों को जायदाद में हिस्सा देंगे ? क्या यही फासिज्म है और तरक्की पसन्दी यही है कि औरतों को जायदाद से महरूम करके उनको सड़क पर लाकर नंगा, बेसहारा खड़ा कर दिया जाय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अभी फजलुल बारी साहब ने एक बिल रखा है । इस पर सत्तापक्ष के लोग संगठित होकर प्रहार कर रहे हैं । उनके जवाब देने से पहले हम लोग अपने विचार रखना चाहते हैं । आप आज्ञा दें हम विचार रखें । वे बैठ जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय नहीं है ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, ऐसा है कि इनको समय मिल सकता है वह ऐसे मिल सकता है कि जैसे माननीय जाहिदी साहब को मौका मिला है । कानून तो एक ही चलेगा, अगर दफा सरपट चल रही है तो सबके लिए है जैसे जाहिदी साहब बोले हैं वैसे यह भी बोलें इसलिए मैं राम गोविन्द चौधरी साहब के ऊपर भी आरोप लगाता हूं कि उनको मेरे बिल पर जिस वक्त मैं बोल रहा था, उनको मौजूद रहकर सुनना चाहिए था । उन्होंने नहीं सुना तो कम से कम जानबूझकर उन्होंने गलती की है, ये उसका स्पष्टीकरण दें, बतावें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, स्पष्टीकरण करने का अवसर दीजिए इन्होंने आरोप लगाया है ।

श्री अधिष्ठाता—

जो प्रस्ताव इन्होंने रखा है, मैं उसको समाप्त कर रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं 2–3 बातें निवेदन करना चाहता हूं इसलिए कि इन्होंने आरोप लगा दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं उनसे पूंछ लेता हूं कि बिल को वापस लेते हैं या नहीं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इनसे जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं है । इसे आप वापस ले रहे हैं या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आप बात सुन लें । वह सवाल आप कैसे कर सकते हैं । यह जो इन लोगों ने कहा है । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो कहा, उनकी जो बातें हैं, मुझे उनका जवाब देना है ।

श्री गौरी शंकर—

यह फिर कहेंगे तो हम फिर जवाब देंगे ।

श्री फजलुल बारी—

हम नियम के मुताबिक चल रहे हैं । हम गाली नहीं देंगे । जिस भाषा में चाहें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे । कानून के मुताल्लिक बोलने का हमको हक है । उसमें आपको टोकने का हक नहीं है । लाल प्रताप सिंह जी की फण्डामेन्टलीज के बारे में मैंने एक बात कही, उसके बाद माता प्रसाद पाण्डेय जी, लाल प्रताप सिंह जी ने अरब कन्टरीज का हवाला दिया और फरमाया कि वहां पर खेत नहीं होते हैं । मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पूरा जुगराफिया पढ़ा है । अगर नहीं पढ़ा है तो अपने शब्द वापस ले लें । वहां पर खेती होती है, खेती में बाग भी शामिल हैं । खजूर और अंगूर के बाग और गेहूं के खेत ये सारे के सारे वहां पर हैं । वह यह समझते हैं कि रेगिस्तान का मतलब है रेत और दौलत का मतलब है पेट्रौल निकालना । यह इतना ही समझते हैं चूंकि बोफोर्स वाली डीलिंग के चक्कर में स्विस बैंक में पैट्रो डालर समझ पा रहे हैं । मेरी बात बिलकुल पिन प्वाइन्टेड थी और इस देश में माइनारिटीज अगर कहती है तो उनको अपनी शरियत के कानून के मुताबिक अमल करने का संविधान अख्तियार देता है । उन्होंने आर्टिकिल 44 का हवाला दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या औरतों को जो हक मिल रहा है उसके लिये ही आर्टिकिल 44 लागू था । शराब के लिये आर्टिकिल 47 मौजूद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, रेहनुमा उसूल है । यह बताया गया कि स्टेट की तरक्की के लिये यह करना चाहिये, तो आर्टिकल 47 का जो एमेंडमेंट हुआ है,

स्टेट की जिम्मेदारी है कि वह शराब बंदी करेगी, तो उस पर आपने गांधी जी की बात भी नहीं मानी, उनका जो वायदा था, वह भी आपने नहीं माना। इस शराब के जरिये पूरे देश को गर्त में डाल दिया, समाज को बरबाद कर दिया, इस देश को बरबादी के कगार पर खड़ा कर दिया आर्टिकल 44 में जो एमेंडमेंट हुआ, वह जब बन रहा था, तो उस वक्त की पूरी बहस मेरे पास मौजूद है, अगर उस पर कहूंगा, तो बात लम्बी हो जायेगी। अगर मुस्लिम समुदाय, माइनारिटी का वह समुदाय वह अपनी स्वेच्छा से अपने कानून में तब्दीली लाना चाहेंगे, तो वह तब्दीली मान्य होगी। यहां पर सामने बैठे माननीय अफसर यू0 अहमद बस्ती के टुपुर-टुपुर बोल रहे हैं, उनको यह खतरा हो गया है कि अगर कहीं यह बिल जो बारी साहब लाये हैं, इस वक्त मान लिया गया।

श्री अफसर यू0 अहमद--

मान्यवर, मेरा नाम आया है, इसलिये एक बात कह दूं।

माननीय बारी साहब, आपने जो बिल वहां पर पेश किया है, कतई गैर इस्लामी इस्लामी शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि वह किसी का सहारा ले। मुस्लिम ला के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं। आप औरतों को शादी के बाद तलाक देकर भगा देते हैं, जिस वक्त सरकार ने यहां पर चाहा था कि उनके खर्चे का इन्तजाम कराया जाय तो आपने मुस्लिम ला को बीच में लाकर खड़ा कर दिया कि मुस्लिम ला इसकी इजाजत नहीं देता। आप लोगों ने कहा कि सरकार का इन्टरफियरेंस इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों ने पूरे हिन्दुस्तान में इस बात को लेकर हल्ला मचाया कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप यहां पर आकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं। आपने जो दाढ़ी रखी हुई है, उसकी मैं कद्र करता हूं लेकिन इसके मायने यह नहीं है कि आप मुसलमानों के वफादार हैं, उनके ठेकेदार बने।

(मेजों की थपथपाहट)

आपको अलीफ से लेकर ये तक भी नहीं मालूम नहीं है। इस्लाम का जो ला है, उसको इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी जो उसके मानने वाले हैं उन पर है। राज्य का दायित्व नहीं है कि उसका इम्पलीमेंट वह ताकत से कराये। अगर आप अपने ला को नहीं मानते हैं, अपनी औरतों को पूरा हक नहीं देते हैं, तो आप हरामखोरी करते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप शराब पीते हो। जो मुस्लिम ला है, उसकी जिम्मेदारी शरीयत के मानने वालों की है, मुस्लिम पर्सनल ला के मानने वालों की है, वह अपने ला के मुताबिक चलते हैं, उसे कमजोर नहीं बनाना चाहते हैं, सरकार के सामने भीख नहीं मांगेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अफसर यू0 अहमद अब आप अपना आसन ग्रहण करें, समाप्त करें।

श्री अफसर यू0 अहमद--

मान्यवर, बस एक मिनट समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मैं इस पर आपका विशेष संरक्षण चाहूंगा, यह मुस्लिम ला का मामला है, जो हिन्दू भाई इस ला को

नहीं जानते हैं, उन्हें यह गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसलिये स्पष्टीकरण जरूरी है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह पहले से सदन में मौजूद थे, पहले क्यों नहीं बोले ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अफसर यू0 अहमद आप अपना आसन ग्रहण करें, समाप्त करें।

श्री अफसर यू0 अहमद--

मान्यवर, मैं यहां पर इसलिये खड़ा हुआ हूं कि यह जो सदन को गुमराह कर रहे हैं उस पर सही बात रखूं। मुस्लिम ला को गलत तरीके से यह पेश कर रहे हैं, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, हिन्दू भाइयों के जेहन को मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रति खराब कर रहे हैं, जो कि मैं इन्हें करने नहीं दूंगा। मान्यवर, इस्लाम इस तरह की रियायतों की कोई भीख नहीं मांगता है। आपकी नमाज 5 वक्त पढ़ने की जिम्मेदारी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिये आपको मजबूर नहीं करेगी कानून बनाकर।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री अफसर यू0 अहमद--

आपकी जिस तरह से 5 वक्त नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह से अपनी बीबी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, जायदाद में हक देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई स्क्रू खराब हो गया हो तो चलिये आपको सी0 एम0 ओ0 के पास ले चल कर उसे ठीक करा दूं। आप इस्लाम के नाम पर सदन को गुमराह करना चाहते हैं। जिस तरह से 5 वक्त नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, उसी तरह से अपने परिवार की औरतों को हक देने की जिम्मेदारी आपकी आती है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, माननीय अफसर यू0 अहमद साहब, यह बेचारे हमारे अलीगढ़ के जूनियर भी हैं और जरा मैं इनका बड़ा ख्याल रखता हूं। कुछ यह बढ़े गुस्से में आ गये। वह यह भूल गये कि यह बिल हक मांगने के लिये नहीं लाये हैं, यह बिल इसलिये लाये हैं कि यह बता दें आपने नाजायज तरीके पर इसी सदन के अन्दर एक बिल को ऐक्ट की शक्ल देकर मुस्लिमों को उनके शरीयत कानून के अमल करने से रोका; औरतों को जायदाद में हिस्से से महरूम किया है। आपको इस सदन में ऐसा कानून नहीं पेश करना चाहिये था, एक मकसूद तबके को जो सोशल जस्टिस के एतबार से पिछड़ा है, उसको हेम्पर करने वाला कानून वहीं लाना चाहिये था। इसलिये लाया हूं। मगर जब वह जजबात में आ गये तो उन्होंने वसीयत की बात कही।

श्री अधिष्ठाता--

बारी साहब, समय का भी ध्यान रखिये।

श्री फजलुल बारी --

जब हमने इतनी गाली खाई है, तो मेरे साथ कुछ तो रियायत करिये । जब मैं जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं तो आप बैठने के लिये कह रहे हैं । मेरे बोलने पर आपको तकलीफ हो रही है । आपने कहा कि वसीयत कर देनी चाहिये । मैं पूछता हूं कि मान लीजिये कोई आदमी वसीयत करने ही चला, एक लाजिक है कि हमारे मरने के बाद हमारी जायदाद को हमारी बेवा और लड़कियों में और लड़कों में बांटा जाये लेकिन पता चला कि इस बीच में वह तेज रफ्तार सवारी के जमाने में एक ट्रक के नीचे आ गया और मर गया और वसीयत होने भी नहीं पायी । बाद में पता चला कि उसकी फाकाजदा बेवा सड़क पर भीख मांग रही है । वसीयत की बात अक्ल से की जाती है । होना तो यह चाहिये कि और कानून इस तरह का होना चाहिये कि वसीयत चाहे की गयी हो या न की गयी हो, इससे मतलब नहीं है, किसी के मरने के बाद या आदमी का इन्तकाल होने के बाद कागजात में खुदबखुद बेवा और लड़कियों का नाम इन्द्राज हो जाये, जिससे औरत और बेबस लड़की को अदालत का चक्कर न काटना पड़े । हम इसलिये इस बिल को यहां लाये हैं । अगर वह इस बात को नापसन्द करते हैं तो वह यह ऐलान करें कि हम मुसलमानों को उनके शराई कानून पर नहीं चलने देंगे । जहां तक दो तरह के कानून की बात है ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्ता--

मान्यवर, यह बारी साहब राजनीति में धर्म को घुसेड़कर सम्प्रदायवाद पैदा कर रहे हैं, इसको रोका जाये ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

इसमें कम्यूनिजम की कोई बात ही नहीं है ।

श्री फजलुल बारी --

असल में मान्यवर, यह लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं । यह मन्त्री जी कह रहे थे कि भगवान हमको अक्ल दे, सद्बुद्धि दे । मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दें, जिससे यह हमारी बात तो समझें । जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि शहरों में तो लागू होता है, यहां तो हिन्दू कोड बिल भी लागू है । तो ऐसा क्यों है, क्या यह संकीर्णता नहीं है । गांव के अन्दर शहर की बिल्डिंग का कुछ दाम होता है, लेकिन गांव के मकान का कुछ भी दाम नहीं मिल सकता है, इसलिये वहां पर लैन्डेड प्रापर्टी है । इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि औरतों को हक से महफूज रखने का काम किया गया है और प्रदेश के जो 80 प्रतिशत लोग हैं, वहां के गरीब किसानों की औरतों, बेवाओं और लड़कियों को इज्जत और हिफाजत का इन्तजाम होना चाहिये । इस सब के वास्ते मैं इस बिल को यहां पर लाया हूं । मैंने यह महसूस किया है कि मर्दों ने औरतों के साथ बड़ा अन्याय किया है और आज 36 साल तक कोई नहीं बोला तो इसका तो यह मतलब नहीं है कि हमेशा-हमेशा के लिये खामोश रहा जायेगा । गलत बात के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिये । हमें अपनी शरीयत पर चलने का अख्तियार है । आपने कानून बनाकर उससे हमको महरूम कर दिया है । हमारी औरतों को न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं । किसी ने कहा कि कुरान 1400 साल पुराना हो गया है । किसी ने यह कहा कि सबके लिए एक कानून बनना चाहिए । श्री माता प्रसाद जी ने कहा कि अगर इसमें से मुसलमान अल्फाज को अलग कर दिया जाय तो इसे सब के लिये लागू कर

दिया जाना चाहिये । चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, उन सबको जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिये । माननीय श्री माता प्रसाद जी आप ऐसा बिल ले आना, हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि वह भी पास नहीं होगा । पूरे समाज ने औरतों को गुलाम बना रखा है । जब इस्लाम ने औरतों को गुलामी से मुक्त कराया तो 1952 में एक कानून बना दिया गया और उसे अपने हक से महरूम कर दिया गया । मैं आज आप लोगों के अन्तःकरण की आवाज से कहना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें चिन्तन करें । जिस अहम् चीज को मैं यहां लेकर आया हूं, उस पर आप लोग गौर करें । माननीय मंत्री जी आप इसे एडाप्ट कर लें, इसे सरकारी बिल बना लें, आप इसे अपनी तरफ से पेश कर लें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है । आपको माइनारिटीज के जज्बातों का ध्यान रखना पड़ेगा । एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज तक कोई नहीं बोला, केवल श्री बारी जी ने ही अकेले ठेका ले रखा है । औरतों का अगर इस तरह से कोई आरगनाईजेशन होता तो आज वह सड़कों पर निकल कर माइनारिटीज के फोरम में यह कहती कि उनके इस हक को दिलवा दिया जाय । मर्दों ने हमेशा औरतों का शोषण किया है ।

श्री रघुराज उपाध्याय--

मान्यवर, श्री बारी साहब मेरे ही क्षेत्र के विधायक हैं । मुझे शिकायत मिली है कि वह खुद घर में ज्यादती करते हैं । घर से दवाई दिलवाने के लिये ले जाते हैं, किन्तु अस्पताल नहीं ले जाते हैं, मुझे लिखित शिकायती-पत्र मिला है, इसलिये मैं आपके माध्यम से इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

थोड़ी मदद आप ही उनकी कर दिया करें ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, उनका वाला काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बजाय अपनी घर वाली के दूसरों की घर वाली की दवा करवाऊं । एक बात कही गई कि दो औरतों का हक बराबर एक औरत के । इस पर बड़ा एतराज किया गया । मर्द और औरत के सिलसिले में कुछ तो फर्क है ही । एक फर्क को हम खेल के मैदान से शुरू करें । 100 मीटर की दौड़ में जो पुरुष का रिकार्ड है वह औरत का नहीं। दूसरे मैदानों में भी फर्क है । औरत घर के अन्दर रह कर बच्चों की परवरिश करती है और मर्द को सोसाइटी में रह कर औरत की देखभाल करनी पड़ती है । सोचिये, इस पर गौर कीजिये कि जो बात मैंने कही है । इसलिये औरत पर जो जिम्मेदारियां हैं, मर्द पर उससे कहीं ज्यादा बल्कि उससे दुगनी जिम्मेदारियां हैं । मर्द समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी निभाता है और अपने अख्तियारात को भी देखता है । यहां औरतों के तलाक की बात बार-बार कही गयी है । जब औरत को जायदाद से महरूम किया गया है तो इसी वजह से तलाक की बात ज्यादा बढ़ी है ।

आजकल डावरी के सिलसिले में तमाम औरतों के केसेज हो रहे हैं कि डावरी के कारण औरत जला दी गयी । यदि औरत जायदाद की वारिस हो तो वह मरेगी नहीं क्यों कि उसके रहने पर जायदाद कभी न कभी उसके शौहर के पास आयेगी । माननीय हरीश जी एक संकल्प लाये थे इसी सिलसिले में और माननीय लाल प्रताप सिंह ने कहा कि फजलुल बारी फिलासफी कहते हैं यहां अपनी बात को लाकर ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं दो शब्दों में स्पष्टीकरण देने के लिये क्योंकि अभी माननीय फजलुल बारी साहब ने मेरा नाम लिया और कुछ बातों का उल्लेख किया है ।

श्री अधिष्ठाता--

वह तो तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं ।

श्री हरिश चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मेरा जो संकल्प था उसके बारे में दो वाक्य कहना चाहता हूं कि बारी साहेब नाहक अनेकों को छेड़ कर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, वे अपनी बात कहते लेकिन वह दूसरों का नाम ले ले कर नाहक में उनको छेड़ रहे हैं । मेरा संकल्प बिल्कुल ऐसा नहीं था । मैंने जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 (क) में संशोधन दिया था कि पुरुष के जीवित न होने पर विधवा को अधिकार दिया जाय । मैंने विधवा को अधिकार देने की बात कही थी वह चाहे किसी भी जाति अथवा मजहब की हो मैं उसी दिन राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि रेवन्यू ऐक्ट में इसको सम्मिलित कर लिया जायेगा । मैं फजलुल बारी साहेब से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संकल्प को अपने विषय से न जोड़ने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बारी साहेब अब बात समाप्त हो गयी ।

श्री फजलुल बारी--

मैंने कहा था कि उन्होंने भी इसी सिलसिले में इस बात को कहा है अपने संकल्प के जरिये से कि औरतों का प्रापर्टी में अधिकार होना चाहिये । हमारे यहां तो यह प्राविजन पहले से ही मौजूद है तो क्यों नहीं हमारे पुराने अख्तियारात दिला दिये जावें ? ऐक्ट में तरमीम कर दें तो हमारे अख्तियारात हमको मिल जायें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

नहीं । जो कुछ हुआ है, पूरे सदन ने सुना है अब मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बारी साहेब, क्या इस विधेयक को वापस ले रहे हैं ?

श्री फजलुल बारी--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

तो अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह तो 'विचार' के लिये प्रस्तुत हो गया था और आपने फिर विचार के लिये प्रश्न उपस्थित कर दिया ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

विचार के लिये प्रश्न उपस्थित किया गया तभी तो गिर गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

नहीं जाहिदी साहेब, 'विचार' नहीं होना चाहिये बल्कि 'पारित' किया जाना चाहिये था, तभी तो गिरेगा ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

(बैठे ही बैठे) स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस पर विचार हो गया, अब तो पारित होने की बात थी, यह बात तो विचार में आ ही चुकी है, आपको अब केवल पारित करने की ही बात करनी चाहिए थी । मान्यवर, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह नियमों के विपरीत जा रहा है, इसे आप अभी ही देख लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

विचार के पहले ही यह गिर गया है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर प्रदेश की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 26 अप्रैल, 1988 की अपनी बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

1—दिनांक 27 अप्रैल एवं 2 मई, 1988 को नियम 51 और 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं ।

2—दिनांक 27 अप्रैल, 1988 से 2 मई, 1988 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखा जायं :

अप्रैल, 1988	
27 बुधवार	(1) असरकारी विधेयक ।
	(2) "अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन, 1979" पर एक घंटे की चर्चा ।
28 गुरुवार 29 शुक्रवार 30 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
मई, 1988	
1 रविवार	बैठक नहीं होगी ।

2 सोमवार

(1) लम्बित असरकारी संकल्प ।

(2) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के पूर्व-निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा ।

(3) श्री राम सजीवन, सदस्य, विधान सभा के पूर्व-निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा ।

(4) उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के प्रस्तावों पर चर्चा--आधा घंटा ।

(5) प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या पर एक घंटे की चर्चा ।

पर्यटन विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है, सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987†

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 14, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन् मैंने यह विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया है कि 1973 में हमारी इस विधान सभा ने उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था अधिनियम के तहत इस बात की व्यवस्था की थी कि जिससे ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं खोलने पर तथा प्रदेश में उन सभी में प्रवेश वर्जित कर दिये गये थे और इस विधेयक के जरिये से जो विधेयक उस समय पारित किया गया था, उसमें यह अपेक्षा की गयी थी कि भारत सरकार भी ऐसी दशा में अपने यहां अधिनियम ऐसे बनायेगी जिससे समूचे देश के अन्दर इस तरह की शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लग सके, यह व्यवस्था इसलिए की गयी थी कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की उनके स्तर में कोई गिरावट न आने पावे और सारे देश में एक ही स्तर पर यह संस्थाएं चल सकें । लेकिन मान्यवर, 1973 के बाद जबकि आज 15 वर्ष हो गये न तो भारत सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया और न

†यह विधेयक असरकारी है ।

ही प्रदेश सरकार ने आज तक इस विधेयक को निरस्त कर नई शिक्षण संस्थाएं खोलने की अनुमति दी ताकि हमारे प्रदेश के छात्र व छात्राओं को मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुभ अवसर मिल सके। श्रीमन् हमारे प्रदेश में देश की समूची आबादी का 1/5 हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही है तो इसी अनुपात में श्रीमन् डाक्टरों की भी आवश्यकता होती है।

आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अस्पताल खुलते हैं, लेकिन हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दसियों साल वहां पर डाक्टर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं क्योंकि उनकी कमी है। दूसरी ओर 1973 में विधेयक पारित किया गया था, लेकिन उसकी मंशा के अनुरूप भारत सरकार ने काम नहीं किया और इसी कारण दूसरे प्रदेशों में इस तरीके की शिक्षण संस्थायें चल रही हैं। हमारे यहां के विद्यार्थी जो सी0 पी0 एम0 टी0 में नहीं आ पाते हैं, वह दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहां पर कैपिटेशन फी एक-एक लाख और दो-दो लाख की देकर एडमीशन प्राप्त करते हैं और फिर वहां से डाक्टरी का प्रमाण-पत्र लेकर आते हैं और यहां पर सर्विस करते हैं या पेशा करते हैं। तो इस प्रकार से दो परेशानियां हो रही हैं, एक तो हमारे प्रान्त के नवजवानों और नवयुवतियों के सामने शिक्षा ग्रहण करने की समस्या है और उनको अवसर नहीं मिलता है, उनको तमाम तरह के प्रयास करने पड़ते हैं और दूसरे सूबों में उनको पैसा देना पड़ता है तब एडमिशन मिलता है, तो हमारे सूबे का पैसा दूसरे सूबों में जा रहा है और डाक्टरों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो जो यह विधेयक लाया गया है, उसके माध्यम से दो बातें मैं चाहता हूं। या तो स्वास्थ्य मंत्री जी प्रयास करें और उनके जरिये यह सरकार भी प्रयास करे और भारत सरकार पर दबाव डाले कि जिस उद्देश्य से हमारी सरकार ने 1973 में यह विधेयक पारित किया था, तो उसकी पूर्ति के लिये ऐसा कानून बनाने के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार की संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, ताकि जिस उद्देश्य से यह विधेयक बनाया गया था, उसकी पूर्ति हो सके और जो गिरता हुआ स्तर है, उसको बचाया जा सके और उसका सही रूप में कार्यान्वयन हो सके और अगर यह न हो सके तो हमारे प्रदेश में जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसको हटा लिया जाये।

अगर हमारे यहां पर कुछ लोग हैं, जो चाहे डोनेशन के जरिये या अपनी पूंजी के जरिये कोई विद्यालय चलाना चाहें तो वह चला सकें और इस तरह के विद्यालय चलाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये। अगर उनके स्तर में गिरावट नहीं आती है, तो मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा इस तरह के चिकित्सा महाविद्यालय को खोलने में कोई इतराज नहीं होना चाहिये। यह विधेयक इस उद्देश्य से लाया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के नवजवान हैं, अगर कोई चाहता है तो इस प्रकार का विद्यालय खोल सके और उनको फायदा पहुंचा सके। अगर कोई पूंजीपति या उद्योगपति इस प्रकार का विद्यालय खोलना चाहता है, तो उसको अनुमति प्रदान की जानी चाहिये, लेकिन शिक्षा के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिये और सरकार जो भी शर्त रखे रख सकती है और शिक्षण संस्थाओं के खोलने पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो मंशा इस विधेयक की है, उससे सारा सदन सहमत होगा। आज जिस तरह से डाक्टरी शिक्षा का अभाव है और जिस कारण लोगों को चिकित्सा प्राप्त करने के लिये दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है और तमाम पैसा कैपिटेशन फी के रूप में दूसरे प्रदेशों में चला जाता है....

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

इस कष्ट को दूर करने के लिये इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है।

मैं इन्हीं शब्दों से साथ, ज्यादा न कहकर इसी भावना से इस विधेयक को लाया हूं कि या तो सरकार इस पर चर्चा के जरिये इस तरह का कोई आश्वासन देगी कि भविष्य में वह एक निश्चित अवधि के अन्दर भारत सरकार पर दबाव डालेगी कि जो प्रक्रिया हमने सन् 73 में शुरू की है । भारत सरकार स्वयं को कानून पारित करके दूसरे प्रदेशों को भी इस तरह के महाविद्यालयों को चलाने में रोक लगाये और अगर नहीं रोकती तो हमारी सरकार इस 1973 के विधेयक को निरस्त करके इसके लिये महा-विद्यालयों को नये सिरे से चालू करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये अनुमति मिले । इसी उद्देश्य से यह बिल प्रस्तुत किया गया है ।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, सम्मानित तिवारी जी ने एक विधेयक उपस्थित किया है कि उत्तर प्रदेश में 1973 में जो बंदिश लगी थी कि कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं कर सकता, उसको समाप्त कर दिया जाय । दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत के अन्य प्रदेशों में ऐसी सस्थायें या मेडिकल कालेजेज स्थापित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उन्हें स्थापित किया जाय । तीसरी बात उन्होंने यह कही कि भारत सरकार या तो इसमें भी रोक लगावे अन्यथा उत्तर प्रदेश शासन इसे समाप्त करे । श्रीमन् उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कालेजेज हैं । 7 उत्तर प्रदेश शासन के हैं--लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी और गोरखपुर । दो भारत सरकार के हैं--अलीगढ़ और वाराणसी । लगभग 950 चिकित्सक उत्तर प्रदेश में हमारे इन मेडिकल कालेजेज से निकलते हैं । चिकित्सक न मिलना या यहां पर मेडिकल कालेजेज की कमी का कारण नहीं है । हमारे मेडिकल छात्र] कम हैं, इसलिये नहीं मिलते हैं । इसके बहुत से कारण हैं ।

सबसे प्रमुख कारण यह है कि चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस में अधिक आमदनी होती है बनिस्बत नौकरी के । अनइम्प्लायड ग्रेजुयेट प्रोग्राम के अन्तर्गत 1980-81 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मेडिकल ग्रेजुयेट डिग्री पर 2 लाख रुपये का ऋण देने का राष्ट्रीय बैंकों को आदेश दिया । आज अधिकांश मेडिकल छात्र एम0 बी0 बी0 एस0 समाप्त करके इन्टर्नशिप पूरी करके पोस्ट ग्रेजुयेट डिग्री लेने के उपरान्त दो-चार-पांच-छ-आठ का ग्रुप बनाते हैं और अपने आप उसमें हृदय विशेषज्ञ भी रख लेते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ, वाह्य रोग विशेषज्ञ, हड्डी जोड़-तोड़ विशेषज्ञ रख लेते हैं और जितने प्रकार से लोग अधिकांश बीमार होते हैं--एम0 एस0 और एम0 डी0 डिप्लोमा को रख लेते हैं और 15/20 लाख रुपये बैंक से ऋण लेकर वे अपना नर्सिंग होम चलाते हैं । मुख्यतया उनके न मिलने के यही कारण हैं । दूसरा कारण यह है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से वह भारत के बाहर चले जाते हैं ।

भारतवर्ष में लगभग 22 हजार एम0 बी0, बी0 एस0 छात्र प्रति वर्ष निकलते हैं । हमारे चिकित्सक मध्य पूर्व एशिया, सुदूर एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका देशों में जले जाते हैं क्योंकि वहां उनको वेतन सुविधायें अधिक मिलती हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि अब भारत सरकार ने नये मेडिकल कालेज खोलने पर पूरी पाबंदी लगा दी है । अब कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खुलेगा दूसरा कोई मेडिकल कालेज कैपिटेशन फीस नहीं लेगा, यह विधेयक पार्लियामेंट में प्रस्तुत है । तीसरा इंडियन मेडिकल काउंसिल को यह अधिकार दे दिया गया है जो इस समय पार्लियामेंट में विचाराधीन है वह देखेगी कि देश में कहीं मेडिकल कालेज की आवश्यकता है तो वह पूरी जानकारी कर स्वीकृति देगी । वर्तमान में मेडिकल काउंसिल का यही विचार है कि नये मेडिकल कालेज स्थापित करने की आवश्यकता

नहीं है । अगर कभी आवश्यकता होगी तो मेडिकल काउंसिल इजाजत देगी तो माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारने पर)

अभी एजेन्डा काफी बाकी है । आप संक्षेप में जो बातें नहीं कही गयी है कहें रिपीटीशन न करें । जल्दी अपनी बात कह दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह विधेयक अति साधारण सा है । सिर्फ इसकी मंशा इतनी है कि जो 1973 का विधेयक है उसे निरस्त कर दिया जाय । हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और इसकी अपनी अलग समस्यायें हैं जो नये मेडिकल कालेज खोलने पर रोक लगी है वह न लगे । अन्य प्रांतों में यह रोक नहीं है और यहां से हमारे विद्यार्थी लाखों रुपया खर्च कर बिहार, कर्नाटक में डोनेशन देकर शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको देखते हुये और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यह खोलेंगे । आज हमारे यहां चार हजार डाक्टरों की कमी है । इनके हिसाब से कुल 950 डाक्टर ही प्रति वर्ष हमारे यहां निकलेंगे । इस स्थिति में आवश्यकता की पूर्ति करना असंभव है । इसके अलावा आपकी अन्य योजनायें चल रही हैं और हर 20 हजार पर स्वास्थ्य केन्द्र होंगे । तो जिस हिसाब से अस्पताल खुलेंगे उसको देख कर और भी डाक्टरों की कमी होगी आज से चौगुना अस्पताल होंगे । 10 वर्ष के भीतर ऐसी स्थिति में नये मेडिकल कालेज नहीं खुलेंगे तो उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर कहां से आयेंगे । मेडिकल की पढ़ाई के लिये अपने प्रदेश का करोड़ रुपया अन्य प्रान्तों को जा रहा है । जिसका लाभ अपने प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है ।

हमारा प्रदेश जनसंख्या बहुल्य है और सरकार महसूस करती है कि उनके इलाज के लिये और अधिक डाक्टर चाहिये । तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि उत्तर प्रदेश में और मेडिकल कालेज खोले जायं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह केन्द्र सरकार को लिखें तथा ऐसे नियम जिससे उत्तर प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोलने की इजाजत दी जाय । हमारे देश में अनेक प्राइवेट मेडिकल कालेज बड़े अच्छे-अच्छे हैं । टाटा का मेडिकल इंस्टीट्यूट काफी प्रसिद्ध है जहां पर बड़े-बड़े रोगों का इलाज होता है और हमारे मेडिकल कालेज से मरीज वहां के लिये रिफर किये जाते हैं । इलाज के लिये लोग टाटा कालेज, जमशेदपुर जाते हैं । इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि वर्तमान व्यवस्था को सुधारने के लिये नये मेडिकल कालेज खोलने की इजाजत मिलनी चाहिये । मैं तिवारी जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं क्योंकि यह जनहित में है इसे स्वीकार करेंगे ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यदि उत्तर प्रदेश की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार मानी जाये तो 12 करोड़ होती है, तो 1,25,000 की आबादी पर एक विद्यार्थी को मेडिकल कालेज में प्रति वर्ष पढ़ने का अवसर मिलता है । जब अंग्रेजी हिन्दुस्तान में आया था तो उसने कहा था कि यह 5 साल का जो एम0 बी0 बी0 एस0 का कोर्स है उसे छोटा करके तीन साल का एल0 एस0 एम0 एफ0 का कोर्स चलाया जाये जिसमें डिग्री प्राप्त करने के बाद कुछ समय कार्य करके कंडेन्स कोर्स के तहत एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री प्राप्त की जा सकती थी जिसमें हाई स्कूल के बाद

ही प्रवेश मिलता था। लेकिन 1973 में यहां यह विधेयक आया, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में जितने प्राइवेट मेडिकल कालेज खुले सब उसके बाद खुले जैसे नालंदा और 6 महीने पहले कटिहार में भी एक प्राइवेट मेडिकल कालेज खुला है। इसलिये यदि कोई राष्ट्रीय नीति है तो उसके परिप्रेक्ष्य में प्रान्त की नीति बनानी चाहिये। एक तरफ कहते हैं कि डाक्टर मंहगे होते जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई अच्छा डाक्टर 20 रुपये से 50 रुपये तक डिस्पेंसरी में कंसल्टेशन फीस लेता है और घर जाने का 50 से 200 रुपये तक लेता है।

यदि गरीबी है तो आप यह सोचें कि यदि एक किलो भिंडी है और उसको खरीदने वाला एक व्यक्ति है तो 4 आने किलो बिकेगी और यदि उसको खरीदने वाले 100 व्यक्ति हैं तो 100 रुपये में भी सस्ती होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में डाक्टरी सेवायें मंहगी होती जा रही हैं और इसका कारण है 1973 में इस विधेयक को लाकर हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को डाक्टर बनने की अपारच्यूनिटी से विरत किया जबकि अन्य प्रान्तों में यह सुविधा उनको मिलती रही है। इन शब्दों के साथ में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी द्वारा जो विधेयक पारित होने के लिये प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हमारे डाक्टर हैं वह पर्याप्त नहीं हैं और इसमें उन्होंने अपनी मजबूरी भी जाहिर की और कहा कि यहां पर जो डाक्टर हैं वह बाहर के प्रदेशों और विदेशों में चले जाते हैं। श्री तिवारी जी का कहना है कि जब यूनिवर्सिटीज से एसोशिएटेड सैकड़ों कालेजेज को हम चला सकते हैं तो क्या मेडिकल कालेज जो हैं उनको हम विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार आप चले जायें तो वहां देखेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कलेजेज को विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे तरीके से मान्यता दे दी जाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां कई संस्थायें खुल गयी हैं जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथ।

हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथ इनके प्राइवेट मेडिकल कालेज खुल जाने से चिकित्सा सस्ती होगी इनमें पढ़ाई के लिये इंटरमीडिएट के बाद रखें तो डाक्टर तैयार जल्दी हो जायेंगे। इस प्रकार जो एलोपैथ वालों में धारणा फैल गयी है कि वह योग्य होते हैं तो कम से कम आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक और यूनानी जो आपकी भारतीय प्रद्धति है आपके इसमें जो डाक्टर तैयार होंगे गरीब देश में वह अच्छे होंगे। मान्यवर, दूसरे राज्यों में प्राइवेट मेडिकल कालेजेज खोलने की अनुमति दे दी गयी तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा क्षेत्र में इतना पिछड़ा है कि कभी मंत्री जी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं जैसे कि प्राइवेट प्रेक्टिस बंद नहीं हो सकती है, कभी कहते हैं कि बंद होनी चाहिये, कभी कहते हैं कि नकली दवाइयां बन गयी हैं जिनको चेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी अकेले यह काम नहीं कर सकते हैं तो सदन की कमेटी बना दें या जो मजबूरियां हैं उनको बतायें। इस प्रकार मैं समझता हूं कि चिकित्सा की सुविधा गांव-गांव में पहुंचनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज मुकदमा कोर्ट के लिये तहसीलों में दे रहे हैं, तो दूरदराज के लोग मेडिकल कालेज में आवें तो आप उनको सुविधा नहीं देवें। आप उनको वहां पर अच्छी सुविधा दें तो आप प्राइवेट मेडिकल कालेजेज के जरिये उसको सुदृढ़ करें और इनका विधेयक पास कर दीजिये और यदि उनकी आत्मा कहती है कि गरीब प्रदेश में जनता को चिकित्सा सुविधा मिले तो सर्वसम्मत से इसको पास कर दिया जाना चाहिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और समर्थन इसलिये कि प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से और केन्द्र सरकार के मानक के हिसाब से हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है, और हम आज वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह डाक्टर्स मेडिकल कालेजज से निकाल रहे हैं, डाक्टर पूरे नहीं कर सकते हैं। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात से हमारे डाक्टर नहीं निकल रहे हैं। आप मान्यता की शर्त अवश्य कठोर कर दें, किन्तु इसके लिये रास्ता अवश्य खोल दें जो इसकी मंशा है जिससे आपके मेडिकल कालेजेज के मुकाबले उनका स्तर कम न हो। इसके द्वारा आप अधिक से अधिक प्राइवेट मेडिकल कालेजेज खोलने की अनुमति दें तो आपके प्रदेश में डाक्टरों की संख्या बढ़ेगी। आपने सन् 1973 से प्राइवेट मेडिकल कालेजों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया, किन्तु क्या आपने इस पर प्रतिबन्ध लगाया जो दूसरे प्रदेशों से लोग 1-2 लाख रुपया खर्च करके डाक्टर की डिग्री लेकर आ जाते हैं। आपने इधर आयुर्वेद पर इस तरह का प्रतिबन्ध अवश्य लगाया है, किन्तु....

श्री लोकपति त्रिपाठी--

ऐसी बात नहीं है, अब सब पर है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जहां तक मैंने इंडियन मेडिकल मैनुवल का अध्ययन किया है, उसकी धारा 33 और 34 में स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी अस्पताल में डाक्टर नहीं होगा तो तीन दिन तक कम्पाउन्डर दवाएं देगा और यदि तीन दिन में डाक्टर लौटकर नहीं आयेगा तो वह उसे सात दिन चलायेगा और यदि सात दिन के बाद भी डाक्टर नहीं है तो वह अस्पताल बन्द कर दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि इन धाराओं को बदल दिया गया है या अब भी उनमें यही व्यवस्था है, किन्तु इतना अवश्य है कि आज आपके प्रदेश में सैकड़ों अस्पताल डाक्टर विहीन चल रहे हैं। मुझे पता नहीं फिर भी आप कैसे उन अस्पतालों को चला रहे हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि मान्यता की शर्तें तो आप कठोर रखिये, जिससे योग्य लड़के उसमें आ सकें और कुशल डाक्टर वहां से निकल सकें। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, मेरे क्षेत्र के भी बहुत से लड़के गये हुये हैं, उनके जाने में और उनकी व्यवस्था और पढ़ाई में उनका कई लाख रुपया खर्च होता है। वह अपने प्रदेश का अनाज और गन्ना बेचकर पैसा लेकर चले जाते हैं। हमारे प्रदेश का पैसा इस प्रकार से वहां चला जाता है, इसलिये उसपर आप रोक लगाइये और इसको आप स्वीकार करें और मेडिकल मैनुवल की धारा 33 व 34 के बारे में भी आप अपना जवाब देते समय बता दें कि इसमें परिवर्तन कर दिया गया है या फिर किस प्रकार से आपके अस्पताल चल रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं अधिक न कहकर केवल दो बातें कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले बंगाल के एक लेखक ने एक पुस्तक प्रकाशित की है-देश की प्रतिभाओं का पलायन, उनका

कहना था कि देश में जो प्रतिभा सम्पन्न बच्चे पैदा होते हैं, यहां उनको आवश्यक सुविधायें नहीं मिलती हैं कि वह आवश्यक सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ सकें, इसलिये हिन्दुस्तान से उच्च शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश जाते हैं और वहां जाकर वह वहीं रह जाते हैं, वहीं व्यवस्थित हो जाते हैं । हम इस देश के बच्चों को फलने-फूलने और बढ़ने-विकसित होने का अवसर नहीं दे पाये हैं, इसलिये वह विदेश चले जाते हैं ।

यह आवश्यकता है कि मान्यवर, ऐसे प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को पढ़ने की सम्पूर्ण परिस्थितियां प्रदान करें । कम से कम डाक्टरी, इंजीनियरिंग की सेवाओं में जो देश के प्रतिभा सम्पन्न बच्चे जाना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिये । आपने उन पर रोक लगा दी । मेडिकल कालेज नहीं खुलेंगे, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो कैसे डाक्टर बनेंगे । इससे उन बच्चों की आकांक्षाएं रह जाती हैं । शिक्षा के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अवसर मिलना चाहिये । अगर उस पर रोक लगाते हैं तो यह संविधान विरोधी कदम है । आपको उसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि आज डाक्टर जिस तरह से धन कुबेर बनते जा रहे हैं, उसका कारण यह है कि डाक्टरी के क्षेत्र में कम से कम लोगों का प्रवेश हो पा रहा है । आपने प्रवेश रोक दिया है । थोड़े से डाक्टर होंगे तो आज मेडिकल कालेज में डाक्टरों की क्या हालत हो गयी है । एक-एक डाक्टर छोटे-छोटे अस्पताल अपने घरों में खोले हुये हैं । अस्पताल सब रूल्ड हो रहे हैं और डाक्टर अपने घरों पर मिनि अस्पताल खोल रहे हैं । यह स्थिति किसने पैदा की । जो बच्चे मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करके इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपने उन पर अवरोध खड़ा कर दिया और उनको मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं दिया । मेडिकल कालेज नहीं खुलेंगे तो बच्चे मेडिकल कालेज अपने घरों पर नहीं स्थापित करेंगे । आप देश के प्रबुद्ध बच्चों के हित में इसको वापस ले लें और तिवारी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, आप स्वयं व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो प्राइवेट क्षेत्र में जितने लोग मेडिकल कालेज खोलना चाहें, उनको मान्यता दें । चाहे कितनी भी शर्तें आप लगा दें, उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं करें कि नये से नये इक्विपमेंट हों, कमरे बड़े-बड़े हों, लेबोरेट्रीज अच्छी हों, उनसे सारी अपेक्षाएं करें कि उनकी पूर्ति करेंगे तो मान्यता देंगे, लेकिन मान्यता दें । जिससे कि देश के प्रबुद्ध बच्चे मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हों ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने एक ऐसा सामयिक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पास सीमित संसाधन हैं । यह देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता है । यह अपेक्षा करना कि शासन उन सारे लोगों को चिकित्सा शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा सके, जितनी आवश्यकता प्रदेश में चिकित्सकों की है या जितने लोगों को उम्मीद है कि चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सकें, यह सम्भव नहीं है । इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में लोगों को यह अधिकार हो कि नये मेडिकल कालेज स्थापित करके विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करा सकें । मान्यवर, यह जो 1973 का ऐक्ट है यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है जिसमें प्रतिबन्ध कर दिया गया है कि कोई स्वयं-सेवी संस्था या कोई संस्थान इस प्रकार का मेडिकल कालेज स्थापित करके विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे सके । इसका नतीजा यह होता है कि प्रदेश में इस रोक के कारण बहुत से विद्यार्थी जो चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं चिकित्सा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जो जिसमें दक्षिण

भारत भी हैं, जाते हैं। करोड़ों रुपया इस प्रदेश का दूसरे प्रदेशों मे जाता है और महंगी शिक्षा उनको मिलती है।

मेरा निवेदन है कि उदारता का परिचय देते हुये माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करें और इससे प्रदेश के एक्सचेकर पर कोई अधिभार नहीं बढ़ेगा और चिकित्सक अधिक उपलब्ध हो सकेंगे। आज चिकित्सा मन्त्री जो बैठे हैं प्रदेश के सैकड़ों स्थानों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं हैं। उनका अभाव है। महिला चिकित्सकों का इतना अभाव है कि 50 फीसदी से ज्यादा उनके पद रिक्त हैं। इन परिस्थितियों में यह अपेक्षा करना कि उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कालेज हैं वह इतने डाक्टरों को उपलब्ध करा सकेंगे यह मुश्किल है। प्रदेश की बढ़ती हुयी आबादी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में यह मौका दे और स्वयं सेवी संस्थाओं को अवसर दे कि वह अपने निजी संशोधनों से मेडिकल कालेज खोलें ताकि विद्यार्थियों को मेडिकल की शिक्षा उपलब्ध हो सके।

सरकार इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर जनहित में इस मांग को मान ले लेकिन सरकार इस विषय पर संकीर्णता का दृष्टिकोण अपनाती रही है चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर के बैठने वाले लोग हों इस बात का अनुभव सारे लोग कर रहे हैं। तमाम माननीय सदस्य हैं जिनके पुत्र पुत्रियां दूसरे राज्यों में जाकर कैपिटेशन फीस देकर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उस स्तर की शिक्षा उनको नहीं प्राप्त हो रही है। मेरा अनुरोध है कि इस मांग पर आप विचार करें और इसको मान लें। यह बात दूसरी है कि आप इनके लिये एक मानदंड बना दें कि इन मेडिकल कालेजों के मानक इस प्रकार के होंगे। मान्यता के लिये आप कठोर शर्तें लगा दें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये यह समीचीन होगा कि सरकार ने जो प्रतिबन्ध 1973 में लगाया था उसको समाप्त करके सार्वजनिक क्षेत्र में निजी संस्थाओं को मेडिकल कालेज स्थापित करने की छूट दे। ताकि लोग चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सकें और जो डाक्टरों का अभाव है उसको दूर किया जा सके। मुझे विश्वास है कि तिवारी जी के प्रस्ताव को शासन सहर्ष स्वीकार करेगा और 1973 में लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस लेने का काम करेगा। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं उन सारे माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। श्रीमन्, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया उन सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। आज जो चिकित्सकों की आवश्यकता है और चिकित्सकों का जो अभाव है उससे सारे लोग पीड़ित हैं। खासकर जब अपने लड़के या लड़की को मेडिकल शिक्षा दिलाने का सवाल होता है तो मेडिकल कालेज में प्रवेश नहीं हो पाता है। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि शासन इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय न बनाये और व्यावहारिक पहलू जो इसका है उसको देखे। अगर वह यह समझते हैं कि 1973 में एक [illegible] भावना से बिल लाये थे जिसको पास कराकर कानून की शक्ल दी गयी लेकिन बहुत [illegible] दूसरे प्रदेशों में प्राइवेट संस्थाओं पर इस तरह की रोक नहीं लगायी गयी इसलिये इसको देखते हुये यहां पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसको समाप्त किया जाय। अगर यह न कर सकें तो स्वास्थ्य मंत्री जी कम से कम यह घोषणा करें कि कोई भी डिवीजनल हेडक्वार्टर ऐसा नहीं रहेगा जहां पर मेडिकल कालेज की व्यवस्था नहीं होगी। इतना ही सरकार कर दे तो हम सोचेंगे कि सरकार कुछ करने जा रही है। लेकिन सरकार कहेगी कि संसाधनों का अभाव है।

आज मेडिकल कालेज खोलने की बात कौन कहे नये हास्पिटल संसाधनों का अभाव बताकर नहीं खोले जाते हैं। यदि दूसरी तरफ प्रदेश के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने संसाधनों से इस तरह का काम करने के लिये तैयार हैं तो सरकार को उनको सहयोग देना चाहिये और इन संस्थाओं का भरपूर लाभ सरकार को उठाना चाहिये ताकि प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः उन तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से माननीय दत्ता जी ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। तो यह सदन की भावना है, मैं चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब उत्तर देंगे, तो सदन की जो भावना है, प्रदेश की जो आवश्यकता है, उसी को देखते हुए हम सदस्यों की भावना है, उस भावना के अनुरूप या तो आज घोषणा करेंगे कि इस विधेयक का समर्थन करेंगे और इस विधेयक को पारित करायेंगे, ताकि जो 1973 से रोक लगी है, वह रोक हट जाय या जिस तरह की पाबन्दी इस प्रदेश में लगाई गयी है, उसी तरह की पाबन्दी अन्य प्रदेशों में लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कानून बनाने की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार करे या उत्तर प्रदेश सरकार यह घोषणा करे कि एक निश्चित समय के अन्दर प्रदेश के सभी डिवीजनल मुख्यालय पर शासन की तरफ से मेडिकल कालेजों की स्थापना कर दी जायगी।

माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि इस प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है। प्रदेश के जो भी छात्र, या छात्राएं सी0 पी0 एम0 टी परीक्षा में नहीं आ पाते, उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर कंपीटेशन फी के रूप में भारी रकम देकर प्रवेश लेना पड़ता है। इन सारी बातों से छुटकारा मिल सके, इसलिए मैं अपने विधेयक पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार इस सदन की भावना और प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को पारित करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् सम्मानित सदस्य की बात और उनकी भावना से प्रदेश भी अवगत है और प्रदेश के नागरिक भी अवगत हैं। मान्यवर, चिकित्सकों की कमी मेडिकल कालेज की कमी के कारण नहीं है और भविष्य में चिकित्सकों की कमी न रहे, इसके सम्बन्ध में मैं घोषणा अपने बजट पास करते समय इस सदन में की थी। इस वर्ष 1988-89 में जो एम0 बी0 बी0 एस0 के छात्र अपनी पढ़ाई करके निकल आये हैं इंडियन मेडिकल कौंसिल के आदेश के अनुसार उनको 12 महीने की इन्टर्नशिप करनी आवश्यक है, 6 महीने की उनकी इन्टर्नशिप नगरी पर अस्पताल है मेडिकल कालेज में जहां होती है, वह होगी। आने वाले 6 महीने में उनको जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिनको पहले उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाता रहा, वहाँ उनको यह ट्रेनिंग ग्रहण करनी होगी। उसके उपरान्त उनको 3 वर्ष तक उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में जो भी वेतनमान मेडिकल आफीसर का होगा, उस पर कार्य करना होगा। तीन वर्ष के उपरान्त या 3 वर्ष के अन्दर वह लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित भी हो सकते हैं।

तीसरी चीज चिकित्सकों की कमी न रहे जो इसको नहीं मानेगा, उसको, उत्तर प्रदेश से जिसने शिक्षा ग्रहण किया है, उसे उत्तर प्रदेश शासन में 50 हजार रुपये जमा करना पड़ेगा। भारतवर्ष में नये मेडिकल कालेज खोलने पर प्रतिबन्ध भारत सरकार ने लगा दिया है। भारतवर्ष में वह मेडिकल कालेज जहां कि कंपिटेशन फी लेकर प्रवेश दिया जाता था, उस पर भी इंडियन मेडिकल कौंसिल ने प्रतिबन्ध लगा दिया है और

ये दोनों विधेयक इंडियन मेडिकल कौंसिल अमेंडमेंट ऐक्ट पार्लियामेंट में पेश हो चुका है । उसमें ये दोनों बातें हैं। इतना मैं अवश्य इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर उन मंडलीय मुख्यालयों पर जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं, वहां पर 500 शैय्याओं का चिकित्सालय आधुनिक विशिष्ट उपलब्धियों के साथ स्थापित किये जायेगें ।

उत्तर प्रदेश में ऐसे 6 स्थान कुमायूं मण्डल, गढ़वाल मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और फैजाबाद मंडल वाराणसी मंडल हैं और यह पूरे हमारे चिकित्सालय आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक स्थापित हो जायेगें । अतएव श्रीमन् मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता कि नये मेडिकल कालेज खोलने हेतु उत्तर प्रदेश शासन केन्द्र सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें । पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के अनुसार 25 प्रतिशत सीट केन्द्रीय बोर्ड के लिए आरक्षित होगी और 75 प्रतिशत सीट जो प्रदेश को उपलब्ध हैं उसमें 40 प्रतिशत सीट हम पी0 एम0 एस0 को दे रहे हैं । इसलिए दे रहे हैं कि अभी जो मैंने पहले बताया कि हर उस छात्र को जो इन्टर्नशिप ट्रेनिंग के बाद हम उनको 3 वर्ष की आवश्यक उत्तर प्रदेश शासन की सेवा की अनिवार्यता स्थापित करने जा रहे हैं अन्यथा उनको 50 हजार रुपये देना पड़ेगा । जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में लोग आ जायेगें उन्हें वरीयता के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा की शिक्षा जो उत्तर प्रदेश चिकित्सालय की आवश्यकता होगी, उसके अनुरूप उनको दिया जायेगा और जो 35 प्रतिशत सीट बचती है वह कम्पटीशन के द्वारा परीक्षा द्वारा भरी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज के छात्रों द्वारा जो आज से पूर्व एम0 बी0 बी0 एस0 करके इन्टर्नशिप कर चुके हैं, पोस्टग्रेजुएट में जाने वाले हैं । अथवा जो उत्तर प्रदेश मेडिकल कालेज में शिक्षा पाने के उपरान्त 50,000 रुपये जमा कर दें और उत्तर प्रदेश शासन की सेवा से बाहर रहें, उनके लिए यह व्यवस्था है । श्रीमन् आपके माध्यम से मेरा विश्वास है कि माननीय तिवारी जी अपने प्रस्ताव को वापस लेगें । कैपटलाईजेशन फीस पर बन्दिश लगी हैं, नये मेडिकल कालेज न खोले जाय, इस पर बन्दिश रही है । मुख्यतः यही दो बातें माननीय तिवारी जी ने कही थी जिस पर केन्द्र सरकार ने स्वयं ही बन्दिश लगा दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी, क्या इसे वापस ले रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में जो इस तरह के कालेजज चल रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई यहां पर अनुमति दे देगें तो उससे क्या परेशानी होगी या उसमें क्या शिक्षा में गिरावट आयेगी । कुछ कारण अगर हो तो मैं वापस ले लूं । यहां पर कोई कारण नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (निरसन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

यू0 पी0 फाइनेन्शियल कारपोरेशन इटावा के आर0 एम0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता--

इसे स्थगित किया जा रहा है ।

टनकपुर (नैनीताल) पूर्णागिरि यात्रा में पेयजल तथा सफाई व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमत से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

[टनकपुर नगर की जनसंख्या लगभग 25 हजार है जिसके लिए नगरीय पेयजल योजना में तीन नलकूपों तथा इनसे जुड़े तीन उच्च जलाशयों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है जिनकी उत्पादन क्षमता 2300 लीटर प्रति मिनट है । निर्धारित मानक के अनुसार लगभग 90 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आपूर्ति की जाती है । पूर्णागिरी मेले से अवसर पर आने वाले यात्रियों के लिए 15 अतिरिक्त जल स्तम्भ लगाकर जलापूर्ति की निरन्तर व्यवस्था की जा रही है । मेले में आने वाले यात्रियों के लिये लगभग 10 लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है । इसके साथ यह भी व्यवस्था है कि विद्युत् व्यवधान होने पर जनरेटर चलाकर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु-रूप से रखी जा रही है ।

पूर्णगिरी मेले के दौरान नगरपालिका, टनकपुर द्वारा सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है । मेले में यात्रियों की सुविधा हेतु 10-10 सीट का अस्थायी ट्रेंच टाइप महिला व पुरुष शौचालय शारदा नदी तट पर बनाया गया है । इसके अतिरिक्त 8-8 सीट का महिला एवं पुरुष मूत्रालय पालिका सीमा के मेले में बनाया गया है । मेला अवधि में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को अलग से रखा जाता है । इसके अतिरिक्त नालियों में प्रतिदिन चूना तथा गैमकसीन आदि का छिड़काव किया जाता है तथा किसी भी सम्भावित बीमारी आदि की रोकथाम के लिए आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है ।]

बाँदा जनपद के अतर्रा थानान्तर्गत श्री शिव प्रसाद गुप्त के परिवार पर अराजक तत्वों द्वारा हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमत से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मन्त्री (सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5 मार्च, 1986 को थाना अतर्रा में 21·10 बजे श्री राम बाबू गुप्ता पुत्र जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, निवासी बाउर बाजार, अतर्रा ने विनोद पाण्डे आदि 7 व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट करने, रुपया तथा घड़ी छीनने तथा बम व कट्टे से हमला करने सम्बन्धी एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसपर अ0 सं0 43/88, धारा 395/397, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया । घटना की सूचना पाते ही थानाध्यक्ष, अतर्रा मय फोर्स के मौके पर पहुंचे । मौके पर एकत्रित भीड़ को पुलिस द्वारा डांट-फटकार कर हटा दिया गया था । लाठी चार्ज किये जाने की पुष्टि जांच से नहीं हुई । जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि बाउर चौराहा के एक ओर स्थित श्री राम प्रताप गुप्ता के परिवार और उसके सामने श्री जयराम गुप्ता के मध्य होली के त्योहार को लेकर कुछ विवाद हुआ था जिसमें श्री जयराम गुप्ता की मदद में समीप ही स्थित एक धान की मिल में मौजूद विनोद पाण्डे व उनके कुछ साथी मौके पर आये । यह भी ज्ञात हुआ कि चौराहे पर दोनों पक्षों के बीच वाद-विवाद तथा बम फटने की घटना घटित हुई तथा बम से श्री राम प्रताप गुप्ता तथा एक दर्शक कमलेश गिरी को मामूली चोटें आयी । घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना के दौरान वहां उपस्थित व्यक्तियों व बम की घटना में घायल हुये व्यक्तियों के बयान लिये गये तो बयानों में विरोधभास पाया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण विनोद पाण्डे तथा बाल गोविन्द को भी थाने पर लाकर उनसे पूछ-ताछ की गई । पूंछ-ताछ के दौरान विरोधी बयान मिलने तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दोनों अभियुक्तों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया ।

उपरोक्त मामले को लेकर दिनांक 6 मार्च, 1988 को माननीय विधायक डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा ने श्री राम बाबू गुप्ता के पक्ष में तथा पुलिस एवं विपक्षी के विरोध में अतर्रा बाजार बन्द कराया । उसी दिन लगभग 11·00 बजे माननीय विधायक व श्री राम बाबू गुप्ता के पक्ष में करीब 50-60 व्यक्तियों ने एक जुलूस अतर्रा कस्बे के मुख्य मार्ग पर नारे लगाते हुए निकाला । उसी समय कन्या विद्यालय, अतर्रा के अन्दर श्री हरवंश पाण्डे अपने कुछ साथियों के साथ बैठक कर रहे थे । जैसे ही माननीय विधायक डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा का जुलूस कन्या विद्यालय के समीप पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और कुछ ही क्षणों में पत्थर व लकड़ी के चैले चलने लगे । पुलिस द्वारा तत्काल स्थिति को नियंत्रण में किया गया । इस सम्बन्ध में श्री राम प्रताप गुप्ता ने श्री हरवंश पाण्डे आदि 12 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अ0 सं0 44/88, धारा 147/323/336 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया । दूसरे पक्ष से वादी श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा माननीय विधायक सहित 15 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अ0 सं0 44ए/88, धारा 147/148/149/452/336/334/323/504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । उक्त घटना में दोनों पक्षों की ओर के दो-दो व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं ।

माननीय विधायक व इनके समर्थक जो थाना अतर्रा पर आये थे और जिन्होंने ज्ञापन दिया था, उनका यह कहना था कि ज्ञापन की जांच क्षेत्राधिकारी, नरैनी से न कराई जाये अतः यह जांच क्षेत्राधिकारी कर्वी को सौंप दी गई थी । ज्ञापन देने वालों का यह भी आरोप था कि थाना अतर्रा से विवेचनाओं में न्याय नहीं होगा । अतः

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से तथा निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रश्नगत अभियोग की विवेचनायें विशेष अनुसंधान शाखा को सौंप दी गई हैं।

श्री बच्ची गुप्ता की पत्नी को अराजक तत्वों द्वारा घसीटने व बेइज्जत करने के सम्बन्ध में थाना अतर्रा अथवा किसी अन्य थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

यह कहना सही नहीं पाया गया कि उपरोक्त घटना के कारण कस्बे में पूरी तरह से आक्रोश एवं तनाव व्याप्त है। स्थिति शान्तिपूर्ण है।]

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में धारा 395 और धारा 397 का जो मुकदमा कायम हुआ उसमें यह बताया कि साक्ष्य न मिलने पर अभियुक्त को मुचलके पर छोड़ दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो यह मुकदमा दर्ज कराया गया है उसके गवाह कौन-कौन हैं और उन्होंने क्या बयान दिया। क्या उनकी अपनी चार्जशीट लगाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इन सब चीजों को बताना संभव नहीं है, उसके लिए पूरी केस डायरी की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन-कौन लोगों के बयान लिये गये, क्या-क्या बयान दिये गये। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही घटना घटित हुई, वहां के इन्चार्ज थाना तुरन्त मौके पर पहुंचे और वहीं पर जो घटनास्थल पर उपस्थित भीड़ थी, उससे जानकारी की। मान्यवर, बयानों में विरोधाभास मिला, इसीलिये इन दो व्यक्तियों का, जिनका कि नाम लिया गया, मुचलके पर थाने से रिहा किया गया, छोड़ दिया गया।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दोनों में विरोधाभास मिला। यह गंभीर प्रकरण है, 395-397 की धारायें दर्ज हैं। बस की भी घटना है।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न कर लें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

इस गम्भीर प्रकरण को ध्यान में रखते हुए इसकी सी0आई0डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, पहले तो सम्मानित सदस्य ने प्रार्थना की कि इनकी जांच सम्बन्धित सी0 ओ0, नरैनी से हटा ली जाय वह भी बात मान ली गई दूसरे सी0ओ0, करवी को सौंप दी गई। उससे भी सम्मानित सदस्य को संतोष नहीं हुआ, कहा कि इसकी जांच विशेष अनुसंधान शाखा एस0आई0एस0 से कराई जाये, उसको जांच दी गई। उससे भी संतोष नहीं हो रहा है, अब सी0आई0डी0 की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, सम्मानित सदस्य की प्रार्थना पर ही एस0आई0एस0 को यह सौंपा गया, तो मैं समझता हूं इसमें न्याय होगा उसमें निष्पक्ष न्याय होगा। आगे जब जांच प्रगति पर हो और माननीय सदस्य को यह महसूस हो कि यह एस0आई0एस0 से न्याय नहीं मिल रहा है, तब हम विचार कर लेंगे।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, पहली घटना 5 मार्च, 1988 की है, अभियुक्त विनोद पाण्डेय इत्यादि। दूसरी घटना 6 मार्च, 1988 की है। पहली घटना की जो एफ0आई0आर0 दर्ज है उसमें 395-397 धारायें हैं। दूसरी जो घटना हुई है, हरवंश पाण्डेय, विनोद पाण्डेय,

देवेन्द्र पाण्डेय यह सब एक ही परिवार के हैं और दरोगा भी इन्हीं से सम्बन्धित हैं कोई तिवारी जी हैं। इन लोगों ने मिलकर यह पहले के पूरे मुकदमे को चाट गये। जानबूझकर माननीय सदस्य को फंसाना चाहते हैं, दुनिया भर की जितनी इण्डियन पनल कोड की धारायें हैं, सब लगा दी गई हैं। इसलिए यह दरोगा की मिलीभगत से यह सब हो गया है। दरोगा और सी0 ओ0 में अन्तर क्या है? दरोगा और सी0 ओ0 सब एक मार्ग पर चलते हैं। इसलिए माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करवाने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि विशेष अनुसंधान शाखा से इसकी जांच करायी जा रही है। जांच को चलने दें, यदि सम्मानित विधायक यह महसूस करें कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, चूंकि सम्मानित सदस्य को नामजद किया गया है घटना में, इसलिए हमारे सम्मानित विधायक के मान-सम्मान को ठेस न पहुंचे और उनको गलत तरीके से न फंसाया जाय, यह सुनिश्चित करेंगे।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा के फिर खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

यह केवल वक्तव्य के लिये था, अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, इस मामले में मंत्री ने कहा कि श्री बच्चो गुप्ता की पत्नी को बेइज्जत करने की कोई सूचना थाने पर नहीं मिली। जो बात मैं बता रहा हूं, उसको सही मानते हुये कि बच्चो गुप्ता की पत्नी को बाजार में सरेआम घसीटा गया और बेईज्जत किया गया, तो इसकी जांच किसी अपर एडीशनल एस0 पी0 या किसी उच्च अधिकारी से करवायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, करवा देंगे।

इलाहाबाद जनपद में हुई हत्याओं एवं लूट की घटनाओं से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य--

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 25 फरवरी, 1988 को जनपद इलाहाबाद के दो पेट्रोल पम्पों पर आपराधिक घटनायें हुयीं । श्री हरी कृष्ण सिंह, निवासी सोहबतिया बाग द्वारा थाना सिविल लाइन में इस आशय की सूचना दर्ज कराई गयी थी कि उनके पेट्रोल पम्प से तीन व्यक्तियों ने कट्टा और बम दिखाकर नौ हजार पांच सौ पचास रुपया लूट लिया । इस सूचना के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । दिनांक 25 फरवरी, 1988 को ही श्री भैया लाल तिवारी, सेल्स मैन द्वारा जार्जटाउन पर इस आशय की सूचना पंजीकृत करायी गयी कि जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प से स्कूटर एवं मोटर साइकिल पर सवार व्यक्तियों द्वारा 34 लीटर पेट्रोल भराया गया और ये व्यक्ति बिना पैसा दिये चले गये । इस सूचना के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 406 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 3 मार्च, 1988 को पुलिस द्वारा जार्जटाउन थाने में घटित घटना के सम्बन्ध में अजय मिश्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने दोनों घटनाओं में सम्मिलित होना स्वीकार किया तथा दो अन्य अभियुक्तों के नाम बताये । इस सूचना के आधार पर दूसरे अभियुक्त सुरेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया किन्तु तीसरे अभियुक्त का नाम पता सही ज्ञात न होने कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हुयी ।

उपरोक्त घटनाओं की प्रथम सूचना दर्ज करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ और न ही अभियोगों को कम करके दर्ज किया गया ।]

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिस सन्दर्भ में आपके माध्यम से अनुरोध किया था, उसका इस वक्तव्य में उल्टा जवाब दिया गया है । मंत्री जी के वक्तव्य में केवल पेट्रोल पम्प की घटना दी गयी है, जबकि इलाहाबाद में पिछले 10-15 दिनों तक लूटमार, दिन-दहाड़े हत्या आदि का दौर सिविल लाइन जैसे इलाके में चलता रहा और 16-16 हत्याय एक ही दिन में कर दी गयीं, इसमें पुलिस के लोग भी मारे गये । इस बात का उत्तर यहां पर पूरी तरह से नहीं आया है और ऐसी स्थिति में वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पिछले दिनों हफ्ते भर में कई थानों के थानेदारों का स्थानान्तरण, लोगों के दबाव में आकर कर दिया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जो मुख्य बातें आई हैं, जिसके कारण संशोधित वक्तव्य देने के लिए पीठ से निदेश हुआ था । उसमें अनुग्रह नारायण सिंह जी ने प्रश्न किया था कि एफ0 आई0 आर0 कब दर्ज की गयी । उन्होंने कहा कि जब शहर में बहुत हल्ला-गुल्ला मचा, तब एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई । चूंकि उस समय मेरे पास एफ0 आर0 आर0 की कापी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह बिन्दु उठा था । दूसरा प्रश्न यह था कि मिनिमाइजेशन हुआ है । इस बात पर हमने कहा था कि इसको दिखवायेंगे और अगर ऐसा हुआ है, तो उसको नहीं होने देंगे । यह दो बिन्दु थे, जिसकी वजह से यह संशोधित वक्तव्य वहां पर आया । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमाइज आफ क्राइम की इसमें बात ही नहीं है । कुछ लोगों ने पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भरवाया और पैसे नहीं दिये, तो इस तरह से मैं तो इसको लूट का मामला

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मानता हूं, यही हमारा निर्णय है । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि बाजार बन्द हुआ और हल्ला-गुल्ला हुआ, उसके बाद रिपोर्ट लिखी गयी । ऐसी बात नहीं है रिपोर्ट घटना के दिन ही लिखी गयी थी । यही दो मुख्य बिन्दु थे, जिसका मैंने उत्तर दिया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो संशोधित वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने एक चीज को स्वीकार किया कि जो पहले सूचना आयी थी, उसमें मिनिमाइजेशन आफ फैक्ट हुआ था । इस प्रकार जो असली घटना थी, उसको छुपाया गया था । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो हरकतें आज होती हैं, पुलिस विभाग में और प्रशासनिक अधिकारियों में । तो जिन लोगों को माननीय मंत्री जी ने दोषी पाया, जिन्होंने मिनिमाइज करके सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की और वह कौन जिम्मेदार पाये गये, जिन्होंने मिनिमाइज किया एस० एस० पी० या कोई और लोग ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इसमें थोड़ा इन्टरप्रिटेशन की बात रही । 5-6 लोग मोटर साइकिल पर आये और उन्होंने पेट्रोल भराया । जब उनसे पैसे मांगे गये तो उन्होंने धमकी दी और पैसे नहीं दिए । जब इसकी जानकारी की गई तो उन्होंने कहा कि इसे ब्रीच आफ ट्रस्ट माना जा सकता है । उन्होंने समझा कि पेट्रोल इनको टंकी में भर दें, पैसा तो ये दे ही देंगे । हमने कहा कि कोई चीज सुपुर्दगी में छोड़ दी जाती है फिर वह नहीं मिलती है तो उसे ब्रीच आफ ट्रस्ट कहा जायेगा । उनका कहना था कि हमने इसे ब्रीच आफ ट्रस्ट माना इसलिए 406 में इसे दर्ज किया । हमने इसे ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं माना । पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमने इसे 406 ही ठीक समझा । वैसे हमने उनका जवाब तलब किया है कि इसे 406 क्यों माना गया जब कि इसे 392 होना चाहिए था । फिर भी हम इसे देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें इन्टर-प्रेटेशन वाला मामला भी है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दो बिन्दु उठाये गए थे । पहला, मिनिमाइजेशन आफ केस । माननीय मंत्री जी ने केवल पेट्रोल पम्पों के लूट के सम्बन्ध में कहा है । इसके साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि उस समय दो हत्यायें और हुई थीं । एक हत्या श्री हरी सिंह बिष्ट, एडवोकेट, हाईकोर्ट की हुई थी और उनका पूरा सामान भी लूट लिया गया । केवल धारा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया किन्तु लूट का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया यह धारा 396 में दर्ज होना चाहिए था । इस वक्तव्य में कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया गया । दूसरी, आई० टी० आई० के एक टेक्नीशियन का थाना जार्ज टाउन में अपहरण करके झूसी में उनकी हत्या कर दी गई । इसमें भी वही हुआ, अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया । मैं केवल 4-5 हत्याओं की बात नहीं कर रहा हूं । आज पूरे इलाहाबाद में पुलिस मनमानी कर रही है और अपनी झूठी काबलियत से पूरे शासन को भी गुमराह कर रही है, गलत ढंग से मिनिमाइजेशन करती है । थाना कोरांव के अन्तर्गत बंठकुवा ग्राम में 8 मार्च, 1988 को पुलिस वाले गए और डेइया स्टेट के कुछ पैरोकारों ने पुलिस के साथ साजिश करके वर्षों से रहने वालों के साथ उन्होंने मार-पीट भी कराया, बेइज्जत कराया ।

श्री अध्यक्षता—

यह मूल प्रश्न से कहां जुड़ा हुआ है ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, मूल वक्तव्य में इसका जिक्र है। कोरांव थाने के बंठकुवा गांव की इस घटना की जांच ए0 डी0 एम0 (आर0 ए0) ने की और उन्होंने उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का मैं आपरेटिव पार्ट पढ़ देना चाहता हूं। 'संस्तुति है कि श्री जवाहर लाल हेड कान्स्टेबिल द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1988 को थाना कोरांव पर ग्रामवासियों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 395/397/307/342/353/506 आई0 पी0 सी0 लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व श्री हिछ लाल उर्फ लचकऊ सिंह द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1988 को ही थाना कोरांव पर अन्तर्गत धारा 307 आई0 पी0 सी0 लिखाई गई. . . .।'

श्री अधिष्ठाता--

यह वक्तव्य का हिस्सा तो है नहीं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

यह मूल वक्तव्य में है।

श्री अधिष्ठाता--

जो संशोधित वक्तव्य है, वही इस समय सदन को प्राप्त है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, इसी पर सवाल कर रहा हूं। मूल वक्तव्य में इसका उल्लेख है।

यदि आप मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने और माननीय राकेशधर त्रिपाठी ने इस प्रश्न को यहां उठाया था और इन्होंने अपने सवाल में जो बिन्दु उठाये थे, सब पर प्रकाश नहीं डाला गया। उन्होंने अपने बिन्दुओं का जवाब चाहा था। यदि वे प्रश्न नहीं करेंगे तो कैसे होगा कि समुचित उत्तर उनको मिले? जब आप उनको प्रश्न नहीं करने देंगे तो यह कैसे हो पायेगा, इसका निराकरण आप करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

जो सवाल उठा है उसे जवाब में कवर अप होना चाहिए था। जो सवाल उसमें दर्शाया नहीं गया है उसे मैं कैसे पूछने की इजाजत दे दूं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने नियम 56 में सूचना दी थी। उस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया जिससे कि माननीय सदस्यगण सन्तुष्ट नहीं थे और न पीठ ही सन्तोष का अनुभव करती थी तो फिर आज उनका अग्रेत्तर वक्तव्य आया है। जब पहले वक्तव्य की पृष्ठ भूमि में जो बातें हैं उन पर आप सप्लीमेन्ट्री करने की आज्ञा नहीं देंगे तब तक स्थिति कैसे स्पष्ट होगी?

श्री अधिष्ठाता--

आज्ञा तो है, शार्ट में कह कर अपनी बात को पूरी करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मैं बैठकवा कान्ड का जिक्र कर रहा था कि ए0 डी0 एम0 (आर0) के द्वारा और पुलिस के द्वारा जांच का जो उल्लेख किया है जिसका जिक्र मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं किया गया था। लेकिन ए0 डी0 एम0 (आर0) ने दोनों रिपोर्ट को स्पंज करके दरोगा और कांस्टेबिल के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की है माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी कान्ड पर अक्सर मैजिस्ट्रेट की जांच कराई जाती है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो बैठकवा कान्ड और सोरांव कान्ड में जो राम दुलारे पटेल की हत्या में दरोगा और हेड कांस्टेबिल के खिलाफ दोनों कान्डों में मैजिस्ट्रेटों ए0 डी0 एम0 (आर0 ए0) व परगना मैजिस्ट्रेट सोरांव ने जो जांच रिपोर्ट दी है तो क्या वर्मा दरोगा और हेड कांस्टेबिल तथा सोराव के थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्रमशः धारा 307 और 302 में आप मुकदमा दर्ज करेंगे ? सोरांव में पुलिस की कस्टडी में हुई हत्या के सम्बन्ध में भी मुकदमा दर्ज किया जाय तो क्या माननीय मंत्री जी इन सबके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

माननीय सदस्य ने तीन बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया है। मान्यवर, जहां तक हीरा सिंह विष्ट के कत्ल का सवाल है वह वर्क आऊट हो गया है और जो लूट की बात कही गई है तो वहां लूट वगरह कुछ नहीं हुई केवल उसके पास एक चाकू बरामद हुआ। और यह जो आई0 टी0 आई0 के डाक्टर्स वाले मामले में जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गई है और जांच इनके द्वारा हो रही है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में मैं भी यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैजिस्टीरियल जांच के मुताबिक ही कार्यवाही कराई जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर आज की कार्य सूची में मद संख्या 17 पर नियम 51 के अन्तर्गत मेरी सूचना लगी हुई थी और जब यह मद यहां पुकारी गयी है, मैं लाबी में ही बैठा हुआ था, लेकिन सुन नहीं सका और मान्यवर आपने आगे की मदें ले लीं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मुझे भी इस पर सुन लिया जाए तो बहुत आभारी हूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी आपके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन चूंकि अब हम मद 19 पर आ गये हैं, यदि अंत में समय बच गया तो हम अवश्य आपको भी इस मद पर सुन लेंगे।

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

मान्यवर माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों के अलावा जिन लोगों ने इस मामले में शिथिलता बरती है, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्या अब की जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर समस्त कार्यवाही मैजिस्टेरियल जांच के उपरांत ही की जायेगी, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के शोध छात्र श्री देव कुमार मिश्र की हत्या किए जाने विषयक वक्तव्य का अंग्रेजी लिपि के प्रयोग से स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 20 पर आज जो वक्तव्य वितरित हुआ है, इस सम्बन्ध में पहले भी इस सदन में अनेकों बार व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी लिपि है। यदि किसी भी भाषा या लिपि में कोई चीज उद्धृत करती है तो उसे नियमों के अनुसार ही करनी है। परन्तु यहां इस वक्तव्य में जो दूसरे पैरा के मध्य में है जहां पर कुछ अंग्रेजी भाषायें लिखी गयी है, जिसे देव नागरी लिपी में भी लिखा जा सकता था, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे इसे कृपया देखें और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावित्त न होने पाये, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं इसे आज स्थगित करता हूं और कल फिर इसे शुद्ध रूप में रखा जाए।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी मान्यवर, भविष्य में इस प्रकार से अब पुनरावृत्ति नहीं होगी।

प्रशासक, नगर पालिका, अलीगढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सफाई कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 21।

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पदमा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सर्व श्रीसूर्य प्रताप शाही, कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा किशन लाल विधायक ने दिनांक 18 मार्च, 1988 को नियम 56 के अन्तर्गत....।

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सम्मति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

श्रीमती पदमा सेठ—

[प्रस्तुत कार्यस्थन प्रस्ताव में कहा गया था कि नगरपालिका अलीगढ़ के सफाई कर्मी कार्यालय के समक्ष प्रशासक के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध तथा अन्य मांगों को लेकर गत 15 फरवरी, से धरना और क्रमिक अन्शन चला रहे हैं तथा सफाई कर्मियों पर 11 मार्च, 1988 को प्रशासक द्वारा बुलाये गये गुन्डों ने ईंट पत्थरों व लाठियों से लैस होकर हमला बोल दिया जिससे एक दर्जन से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना के बहुत देर बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने भी लाठी

चार्ज किया और धरना दे रहे नगर पालिका कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर 12 मार्च, से नगरपालिका कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है जिससे अलीगढ़ में गन्दगी का साम्राज्य फैल गया है। बिजली, पानी आपूर्ति पूर्णतया ठप्प है। हफ्ते भर से बिजली पानी की आपूर्ति न होने के कारण जनता में हाहाकार है। सफाई के अभाव में भयंकर बीमारियां फैलने की आशंका है। इस प्रकरण को लेकर अलीगढ़ में काफी तनाव है और स्थिति विस्फोटक होने की आशंका है।

2—इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दिनांक 15 फरवरी 1988 से नगर-पालिका अलीगढ़ के गेट पर पालिका के कुछ कर्मचारियों ने जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही थी, नगरपालिका कर्मचारी संघ तथा नगर सफाई मजदूर संघ के झन्डे तले धरना प्रारम्भ किया। इन कर्मचारियों में मुख्यतः सर्वश्री दरियाव सिंह चपरासी, राम बाबू, चपरासी तथा सर्वश्री छोटे लाल एवं रमेश, चेतन सफाई कर्मचारी सम्मिलित थे। दिनांक 11 मार्च, 1988 को जब प्रशासक नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित नहीं थे तब इन धरनाकारियों ने कार्यालय समय के दौरान जबर्दस्ती कार्यालय में घुसकर कार्यालय में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया जिससे नगरपालिका के लेखाकार श्री सी० पी० गौड़ के मुंह एवं हाथ आदि में चोटें आईं। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च, 1988 को दर्ज कराई गई। इस घटना के समय स्थल पर नगर मजिस्ट्रेट अलीगढ़ एवं पुलिस बल उपस्थित थे। यह कहना निराधार है कि इस घटना में गुन्डे बुलाये गये थे तथा एक दर्जन से अधिक कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। दिनांक 11 मार्च, 1988 को धरनाकारियों द्वारा की गई मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की घटना की रिपोर्ट के विरुद्ध जब पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निश्चय किया तथा जिला प्रशासन को सूचित किया कि जब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक नगरपालिका के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसकी लिखित सूचना जिला अधिकारी को मिलते ही उन्होंने हस्तक्षेप किया तथा नगरपालिका के लेखाकार द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सर्वश्री रमेश करन, दरियाव सिंह, छोटे लाल तथा बाबू लाल को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद तुरन्त हड़ताल समाप्त कर दी गई। अतः यह कहना सत्य नहीं है कि नगरपालिका कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की जिससे अलीगढ़ नगर में गन्दगी का साम्राज्य फैल गया एवं पानी की आपूर्ति ठप्प हो गई। धरने की पूरी अवधि में नगरपालिका अलीगढ़ में लगभग एक घंटे की सांकेतिक हड़ताल को छोड़कर कोई हड़ताल नहीं रही तथा सभी कार्य सुचारु रूप से चलते रहे। इस प्रकरण का नगर अलीगढ़ में न तो कोई प्रभाव है और नहीं स्थिति विस्फोटक है। अतः किसी अव्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक 17 मार्च, 1988 को धरनाकारी वार्ता के लिए तैयार हुये तथा वार्ता के उपरान्त धरना तत्काल समाप्त कर दिया गया।]

कोरम के अभाव में सदन का स्थगन

डाक्टर रजनी कांत दत्त—

मान्यवर, क्या यह सदन कोरम के साथ चल रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने तो नहीं देखा, आपने बात उठाई है तो मैं गिनवाए लेता हूं।

(तत्पश्चात् कोरम की गणना शुरू कर दी गई)

(कोरम पूरा न होने पर)

[××] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता--

डाक्टर साहब ने आपत्ति उठा दी है। इसलिए घंटी बजाना आवश्यक है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

(5 मिनट तक घंटी बजायी गयी और पुनः गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है। अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 12 मिनट पर बुधवार, 27 अप्रैल, 1988 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
26 अप्रैल, 1988

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

प्रश्न में उल्लिखित 22 जिलों के नाम

1--आजमगढ़ ।

2--बांदा ।

3--बलिया ।

4--एटा ।

5--इटावा ।

6--फतेहपुर ।

7--गाजीपुर ।

8--हमीरपुर ।

9--जौनपुर ।

10--झांसी ।

11--उरई ।

12--ललितपुर ।

13--मैनपुरी ।

14--मिर्जापुर ।

15--रायबरेली ।

16--वाराणसी ।

17--बस्ती ।

18--फतेहगढ़ ।

19--मथुरा ।

20--सुल्तानपुर ।

21--प्रतापगढ़

22--देवरिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 61 पर ।)

तालिका

वर्ष 1986 एवं 1987 में प्रदेश में घटित चोरी एवं डकैती के अपराधों के जनपदवार आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये है :—

क्रम-सं0	जनपद का नाम	चोरी		डकैती	
		वर्ष 1986	वर्ष 1987	वर्ष 1986	वर्ष 1987
1	2	2	3	4	5
1	आगरा	1475	1366	27	27
2	अलीगढ़	854	747	65	47
3	मथुरा	584	555	28	23
4	मैनपुरी	773	716	48	30
5	एटा	607	523	50	52
6	बरेली	1537	1356	54	41
7	बदायूं	753	882	52	36
8	पीलीभीत	753	614	25	18
9	शाहजहांपुर	894	803	41	15
10	बहराइच	820	641	52	53
11	गोण्डा	777	756	55	31
12	फैजाबाद	1751	1535	93	90
13	सुल्तानपुर	928	835	40	37
14	प्रतापगढ़	414	392	34	23
15	बाराबंकी	852	613	45	42
16	गोरखपुर	538	426	61	61
17	बस्ती	734	636	29	32

विधान परिषद सचिवालय

1	2	3	4	5	6
18	आजमगढ़	544	490	40	36
19	देवरिया	496	417	37	42
20	इलाहाबाद	1569	1457	36	35
21	इटावा	621	436	25	31
22	फतेहगढ़	812	621	38	35
23	फतेहपुर	359	333	28	23
24	कानपुर नगर	1656	2126	13	23
25	कानपुर देहात	472	427	31	26
26	हरदोई	385	347	26	14
27	खीरी	831	791	39	33
28	लखनऊ	प्राप्त नहीं है	प्राप्त नहीं है	24	26
29	रायबरेली	444	411	27	39
30	सीतापुर	140	113	121	72
31	उन्नाव	393	331	14	24
32	मेरठ	2201	2360	44	203
33	गाजियाबाद	1705	1656	58	64
34	बुलन्दशहर	1609	1353	76	54
35	मुजफ्फरनगर	962	852	26	13
36	सहारनपुर	प्राप्त नहीं है	प्राप्त नहीं है	45	28
37	बलिया	666	315	17	10
38	गाजीपुर	420	346	14	11
39	जौनपुर	607	433	25	16
40	मिर्जापुर	546	486	37	26
41	वाराणसी	1169	846	52	39
42	झांसी	553	522	15	21
43	हमीरपुर	248	235	15	10

उत्तर प्रदेश गजट

1	2	3	4	5	6
44	जालौन	412	323	19	15
45	बांदा	386	381	34	46
46	ललितपुर	426	213	19	8
47	मुरादाबाद	प्राप्त नहीं है	प्राप्त नहीं है	72	80
48	रामपुर	679	498	14	18
49	बिजनौर	582	667	33	19
50	उत्तरकाशी	57	53	..	..
51	चमोली	22	15	..	..
52	पौड़ी-गढ़वाल	123	117	1	2
53	टेहरी-गढ़वाल	110	101	..	..
54	देहरादून	492	362	6	6
55	नैनीताल	567	प्राप्त नहीं है	3	20
56	अल्मोड़ा	76	64	..	..
57	पिथौरागढ़	77	45	..	..
58	जी0 आर0 पी0, आगरा	493	332	..	2
59	जी0 आर0 पी0, लखनऊ	1224	1124	4	3
60	जी0 आर0 पी0, गोरखपुर	प्राप्त नहीं है	353	..	3
61	जी0 आर0 पी0, इलाहाबाद	1499	1060	2	4
62	जी0 आर0 पी0, मुरादाबाद	594	631	8	6
63	जी0 आर0 पी0, झांसी	238	242	..	2

पी0 एस0 यू0 पी0—12 वि0 सभा—1-8-88—813 (पी0 डी0) ।

विधान सभा सचिवालय